लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

[तीसरा सत्र / Third Session]

[खंड 9 में अंक 21 से 27 तक हैं / Vol, 9 contains Nos. 21 to 27]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 26, गुरुवार, 22 दिसम्बर, 1977/1 पौष, 1899 (शक)

No. 26, Thursday, December 22, 1977/Pausa 1, 1899 (Saka)

विषय	Subject	Pages
सदस्यों द्वारा शपथ	Members Sworn	1-2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	Oral Answers to Questions :	2—12
तारांकित प्रश्न संख्या 509 से 511	Starred Questions Nos. 509 to 511.	2—9
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 7	Short Notice Question No. 7	10—12
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	Written Answers to Questions:	12—94
तारांकित प्रश्न संख्या 512 से 514 और 516 से 529	Starred Questions Nos. 512 to 514 and 516 to 529.	12—23
अतारांकित प्रश्न संख्या 4767 से 4788 और 4790 से 4894	Unstarred Questions Nos. 4767 to 4788 and 4790 to 4894	23—94
कलकत्ता पत्तन न्यास के चेयरमैन के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न	Questions of Privilege against Chairman, Calcutta Port Trust	94—96
गन्ने और गुड़ के मूल्यों पर चर्चा के बारे में	*Re.* Discussion on prices of sugarcane and Gur	96-97
सभा पटल पर रखे गए पत्र	Papers laid on the Table	97—100
सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति कार्यवाही सारांश	Committee on Papers laid on the Table Minutes	100
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha	101
बाल (संशोधन) विधेयक	Children (Amendment) Bill	101
राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति (दूसरा प्रतिवेदन)	As Passed by Rajya Sabha Committee on Papers laid on the Table (Second Report)	101
लोक लेखा समिति दूसर 118वाँ, 21वां, 24वां, 31वां, 33वां, 36वां, 41वां, 42वां, 47वां और 50वां प्रतिवेदन	Public Accounts Committee 2nd, 18th, 21st, 24th, 31st, 33rd, 36th, 41st, 42nd, 47th and 50th Reports.	101-102

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actua asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	Pages
गैर-सरकारी सदस्यों के सदस्यों विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति (दसवां प्रतिवेदन)	Committee on Private Members Bills and Resolutions. (Tenth Report)	102
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति (चौथा प्रतिवेदन)	Committee on Subordinate Legislation (Fourth Report)	103
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (पहला प्रतिवेदन)	Committee on Government Assurances (First Report)	103
विधेयक पुरःस्थापित	Bills Introduced	103—105
(एक) सरकारी क्षेत्र की लोहा और इस्पात कम्पनियां (पुनसंरचना) तथा प्रकीर्ण उपबन्ध विधेयक	(*i*) Public Sector Iron and Steel Companies (Restructuring) and Miscellaneous Provisions Bill	103—105
(दो) निर्वाचन नियम (संशोधन) विधेयक	(*ii*) Election Laws (Amendmcnt) Bill.	105
नियम 377 के अधीन मामले	Matters Under rule 377	105—108
(एक) गन्ने का मूल्य बढ़ाने में असफलता ।	(*i*) Failure to increase the price of Sugar Cane	106
(दो) सी० एम० आई० लि० और ईस्टर्न मैंगनीज एण्ड मिनरल्स लि० डोमछं, बिहार ।	(*ii*) C. M. I. Ltd. and Eastern Mangan eseand Min erials Ltd. Domchanch, Bihar.	106-107
(तीन) स्वदेशी पोलिटेक्स लि०, गाजियाबाद के प्रबंधकों द्वारा न्याय मूर्ति श्री एस० के० वर्मा को गलत ढंग से ठहराये जाने का समाचार ।	(*iii*) Reported News about wrongful confinement of Mr. Justice S. K. Verma by the Management of Swadeshi Polytex Ltd.	107
(चार) समाचार के बम्बई कार्यालय में अग्नि दुर्घटना	(*iv*) Fire accident in Samachar Office Bombay	107
(पांच) 1971 के भारत पाक-युद्ध के बाद भारत आने वाले शरणार्थियों को नागरिक अधिकार देने में असफलता ।	(*v*) Failure to give citizenship rights to refugees who came to India after 1971 Indo-Pak War.	108
(छः) माना शिविर से पूर्वी पाकिस्तान की हजारों शरणार्थी महिलाओं का बेचा जाना ।	(*vi*) Sale of several thousand East Pakistan refugee women from Mana Camp.	108
राहत सामग्री वितरण संबंधी समिति के लिए भारतीय रेड क्रास सोसायटी के अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में वक्तव्य	Statement *re* : Appointment by Indian Red Cross Society Officials on a Committee to distribute relief materials.	108—109

विषय	Subject	Pages
रेलवे अभिसमय समिति के प्रथम प्रतिवेदन के बारे में संकल्प ।	Resolution *re* : First Report of the Railway Connvention Committee	109—118
प्रो० मधु दण्डवते	Prof. Madhu Dandavate	109—110,
श्री मुहम्मद शफी कुरेशी	Shri Mohd. Shafi Qureshi	114—117
श्री एम० कल्याणसुन्दरम	Shri M. Kalyanasundaram	110—111
श्री वी० एम० सुधीरन	Shri V. M. Sudheeran	111—112
श्री के० ए० राजन	Shri K. A. Rajan	113 113—114
स्थावर सम्पत्ति के अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) विधेयक	Requisitioing snd Acquisition of Immovable Property (Amendment) Bill	118—122
विचार करने के लिए प्रस्ताव—राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में ।	Motion to consider as passed by Rajya Sabha	
श्री सिकन्दर बख्त	Shri Sikandar Bakht	118, 121, 122
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jagannath Rao	118—119
श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य	Shri Shyamarasanna Bhattacharyya	119
श्री जी० एम० बनतवाला	Shri G. M. Banatwalla	119—120
श्री वायालार रवि	Shri Vayalar Ravi	120
श्री सौगत राय	Shri Saugata Roy	120—121
खण्ड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1	122-123
पास करने के लिए प्रस्ताव—	Motion to Pass—	
श्री सिकन्दर बख्त	Shri Sikandar Bakht	123
डा० रामजी सिंह	Dr. Ramji Singh	123
बेतवा नदी बोर्ड (संशोधन) विधेयक—	Betwa River Board (Amendment) Bill—	124—127
विचार करने के लिये प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	
श्री तेजप्रताप सिंह	Shri Tej Pratap Singh	124-125
श्री लक्ष्मी नरायण नायक	Shri Laxmi Narain Nayak	124
श्री भानुप्रताप सिंह	Shri Bhanu Pratap Singh	125
खण्ड 2 से 7 और 1	Clauses 2 to 7 and I	125—127
पास करने के लिये प्रस्ताव—	Motion to pass—	
श्री भानुप्रताप सिंह	Shri Bhanu Pratap Singh	127
श्री लक्ष्मी नारायण नायक	Shri Laxmi Narain Nayak	127
श्री अम्बिका प्रसाद पाण्डे	Shri Ambika Prasad Pandey	127
उत्तर रेलवे पर दो गंभीर रेल दुर्घटनाओं के बारे में प्रस्ताव—जारी	Motion *re*: Two serious train accidents on the Northern Railway—*contd.*	127—130
श्री सोगत राय	Shri Saugata Roy	127-128
डा० रामजी सिंह	Dr. Ramji Singh	128-129
श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य	Shri Shyamarasanna Bhattacharyya	129-130
श्री युवराज ।	Shri Yuvraj	130

लोक सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 22 दिसम्बर, 1977 / 1 पौष, 1899 (शक)

Thursday, December 22, 1977/Pausa, 1899 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in the Chair]

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

Members Sworn in

1. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (फरीदकोट—पंजाब)
2. श्री चिमनभाई हरिलाल शुक्ल (राजकोट—गुजरात)

श्री बयालार रवि (चिरयिंकील) : श्रीमन, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या ?

श्री के० लक्कप्पा (तुमकुर) : प्रश्न लिये जाने से पहले हम इसे उठा रहे हैं । (**व्यवधान**)

श्री बयालार रवि : आप कृपया नियम 388 देखें । इसके अन्तर्गत अध्यक्ष की अनुमति से किसी भी नियम को निलम्बित किया जा सकता है । (**व्यवधान**) ।

मेरी मांग है कि आप नियम 388 के अधीन प्रश्न काल को निलम्बित करके स्थगन प्रस्ताव को लें । यह बहुत गम्भीर मामला है । यह भारतीय लोकतन्त्र पर प्रभाव डालने वाला प्रश्न है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंडहार्बर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । (**व्यवधान**)

श्री बयालार रवि : चुनाव में बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई है । लोगों को मतदान में भाग लेने से रोका गया है । इसी लिय हम मांग कर रहे हैं कि प्रश्न काल को निलम्बित कर के स्थगन प्रस्ताव को पहले लिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपका प्रस्ताव प्राप्त हुआ । मैंने आपसे कहा है कि आप सम्बंधित कागजात आदि को लेकर मुझे मिलें । इस मामले को दोपहर बाद या कल सुबह लिया जा सकता है । इसके लिये स्थगन प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न पूछे जायेंगे । शांति शांति.....

(व्यवधान) कार्यवाही-वृतान्त में शामिल न किया जाये ।

श्री बयालार रवि . . * *

श्री ज्योतिर्मय बसु : . . * *

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 509

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

समुद्री तूफान से पीड़ित लोगों को रेड क्रास सोसायटी द्वारा दी गई चिकित्सा सहायता

*509. **श्री सुरेन्द्र विक्रम :**
श्री के० मालन्ना :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश के समुद्री तूफान से पीड़ित व्यक्तियों की राहत के लिए रेड क्रास सोसाइटी द्वारा दी गई चिकित्सा सहायता का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या कुछ देशों ने भी समुद्री तूफान पीड़ित लोगों की सहायता करने में सहयोग देने की पेशकश की है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain): (a) In Andhra Pradesh eight doctors from the Red Cross are rendering medical aid in Guntur and Machlipattam areas. Medicines and medical stores valued over Rs. 1,00,000 have been sent to Andhra Pradesh by the Indian Red Cross headquarters. Ambulance services are also being run by the Red Cross for the cyclone victims in that State. In addition, the Red Cross has offered to provide artifical limbs cost not exceeding Rs. 500/- in each case, for about 1,000 people, in the first instance, for those who have lost their limbs as a result of the cyclone.

(b) and (c). Yes, Sir. It has been reported by the Red Cross Society that contributions in kind of the value of Rs. 2,37,00,000/- have been announced by 9 Red Cross Societies of Finland, France, F.R.G., D.R.G., U.K., Japan, Ntherlands, Norway and Pakistan and Governments of Norway, Japan and U. K. and out of which supplies and vehicles of the value of Rs. 19 lakhs (approx.) have been received. Apart from above, cash contributions amounting to Rs. 1,81,00,000 have been offered by 18 National Red Cross Societies of Afghanistan, Australia, Belgium, Canada, Denmark, Finland, Great Britain, Iran, Japan, Luxumbrug, Moaco, Netherlands, Newzealand Norway, Spain, Sweden, Switezerland and U.S.A. and the Governments of Canada, Netherlands, Sweden and U. S. A. out of this amount Rs. 22,21,000 have been received.

** अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया ।

**Not recorded.

Shri Surendra Bikram: At the time of rendering help to bengladesh by the Red Cross there was large scale bungling. I want to know the arrangements being made for the proper distribution of materials now being received from abroad through Red Cross?

Shri Raj Narain: The arrangements for distribution of various articles are being done by not only the headquarters of All India Red Cross Society in New Delhi but it is also being done by its state branches in Andhra Pradesh and other States. We understand that proper arrangements have been made. Dr. Bisht of our Department has gone there. Now the Minister of State and the Additional Secretary Shri K. P. Singh will be going there on 26th of this month. They will see that the medicines and blankets that have been sent are properly distributed or not. We would see that the necessary steps are taken to ensure the supply of articles distributed to the needy people.

Shri Surendra Bikram: Iwant to know whether any help fro mChina was also received. Secondly, he has stated that artificial limbs would be provided at payment of rupees five hundred. Many people would not be able to pay that amount. Will the Government pay this amount for such persons?

Shri Raj Narain: The main responsibility for this type of natural disaster is that of Minister of Agriculture and irrigation. I do not know if China has sent any such thing to that Ministry. I have given the information in regard to the help received from other countries. In regard to China I am not in a position to say anything.

Shri Surendra Bikram: My second question is regarding the payment of repees five hundered to the poor people for artificial limbs.

Shri Raj Narain: If artificial limb could not be had for Rs. 500/- we would compensate for the same. If our department is not in a position to get this done, it would try to get the same done from other departments.

Shrimati Mrinal Gore: The hon. Minister has stated that the Andhra Pradesh branch of the Red Cross Society will be doing the distribution work. But people have their own doubts about the working of this Society. We have been raising this issue in this House and demanding an enquiry into it. I want to know whether neither the Health Minister nor the Prime Minister has ordered an enquiry into it. An enquiry has been ordered by its Managing body. We have complaints against this body. I want to know whether it is correct that a body which has charges of corruption and bribery against it should institute an enquiry?

Shri Raj Narain. Whatever the hon. Member says is correct.

Shrimati Mrinal Gore: Sir, my question has not been replied to. There against whom allegations were levelled are instituting the enquiry. Is it proper? What happened to the assurance given by the Minister that he himself will constitute the enquiry?

Shri Raj Narain: I am alive to and aware of the assurance given to the House by me. The Managing Committee of the Red Cross Society have asked Mr. Subimal Datt, the former foreign Secretary and the former Central Vigilance Commissioner to conduct priliminary enquiry. He is a responsible man. And even after that some scope of enquiry is left; we will certainly conduct it.

Shrimati Mrinal Gore: I am not concerned with Mr. Subimal Datt. I had asked only whether those, against whom allegations were levelled are instituting the enquiry?

अध्यक्ष महोदय : : वह कहती हैं कि कतिपय सदस्यों के विरुद्ध आरोप हैं । उनका प्रश्न सादा है कि क्या कोई जांच हो रही हैं ?

श्री राजनारायण : प्रश्न भी सरल नहीं और उत्तर भी सरल नहीं है । रेडक्रास की सारी फाइलों को देखने के बाद और सब बातें सुनने के बाद प्रबन्ध समिति ने दत्त कमेटी से जांच के लिए कहा है ।

श्री के० विजयभास्कर रेड्डी : मैं उसी क्षेत्र से आया हूं । कई देश मदद करने को तैयार हैं । सहायता उचित लोगों को नहीं मिल रही । उसे समन्वित किया जाना चाहिये । सारी मदद राज्य सरकार के माध्यम से दी जाये ।

Shri Raj Narain: I need not say anything about the manner the State Government tackled the situation arising out of natural calamity. The State Government has not worked properly.

(Interruptions)

Shri Chandra Shekhar Singh: Why do they not accept the truth. The Government of Andhra Pradesh has not acted as it should have been.

(Interruptions)

श्री के० लकप्पा : मंत्री जी सम्बन्धित बात कहें । वह आरोप नहीं लगा सकते ।

(Interruptions)

कुछ सदस्य * *

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही में शामिल न किया जाये । प्रश्न यह है कि क्या सहायता राज्य सरकार के माध्यम से दी जायेगी । आप उत्तर दीजिये ।

श्री के० लकप्पा : मंत्री जी सम्बन्धित बात कहें । वह आरोप नहीं लगा सकते :

Shri Raj Narain: The hon. Member should have shown this anxiety for the cyclone affected people in the State instead of showing it here. The Registrar of Societies is not under our control.

(Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही में शामिल न किया जाये कुछ माननीय सदस्य : * *

Machinery for expansion of Bhilai and Bokaro lying unused

*510. **Shri Bhanu Kumar Shastri:** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether machinery and other material worth crores of rupees intended for the expansion work of Bhilai and Bokaro Steel Plants are lying unused in the yard; and

---

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया गया ।

**Not recorded.

(b) if so, the reasons therefor and action being taken against the persons responsible for wrong planning?

The Minister of Steel and Mines (Shri Biju Patnaik): (a) A total of about 30,000 tonnes of equipment has been received at site at Bokaro and is awaiting erection. In the case of Bhilai the total tonnage of such material is about 16,000 tonnes.

(b) While undertaking execution of large projects, procurement of equipment and material has to be arranged keeping in view several factors, like the lead time required for procurement time needed for further processing, the construction and commissioning schedule etc. In such procurement, especially in the case of big projects like Bokaro and Bhilai, it some-times becomes necessary to obtain and keep in storage some of the materials so as to ensure that it is readily available and there is no hold up in the construction work.

Shri Bhanu Kumar Shastri: Sir, why his Ministry is trying to hide the facts from this House. The reply is not relevant to the question.

श्री बीजू पटनायक : उनका आरोप है कि मैने उत्तर नहीं दिया। लेकिन मैंने तो विशेष रूप से उत्तर दिया है। प्रश्न के (क) भाग के उत्तर में मैंने कहा है कि बोकारों में 30,000 टन और भिलाई में 16,000 टन पड़ा हुआ है। भाग (ख) में कारण पूछे गये हैं और मैने कारण बताये हैं।

Shri Bhanu Kumar Shastri: I have asked about the value of which machinery and other material are lying unused and you have replied that certain machinery is awaiting election. I am asking about the value and you have replied 30,000 tonnes. The Ministry have become habitual of replying wrongly to questions.

One tractor which is name dto "Tiger 120" costin gabout 3 lakhs rupees is lying idle. It has run only for 160 hours. International tractors with 40 tonnes capacity are lying unused .

अध्यक्ष महोदय : आप सभा पटल पर वक्तव्य रख सकते हैं। आप प्रश्न पूछिये।

Shri Bhanu Kumar Shastri: There are only 3 or 4 points. Had it been a long list I would have laid it on the Table. New cranes worth lakhs of rupees are lying idle in the crane section. Our employees are sitting idle. B.B.C. has been given contract for loading and unloading whereas our workers have no work. Is it proper? Turning and Shaping Centres are resting. We are loosing crores of rupees. This sort of mismanagement is found in Bhilai. Will you take steps to remove it?

श्री बीजू पटयाक : मैंने टनों में इसलिये उत्तर दिया ताकि पूरा उत्तर दिया जा सके। रुपयों में उत्तर से ठीक पता नहीं चल सकता। भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए 1,65,000 टन का क्रयादेश दिया गया था जिसमें से 1,32,000 टन का काम अक्तूबर, 1977 के अंत तक कर दिया गया था।

उसमें से 25,500 टन सप्लाई किया गया है और 1 लाख टन और आना है। सदस्य महोदय ने अप्रयुक्त शब्द का प्रयोग किया हैं। लेकिन अप्रयुक्त कोई चीज नहीं। यह तो निर्माण को लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। पुर्जों और मशीने आनी होती है इसलिए कुछ मशीनों का प्रयोग नहीं हो पाता। यदि 1000 करोड़ रुपये के संयंत्र में 40 करोड़ रुपये की मशीन अस्थायी रूप से पड़ी होने पर सदस्य इतने चिंतित हैं तो मैं कहूंगा कि छोटी बातें सोच ने से बड़ी परियोजनाए नहीं बनती।

श्री कंवर लाल गुप्त : मंत्री जी ने प्रश्न का उत्तर उचित रूप से नहीं दिया। उन्होने प्रश्न करने वाले सदस्य पर आक्षेप किया है।

Shri Bhanu Kumar Shastri: Our many Members have visited the Plant and they can testify that Tiger 120 tractor is lying idle.

श्री बीजू पटनायक : केवल मैं ही वहां नहीं जाता। मंत्रालय को सलाहकार समिति भी वहां जाती है। सदस्य महोदय भी हमारे साथ चल सकते हैं।

Shri Bhanu Kumar Shastri: I am giving you facts. Many machines not only in Bhilai but in Hindustan Zinc Limited, Udaypur also, are lying idle. In Bhilai there is an Ashphalt Plant and a road finisher. They have not been used. There are only three road finishers and Ashphalt Plants in the whole country and one of them is in Bhilai. This was used for construction of roads in Ladakh during Indo-China war. Now the contractors were given contract for road construction. Will the hon. Minister constitute an enquiry against the guilty officers?

श्री बीजू पटनायक : सदस्य महोदय ने अपना उत्तर स्वयं ही दे दिया है। भारत चीन युद्ध के समय खरीदी गई मशीनरी को अब तक जंग लग चुका होगा क्योंकि मशीनें आम तौर पर आठ-नौ साल चलती हैं। यदि कुछ ठेकेदार उसका प्रयोग करना चाहते हैं तो मुझे आपत्ति नहीं।

SHRI BHANU KUMAR SHASTRI: If the material is not utilised, will it not get rusted?

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि उनके पास कोई जानकारी नहीं है और वह मामले की जांच करेंगे।

Shri Yuvraj: Our National Policy is that nothing will be done by which the workers doing a particular poj will be rendered jobless. Whether contrary to this computer machines worth crores of rupees are lying there and installation of which will render thousands of workers jobless? Whether the hon. Minister is aware of this fact?

श्री बीजू पटनायक : कुछ सेक्शन ऐसे हैं जहां कुछ मशीनें कच्चे माल की चुनाव करने तथा उन्हें जुटाने के लिये आवश्यक होती है; यह विद्युत उपकरण उत्पादन के लिये आवश्यक है। वहां मानवशक्ति से काम नहीं चल सकता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : परन्तु इसका कभी भी उपयोग नहीं किया गया है।

श्री बीजू पटनायक : इसका उपयोग किया जा रहा है; यह सही नहीं है।

श्री के० लकप्पा : ये दो मुख्य इस्पात उत्पादन केन्द्र हैं। माननीय सदस्य ने कहा है कि करोड़ों रुपये का सामान बेकार पड़ा हुआ है और व्यवस्था ठीक नहीं है ताकि इन उपकरणों का सही उपयोग हो सके। प्रश्न का दूसरा भाग था: गलत आयोजन करने के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है? माननीय मंत्री ने उत्तर दिया कि यह एक सतत प्रक्रिया है। माननीय मंत्री ने बेकार पड़े सामान की कीमत भी नहीं बताई है। सामान बेकार पड़ा हुआ है अर्थ गलत आयोजना जिसका क्या गलत आयोजना के कारण करोड़ों रुपये का सामान बेकार पड़ा हुआ है? मंत्री जी यह सुनिश्चित करें कि यह मुख्य इस्पात उत्पादन केन्द्र ठीक प्रकार से काम करे।

श्री बीजू पटनायक : मैं सदन को बताना चाहता हूं कि भिलाई का विस्तार 1976 तक पूरा हो जाना चाहिये था। आपने उस आयोजना के आधार पर मशीनरी का आयात किया था। आपने विकास के धन की व्यवस्था नहीं की थी। अब यह 1981 में पूरा होगा।

Shri Mohan Bhaiya Jain: I wrote a letter to the Minister of Steel and Mines in July, 1977. I got a reply thereby on 10th August, 1977 from the Secretary to the Minister stating therein that the hon. Minister is out on tour and the letter in question will be placed before him on his return from tour. I feel the letter has not been placed before him at all. There is no fault of his. I had given details about item 1 to 14 in the said letter. I tried several times to ascertain why this material is lying idle. I had also written another letter stating therein that 7000 workers used to work in the Constiution Deptt. of Bhilai. They used to get Rs. 700/- per tonne for Structural fabrication. This job has been given to contractors through H. S. C. L. and they charge Rs. 1700-2200 per tonne. This deal was concluded during the Congress regime Thousand of rupees were recovered in the form of donations from contractors during the elections. The contractors used to get this work done through others at Rs. 700—1500 per tonne. This resulted in loss of crores of rupees. I want to know whether the hon. Minister will get this matter investigated and strict action will be taken against guilty persons no matter whether they belong to previous government.

श्री बीजू पटनायक : माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में कई बार मुझसे चर्चा की है। पिछली सरकार के पापों का भंडाफोड़ हो रहा है और मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि मैं स्थिति को सुधारने के लिये भरसक प्रयास करूंगा और हिन्दुस्तान स्टील कन्स्ट्रक्शन कम्पनी या अन्य अधिकारियों और ठेकेदारों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच करूंगा। एक बार दिये गये ठेकों को रद्द नहीं किया जा सकता। अन्यथा काम में और देरी होगी और लागत में भी वृद्धि होगा। अतः हम आवश्यक कार्यवाही करेंगे माननीय सदस्य सलाहकार समिति के सदस्य हैं। समिति की बैठक जनवरी के अन्त में भिलाई में हो रही है और हम वहां पर सभी पहलुओं पर विचार करेंगे।

Shri Raghavji: An hon. Member wrote a letter to the hon. Minister in July, 1977 stating therein that machinery worth of crores of rupees is lying idle but the hon. Minister has stated in his reply that if the matter is brought to his notice, it will be investigated into. Whether he has received that letter and if received, why he did not get the matter inquire into?

श्री बीजू पटनायक : मुझे शिकायत के बारे में याद नहीं है। यदि सदस्य मुझे स्मरण करायें तो मैं इसकी निश्चय ही जांच करूंगा।

Provision of Telephones to villages having more/less than 5,000 population

*511. **Shri Ramji Lal Suman:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether he has made a declaration that those villages which have a population upto 5,000 and have Post Offices would be provided telephone facilities;

(b) whether the villages which do not have the populatio nof 50,000 would also be provided telephone facilities; and

(c) if so, the time by which the facilities would be provided?

The Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai): (a) and (b) A jolicy decision has been taken by the Government to provide telephone (P.C.O.) facility at all places having a population of 5,000 or more in ordinary areas. In hilly and backward areas, telephone facilities will be provided in all villages with a population of 2,500 or more. In smaller villages,

the facilities will be provided at the following categories of places, if the anticipated revenue is more than 25 per cent of the annual recurring expenditure (ARE) in ordinary areas, 15 per cent of

(i) Places having Police Stations under the charge of an officer of the rank of a Sub-Inspector of Police or above;

(ii) Out of the way places (not having a telephone exchange within a radius of 40 Kms.);

(iii) Tourist/Pilgrim centres; and

(iv) Agricultural/Irrigation/Power Project sites/townships.

(c) Telephone facilities at the above places will be provided according to a phased programme in the coming five years.

Shri Ramji Lal Suman: The hon. Minister has stated that a policy decision has been taken by the Government to provide telephone (P.C.O.) facility at all places having a population of 5,000 or more in ordinary areas. I would like to ask the Minister whether villages having a population of less than 5,000 but are having Post Offices or Sub-Post Offices, will be deprived of telephone facility according to above policy decision? I have no hesitation to say that in rural areas the police do not have adequate equipment to control crimes. There is no telephone facility in the Police Stations there. Whether telephone facility will be provided in these Police Stations? Whether telephone facilities are proposed to be provided at places having to telephone exchange within a radius of 100 Kms.?

Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai: According to our policy we purpose to provide telephone facility from the State capital to District; from district to sub-division; from sub-division to Tehsil and from Tehsil to Block. Question of population does not arise in this respect. The question of population will be considered only at places where there is no Station Officer at Police Stations and where there is no telephone exchange within a radius of 40 Kms. Besides, we propose to provide telephone facilities on the basis of population at places having irrigation, tourism, agricultural or power projects.

Ramji Lal Suman: What redical steps are proposed to be taken to provide telephone facility in rural areas where such facility is not available at all? This facility should be provided as early as possible. I may also add that telephone system is very faulty throughout the country. Telephone connections of M.Ps. remain out of order throughout the day. Whether any radical steps are proposed to be taken to set right the telephone system throughout the country?

The Minister of Communications (Shri Brij Lal Verma): There is no telephone connection in Distt. Headquarters even after 30 years of Independence.

An hon. Member: How many such districts are there?

Shri Brij Lal Verma: There are five districts, 91 Sub-divisional Headquarters, several tehsil and sub-tehsil headquarters where no telephone facility has been provided. Hence we have adopted certain norms under which we propose to provide telephone facilities at all the important places within a period of 2 years.

Shri Ramji Lal Suman: There is no co-ordination between the reply given by the Dy. Minister and the reply given by Shri Verma. The Minister of State has stated the period 5 years whereas Shri Verma has given the period as 2 years.

अध्यक्ष महोदय : वह प्रश्न का उत्तर पहले ही दे चुके हैं ।

डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या 1978 में कोई श्वेत-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा जिसमें यह बताया गया हो कि किन क्षेत्रों में टेलीफोन लगाये जायेंगे ।

श्री बृज लाल वर्मा : दो वर्षों के भीतर हम लम्बी दूरी के 4,000 टेलीफोन लगा रहे हैं और सभी मुख्यालयों, प्रशासनिक मुख्यालयों में टेलीफोन लगाये जायेंगे ।

Shri Mohd. Shafi Qureshi: On the basis of rules framed for backward and hill areas Ladakh will never get telephone facility as the question of population is also involved. Whether some separate rule will be framed to provide telephone facility in the areas which are large but are having less population?

Shri Brij Lal Verma: Rules have been framed to provide telephone facility at places having less population.

Shri Mohd. Shafi Qureshi: It is a strategic area having less population. Something should be done for it also.

Shri Brij Lal Verma: We are doing so for this area also.

Shri Phirangi Prasad: I have come to know that material is not available in many divisions where telephone poles are proposed to be set up. I have also come to know that your department propose to enter into contract with the Forest Deptt. to procure wooden poles. I want to know whether arrangements will be made to ensure supply of suitable material?

Shri Brij Lal Verma: We have got material and everything is being done at departmental level and not through contractors.

(प्रश्नकाल समाप्त हुआ)

(Question Hour Over)

अध्यक्ष महोदय : अब हम अल्प सूचना प्रश्न लेंगे ।

Shri Ram Dhari Shastri (Padrauna): Mr. Speaker, Sir, kindly listen to my submission regarding prices of sugar cane. It should be taken up under Rule 193 (*Interruptions*).

अध्यक्ष महोदय : हमें प्रक्रिया का पालन करना है । यदि हर माननीय सदस्य बोलने लगा, तो कार्यवाही कैसे चलेगी । इस मामले पर सभा में विचार-विमर्श कर लिया गया है तथा मैंने नियम 377 के अधीन वक्तव्यों की अनुमति दे दी है । (**व्यवधान**) . . . कार्यवाही वृतान्त में शामिल न किया जाये ।

Dr. Laxminarayan Padeya:——

Shri Surendra Bikram:——

---

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया ।

*Not recorded.

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

भारत द्वारा उगाण्डा को मिग विमानों के पुर्जों और स्वचालित हथियारों की सप्लाई

अ० स० प्रश्न सं 7. श्री बयालार रवि : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान एक विदेशी जर्नल "सन्डे न्यूज" में हाल ही में प्रकाशित इस समाचार की ओर गया है कि भारत मिग विमानों के पुर्जे और अनेक प्रकार के स्वचालित हथियार तथा गोला बारूद उगांडा को सप्लाई कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उगांडा को की जाने वाली उक्त हथियारों की सप्लाई की शर्तें क्या हैं और कितने मूल्य के हथियारों की सप्लाई की जा रही है ;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि इस प्रकार की सप्लाई से हुई विदेशी मित्र सरकारों में चिन्ता पैदा हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) भारत द्वारा उगांडा को सैनिक हथियारों की सप्लाई करने के कुछ कथित सौदों संबंधी कुछ विदेशी समाचारपत्रों में प्रकाशित कुछ समाचारों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है। भारत सरकार ने उगांडा को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से न तो सैनिक सामान बेचा है और न ही ऐसा करने का कोई प्रस्ताव है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) और (घ) उपरोक्त मामलों में उन केन्द्रों पर, जहां ये समाचार प्रकाशित हुए, इन समाचारों के बारे में खंडन किया है ।

श्री बयालार रवि : मुझे खशी है कि विदेशी पत्रों छपी खबरों का मंत्री जी ने स्पष्ट खडन किया है । विदेशों में हमारे देश को बदनाम करने के जान बूझ कर प्रयत्न हो रहे हैं। मित्र देशों विशेषकर भारत के मित्र देशों के बीच गलतफहमी पैदा करने का कई विदेशी शक्तियां प्रयत्न कर रही हैं। उगांडा की समस्या बहुत नाजुक समस्या है विशेषकर ब्रिटेन-वालों के लिए। 'संडे टाइम्स' में छपे समाचार ......

श्री जगजीवन राम : आप उसका प्रचार क्यों करते हैं ।

श्री बयालार रवि : मैं मानता हूं। मैं मंत्री जी से स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि विदेशों से हमारी सुरक्षा के लिए प्राप्त सामग्री किसी अन्य देश को न दी जायगी और हमारे देश में तैयार हथियारों कों भी युगांडा आदि देशों को न दिया जायगा।

श्री जगगीवन राम : मैंने पहले ही कहा है कि उगांडा को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप कुछ बेचने का कोई प्रस्ताव नहीं। जहां ऐसे समाचार छपें हैं वहां भी सरकार ने उनका खण्डन किया है। भविष्य में भी उगांडा को कुछ बेचने का कोई इरादा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : : यह आपकी संतुष्टि के लिए पर्याप्त होगा।

श्री वयालार रवि : भारत ने अपने छोटे शस्त्रास्त्रों को बेचने के लिए कई देशों के साथ समझौता किया है । इस बारे में देश में तैयार छोटे शस्त्रास्त्रों को बेचने के बारे में सरकार की नीति क्या है और क्या कसौटी नियत की गई है ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न से उसका कोई संबंध नहीं।

श्री के० गोपाल : भारत को बदनाम करने का यह कुछ देशों का यह सुनियोजित प्रयास है। मुझे खुशी है कि मंत्री जी ने इन खबरों का खडंन किया है। जब हमें मिग आदि के फालतू पुर्जे सोवियत संघ से मिलते हैं तो क्या हमें उन्हें अन्य देशों को बेचने का हक है ?

अध्यक्ष महोदय : यह समझौते पर निर्भर है ।

श्री के० गोपाल : मिग की बात छोड़िये । जब हम कोई तकनीकी जानकारी लेते हैं तो क्यां हमें उससे बचने का हक है ?

अध्यक्ष महोदय : इस के मूल प्रश्न का सम्बन्ध नहीं ।

डा० सुब्राहमण्यम स्वामी : मंत्री जी द्वारा इन खबरों के खडंन से मुझें खुशी हुई है। यह बात किसी नीति पर ही आधारित है। इन्टरनेशनल इस्टीट्यूट आफ स्ट्रेटिजिक स्टडीज के अनुसार भारत हथियारों का मुख्य निर्यातक देश बन गया है। क्या मंत्री जी बतायेंगें कि उगांडा को शस्त्र न देने के बारे में सरकार की नीति क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : किस नीति के आधार पर सरकार ने हथियार नहीं दिये हैं ।

डा० सुब्राहमण्यम स्वामी : युगांडा को इन्कार किया गया है। मुझे उस बारे मे नीति संबंधी जानकारी लेने का हक है ।

अध्यक्ष महोदय : नीति यह है कि उगांडा को हथियार न दिये जायें ।

डा० सुब्राहमण्यम स्वामी : लेकिन क्यों ? क्या हम भयभीत हैं (**व्यवधान**) मंत्री जी उत्तर दें ।

अध्यक्ष महोदय : : क्या इसमें कोई नीति है अथवा कोई तदर्थ निर्णय लिया गया है ?

श्री जगजीवन राम : राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के हित में ऐसा किया गया है ।

Shri Ugra Sen: Whether the hon. Minister has any information that the previous Government had written any letter to the Ugandan Government for supply of Mig spares etc. during the days when freedom movement was being supressed there?

Shri Jagjivan Ram: Has the hon. Member any information?

Shri Kanwar Lal Gupta: Whether the Ugandan Government had directly or indirectly approached the Indian Government for the purchase of spares etc.

Shri Jagjivan Ram: There is nothing factual in it?

श्री सौगत राय : मंत्री जी ने युगांडा को हथियार न देने की बात पहले ही कही है। फासिस्टवादी लोगों का उगांडा में शासन है जो एशिया के लोगों तथा भारतीयों पर जुल्म करता है। यदि उस सरकार के विरुद्ध आजादी की लड़ाई लड़ी गई तो क्या सरकार शस्त्र सहायता देगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह बात पैदा होने पर विचार किया जायेगा।

श्री जगजीवन राम : यह काल्पनिक प्रश्न है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTION

भविष्य निधि संगठन को उद्योग घोषित किया जाना

*512. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक उच्च न्यायालय ने वर्ष 1973 में यह निर्णय दिया था कि भविष्य निधि संगठन एक उद्योग है और सरकार को इस निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील करनें की अनुमति नहीं दी गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भविष्य निधि संगठन को भूतलक्षी प्रभाव से उद्योग घोषित करने का है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) कर्नाटक उच्च न्यायालय, बंगलौर ने, सिविल रिविजन पिटीशन संख्या 586/1973 (श्री एस० मरीस्वामी बनाम मैसूर में ट्रेड यूनियनों के रजिस्ट्रार) का फैसला करते हुए, यह निर्णय दिया कि चूंकि भविष्य निधि संगठन का कार्य 'उद्योग' है, इसलिए यूनियनों के सदस्यों को, जो इसके कर्मचारी हैं, 'कर्मकार' मानना होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले में दायर की गई विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया।

(ख) चूंकि औद्योगिक विवाद अधिनियम में ऐसा कोई उपबंध नहीं है, जिसने सरकार को किसी प्रतिष्ठान या संगठन को 'उद्योग' घोषित करने का अधिकार दिया गया हो, इसलिए यह प्रश्न ही नहीं उठता।

डा० मोहम्मद इकबाल के सम्मान में डाक टिकट जारी करना

*513. **श्री सौगत राय** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महान उर्दू शायर अलामा डा० मोहम्मद इकबाल के सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ग) क्या यह डाक टिकट जन्म शताब्दी समारोह वर्ष में, जो देश में इस समय मनाया जा रहा है, जारी किया जा सकता है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई) : (क) जी हां।

(ख) यह प्रस्ताव फिलैटली सलाहकार समिति की अगली बैठक में उसके विचारार्थ फिर से रख दिया जाएगा।

(ग) समिति की बैठक होने के बाद ही इसकी जानकारी दी जा सकती है।

कारखानों में आदिवासियों के लिये श्रमिकों के रूप में स्थानों का आरक्षण

*514. **श्री राजे विश्वेशर राव:** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कारखानों में आदिवासियों के लिये श्रमिकों के रूप में स्थानों का आरक्षण करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित किये जायगे ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : कारखानों में आदिवासियों के लिए श्रमिकों के रूप में स्थानों का आरक्षण संबंधी विवरण।

(क) और (ख) : उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, गैर-सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों में रोजगार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति समुदायों के सदस्यों को प्रतिनिधित्व देने के प्रश्न की कुछ समय पहले उस मंत्रालय में जांच की गई थी। यह प्रश्न अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के कल्याण पर संसदीय समिति द्वारा की गई टीका-टिप्पणियों से उत्पन्न हुआ था । इस मामले में लिए गए निणर्य के फलस्वरूप उद्योगों के निदेशकों, तकनीकी प्राधिकारियों तथा चैम्बर आफ कामर्स और इन्डस्ट्री के तत्वधान में गैर-सरकारी क्षेत्र उपक्रमों को एक अपील जारी की गई थी कि वे यह सुनिश्चित करें कि गैर-सरकारी उपक्रमों में ऐसे समुदायों के सदस्यों के रोजगार में वद्धि हो।

सरकारी उद्यम ब्यूरों, वित्त मंत्रालय ने भी संबंधित प्रशासनीय मंत्रालयों के माध्यम से सरकारी नियंत्रण के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को यह निर्देश जारी किए हैं कि वे केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में किए गए आरक्षणों के आधार पर अपनी सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति समुदायों के लिए आरक्षण करे।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम की तरह कर्मचारी भविष्य संगठन के विभागाध्यक्ष के रूप में आई० ए० एस० अधिकारी की नियुक्ति

*516. **श्री उग्रसेन :**

श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम दो समान संगठन हैं और औदयोगिक श्रमिकों के कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा विभागों के रूप में कार्य कर रहे हैं ;

(ख) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम का विभागाध्यक्ष भारत सरकार के सचिव के दर्जे का होता है जबकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का विभागाध्यक्ष एक अत्यन्त कनिष्ठ अधिकारी होता है और उसका दर्जा मुश्किल से भारत सरकार के उप-सचिव का होता है ; और

(ग) यदि हां, तो अखिल भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि स्टाफ संघ की मांग के अनुसार इसके कार्य-कलापों को सही दिशा देने के लिए इस संगठन के विभागाध्यक्ष के रूप में आई०ए०एस० अधिकारी को अब तक नियुक्त न करने के क्या कारण हैं ?

श्रम और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) :

(क) कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थापना कर्मचारी राज्य बीमा योजना के प्रशासन के लिए की गई है और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कर्मचारी भविष्य निधि योजना, कर्मचारी परिवार पेंशन तथा जमा संबद्ध बीमा योजनाओं का प्रशासन करता है।

(ख) महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम भारत सरकार के सचिव के दर्जे का अधिकारी नहीं है, 3500 रुपए का वेतन उन्हें वैयक्तिक रूप में दिया गया है। केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का वेतनक्रम 2000 रुपए से 2250 रु० है।

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि (आयुक्त) भर्त्ती नियमों के अनुसार, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पद को प्रोन्नति द्वारा भरना होता है, ऐसा न हो सकने पर यह पद भारतीय प्रशासनिक सेवा या केन्द्रीय सचिवालय सेवा या केन्द्रीय सेवा श्रेणी—1 से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा भरा जाता है। यह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया था।

संकटग्रस्त औद्योगिक एककों को बोनस के भुगतान से छूट दिया जाना

*517. **श्री चित्त बसु :**
श्री अहमद एम० पटेल :

क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल के महीनों में बोनस के भुगतान के मामले पर समूचे देश में औद्योगिक श्रमिकों द्वारा कितनी औद्योगिक कार्यवाहियां की गई ;

(ख) क्या सीमांत तथा संकटग्रस्त औद्योगिक एककों को बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 1977 के प्रभाव से छूट देने से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धांत राज्य सरकारों को भेजे गए थे ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) : बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 में सितम्बर, 1975 में जारी किये गये एक अध्यादेश, जिसका स्थान बाद में संसद के एक अधिनियम ने ले लिया, के द्वारा किए गए संशोधनों के विरुद्ध अभ्यावेदन किए गए थे। बोनस के प्रश्न पर। अशांति हुई थी, परन्तु इस प्रश्न को लेकर श्रमिकों द्वारा की गई औद्योगिक कार्यवाहियों की संख्या के बारे में पूर्ण जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग): जी, नहीं। यह निणय लिया गया कि इस विषय पर कोई मार्ग-दर्शी सिद्धांत जारी न किए जाएं तथा छट प्रदान करने का प्रश्न कानून के ढांचे के अन्तर्गत 'समुचित सरकारों' के विवेक पर छोड़ दिया जाए।

उड़ीसा और बिहार में भूविज्ञान और खनन विभागों द्वारा किया गया सर्वेक्षण

*518. **श्री के० प्रधानी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा और बिहार राज्यों में भूविज्ञान और खनन विभागों के विशेषज्ञों ने कोई सर्वेक्षण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप किन मूल्यवान खनिजों का पता चला है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी हां।

(ख) उड़ीसा के क्योंकर, कटक और कोरापुट जिलों में तथा बिहार के सिंहभूम जिले में सोने के छिटपुट भंडारों का पता चला है।

इंजीनियरी तथा उपकरण (इंस्ट्रूमेंटेशन) उद्योगों में समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 का लागू किया जाना

*519. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) किन किन उद्योगों ने समान काम के लिये समान वेतन का सिद्धान्त लागू किया है ;

(ख) क्या इंजीनियरी और उपकरण उद्योग इस योजना के अन्तर्गत आ चुके हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो यह सिद्धान्त इन उद्योगों में कब लागू किया जायगा ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) (क) से (ग) : समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 को, जिसमें पुरुष और महिला श्रमिकों को समान कार्य या समान प्रकार के कार्य के लिए समान पारिश्रमिक के भुगतान की व्यवस्था की गई है, निम्नलिखित 21 रोजगारों के संबंध में अभी तक लागू किया गया है :—

1. बागान (बागान श्रम अधिनियम, 1951 के अधीन आये) ।
2. स्थानीय प्राधिकारी ।
3. केन्द्रीय और राज्य सरकारें ।
4. अस्पताल, उपचार गृह और औषधालयों ।
5. बैंक, बीमा कम्पनियां और अन्य वित्तीय संस्थान ।
6. शैक्षिक, अध्यापन, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान ।
7. खान ।

8. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कोयला खान भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम ।

9. भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भांडागार निगम और राज्य भांडागार निगम ।

10. वस्त्रों और कपड़े से बनी वस्तुओं का निर्माण ।

11. बागानों में स्थित कारखानें ।

12. विद्युत और इलक्ट्रोनिक मशीनरी, साधित्रों और उपकरणों का निर्माण ।

13. रसायन और रासायनिक वस्तुओं का निर्माण (पेट्रोलियम और कोयला के उत्पादों को छोड़कर) ।

14. भूमि और जल परिवहन ।

15. खाद्य वस्तुओं का उत्पादन ।

16. अन्य निर्माणकारी उद्योग ।

17. बिजली, गैस और जल ।

18. थोक और खुदरा व्यापार ।

19. निर्माण तथा निर्माण से सम्बद्ध कार्य ।

20. कृषि तथा कृषि से सम्बद्ध कार्य ।

यह देखा जा सकता है कि इंजीनियरी और इन्स्ट्रूमेन्टेशन सेवाएं पहले ही अधिनियम के अधीन आ गई हैं ।

आर्थिक कार्य कलापों के अन्य क्षेत्रों में, जहां महिलाएं नियोजित हैं, अधिनियम को चरणात्मक रूप से लागू करने का प्रस्ताव है ।

ग्रामीण श्रमिकों का स्वास्थ्य बीमा

*520. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक श्रमिकों की कर्मचारी राज्य बीमा योजना की तरह ग्रामीण श्रमिकों के स्वास्थ्य बीमा के लिए कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) और (ख): सरकार यह देखने के लिए उत्सुक है कि सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य बीमा के लाभ ग्रामीण श्रमिकों को भी पहुंचे और कर्मचारी राज्य बीमा योजना का ग्रामीण श्रमिकों तक विस्तार करने की सम्भावना की जांच कर रही है, यद्यपि कोई विशेष प्रस्ताव अभी तैयार नहीं किया गया है ।

Foreign Hindi Writers

521. Shri Daya Ram Shakya: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether, in order to encourage the use of Hindi in foreign countries, a Committee was constituted to honour foreign Hindi writers; and

(b) if so, the number of foreigners honoured so far and the countries to which they belong?

The Minister of External Affairs (Shri Atal Bihari Vajpayee): (a) and (b). Yes. Sir. An Award Committee to honour foreign Hindi writers was constituted on 22 December 1975 by the Sub-committee of the Kendriya Hindi Samiti. No person has been selected for the award so far, but the Kendriya Hindi Samiti has recently been reconstituted and steps are being taken to reconstitute the Award Committee to finalise its recommendations.

तमिलनाडु, केरल तथा आन्ध्र प्रदेश में समुद्री तूफान के कारण संचार व्यवस्था को हुई हानि

*522. **श्री० आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु, केरल तथा आन्ध्र प्रदेश में, हाल ही के समुद्री तूफान के कारण संचार व्यवस्था को अत्याधिक हानि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों में संचार व्यवस्था को कुल कितनी क्षति पहुंची ; और

(ख) इस की मरम्मत के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई) : (क) जी हां, तमिल नाडु और आन्ध्र प्रदेश में संचार प्रणाली को बहुत भारी क्षति पहुंची है। प्रारम्भिक अनुमान के अनुसार, तमिलनाडु में 15 लाख रुपये और आन्ध्र प्रदेश में 60 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। केरल में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है ।

(ख) इन राज्यों की संचार प्रणालियों को हुई कुल क्षति का ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है :—

तमिलनाडु : नागपतनम नगर की ट्रंक संचार व्यवस्था पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई थी। श्रीरंगम का 300 लाइनों का ओटों एक्सचैंज पूरी तरह बाढ़ के पानी में डूब गया था । तंजाबूर, त्रिची और कुडडालूर और सेलम डिवीजनों में बाढ़ और तूफान से करीब 7500 टेलीफोन लाइनें खराब हो गई थी ।

आन्ध्र प्रदेश : लगभग 8,000 किलोमीटर खुली तार लाइनों और 48,000 किलोमीटर तार को क्षति पहुंची थी। इससे खुले तार की संचार व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई थी। 22,238 स्थानीय टेलीफोन और 167 एक्सचैंज जिनमें 34 केन्द्र (और बड़े एक्सचैंज) और देहाती इलाकों के 133 छोटे आटो मैटिक एक्सचैंज (एस० ए० एक्स०) भी शामिल हैं, ठप्प हो गए थे। देहाती इलाकों के संचार सर्किट मुख्य रूप से खुली तार लाइनों पर काम करते हैं। इनको सबसे अधिक नुकसान हुआ था। फलस्वरुप बहुत से देहाती इलाकों के लिए दूरसंचार की सुविधाएं कट गई थीं ।

केरल : केरल में सिर्फ कालपनी द्वीप, लक्षद्वीप के बेतार स्टेशन के एंटेना को क्षति पहुंची थी ।

(ग) **तमिलनाडु** : वहां 12-11-77 को करीब 7,500 लाइनें खराब हो गई थीं। इनमें से करीब 6,400 लाइनें 23-11-77 को फिर से चालू कर दी गई थीं। बाकी लाइनें 30-11-77 को फिर से चालू की गई थीं। श्रीरंगम एक्सचेंज 17-11-77 को फिर से चालू कर दिया गया था। नागपतनम के लिए ट्रंक संचार व्यवस्था 19-11-77 को दुरुस्त कर दी गई थी। यह व्यवस्था अस्थायी तौर पर दुरुस्त की गई थी। इसे स्थायी रूप से दुरुस्त करने का काम चल रहा है।

आन्ध्र प्रदेश : वहां कुल 22,238 टेलीफोन खराब हुए थे। इनमें से 21,780 टेलीफोन पुनः चालू कर दिये गए हैं। 164 एक्सचेंज जिनमें 34 ट्रंक केन्द्र भी शामिल हैं फिर से चालू कर दिये गए हैं। सिर्फ 3 देहाती एक्सचेंजों को पुनः चालू करना शेष है। इन तीन छोटे आटोमैटिक एक्सचैंजों की ट्रंक लाइनें अस्थायी रुप से लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घरों (पी० सी० ओ०) में बदल दी गई हैं। यह काम अस्थायी आधार पर किया गया है। ट्रंक लाइनों को स्थायी रूप से पुनः चालू करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

केरल : कालपनी के बेतार स्टेशन की अस्थायी तौर पर मरम्मत पहले ही कि जा चुकी है।

मैसर्स स्वदेशी काटन मिल, कानपुर पर भविष्य निधि, परिवार पेंशन और क्षतिपूर्ति की बकाया राशि

*523. **श्री कल्याण जैन** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मैसर्स स्वदेशी काटन मिल, कानपुर, पर भविष्य निधि, परिवार पेंशन और क्षतिपूर्ति की कितनी धनराशि बकाया है ;

(ख) क्या इतनी बड़ी बकाया धनराशि और पुरानी गलतियों के बावजूद, न्यायालयों में विचाराधीन मामले और प्रस्तावित सारी कानूनी कार्यवाही को कोई भी बैंक गारंटी प्राप्त किए बिना ही कुछ राजनैतिक सिफारिशों के आधार पर, वापस ले लिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है, जो इसी प्रकार के अनेक मामलों में सक्रिय रुप से अन्तर्ग्रस्त है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) :

(क) कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :—

मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स लि०, कानपुर द्वारा भविष्य निधि परिवार पेंशन निधि, बीमा निधि अंशदानों तथा प्रशासनिक प्रभारों की बाबत देय राशियां इस प्रकार हैं :—

मास	भविष्य निधि	परिवार पेंशन	कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा अंशदान	प्रशासनिक प्रभार	
				कर्मचारी भविष्य निधि	कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
अगस्त, 77	431887.50	7168.50	कुछ नहीं	10153.35	कुछ नहीं
सितम्बर, 77	419411.00	6766.00	13800.00	9853.65	2800.00
अक्तूबर, 77	419411.00	6766.00	13800.00	9853.65	2800.00
नवम्बर, 77	419411.00	6766.00	13800.00	9853.65	2800.00
कुल	1690120.50	27466.50	41400.00	39714.30	8400.00

(अक्तूबर और नवम्बर, 1977 के महीने के संबंध में देय राशियों की गणना अनन्तिम आधार पर की गई है क्योंकि मिल ने संबंधित विवरणियां नहीं भेजी हैं) ।

मई, 1970 और जुलाई, 1976 के बीच कुछ महीनों के संबन्ध में देर से किए गए भुगतानों के सिलसिले में हर्जानों की बाबत लगभग 11.53 लाख राशि बाकी है।

(ख) इस मिल ने जुलाई, 1977 तक के भविष्य निधि अंशदानों का विधिवत् भुगतान कर दिया है। अगस्त और सितम्बर, 1977 के महीनों के संबंध में भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन की देय राशियों का भुगतान न कराये जाने के कारण, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने कलक्टर को लिखा है कि वह इस संबंध में 10,10,248 रुपये की वसूली भूराजस्व के बकाये के रूप में करें और कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम की धारा 7-क के अधीन इस प्रतिष्ठान को नोटिस जारी कर दिया गया है ताकि अक्तूबर, और नवम्बर, 1977 के महीनों के संबंध में भविष्य निधि की देय राशि का निर्धारण किया जा सके। यदि उसके बाद वे यह राशि जमा नहीं कराते तो कलक्टर को इस देय राशि को भूराजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने के लिये कहा जायेगा। अभियोजन चलाने के लिये कार्यवाही शुरू कर दी गई है। लम्बित या प्रस्तावित कानूनी कार्यवाहियों में से किसी भी कार्यवाही को वापिस लेने का कोई विचार नहीं है। विगत समय में जिन मामलों में अभियोजन दायर किये गये तथा वापस ले लिये गये थे, उन में भविष्य निधि की बकाया राशियां पूर्णतः जमा कराई जा चुकी हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कार्मिक संघों के नेतृत्व से राजनीतिक तत्वों का समाप्त किया जाना

*524. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि श्रमिक अशान्ति की वर्तमान लहर का मुख्य कारण संघों की पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनका विचार कार्मिक संघों के नेतृत्व से राजनीतिक तत्वों को दूर करने का है ;

(ग) यदि नहीं, तो श्रमिकों को राजनीति की भावना से प्रेरित कार्मिक संघ नेताओं का शिकार होने से बचाने के लिए उनका विचार किस प्रकार की अन्य कार्यवाही करने का है ; और

(घ) क्या इस सन्दर्भ में कानून बनाने की उनकी कोई योजना है ताकि कार्मिक संघ का नेतृत्व एक मात्र श्रमिक सदस्यों तक ही सीमित हो सके ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) हो सकता है कि इस श्रमिक अशांति का एक सहायक कारण संघो की पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता हो।

(ख) से (घ). ट्रेड यूनियनों में बाहरी व्यक्तियों के पदाधिकारी बनने से संबंधित प्रश्नों तथा अन्य सम्बद्ध मामलों के बारे में व्यापक औद्योगिक संबंध कानून तथा भारतीय श्रम सम्मेलन के गठन संबंधी त्रिपक्षीय रिपोर्ट में समाविष्ट विचारों को ध्यान में रखते हुए गौर किया जा रहा है।

ऊंट पर डाकघर

*525. **श्री एस० एस० सोमानी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान राज्य में, विशेष कर रेगिस्तानी क्षेत्रों में ऊंट पर डाकघर चलाने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई) : (क) और (ख). जी नहीं । बीकानेर जिले के मिठाडिया गांव में तारीख 27-10-77 को ऊंट पर एक डाकघर (चलता-फिरता विभागेतर शाखा डाकघर) पहले ही खोला जा चुका है । यह डाकघर दो गांवों अर्थात मिठाडिया और मोदायां को डाक-सेवा देता है ।

चाय-बागानों में समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1975 का लागू किया जाना

*526. **श्रीमती अहिल्या पी० शानेकर** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष 1975 में पारित किया गया समान पारिश्रमिक अधिनियम चाय-बागानों में महिला श्रमिकों को न्याय दिलाने में असफल रहा है जिनकी बागान-उद्योग में संख्या 46 प्रतिशत है; और

(ख) यदि हां, तो उसे कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) समान पारिश्रमिक अध्यादेश, 1965 को जिसे बाद में समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 द्वारा बदला गया, 15-10-1975 से बागानों पर लागू किया गया था । यह अधिनियम उस तारीख से बागानों पर पूर्णतया लागू है ।

(ख) सभी राज्य सरकारों/प्रशासनों से अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये समय-समय पर अनुरोध किया गया ।

संचार विभाग द्वारा समुद्री तूफान की चेतावनी

*527. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने इन आरोपों की जांच की है कि समुद्री तूफान से प्रभावित तमिलनाडू और आन्ध्र प्रदेश राज्यों ने संचार विभाग द्वारा जारी की गई चेतावनी की उपेक्षा की थी ;

(ख) यदि हां, तो जारी की गई चेतावनी का मुख्य ब्यौरा क्या है ;

(ग) राज्य सरकारें इसके लिए कहां तक जिम्मेदार थीं ;

(घ) क्या उनके मंत्रालय ने समुद्री तूफान तथा उसके लिए जारी की गई चेतावनी और राज्य सरकारों द्वारा उसकी उपेक्षा किए जाने के बारे में संबद्ध केन्द्रीय अधिकारियों को भी सूचित किया था ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई) : (क) भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने, समुद्री तूफान की चेतावनी जारी की थी। केन्द्रीय सरकार, आमतौर पर इसकी जांच नहीं करती कि ऐसी चेतावनी पर राज्य सरकारों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है।

(ख) आन्ध्र प्रदेश को प्रभावित करने वाले समुद्री तूफान की चेतावनी 17 नवम्बर, 1977 से लेकर वहां की भूमि पर तूफान आने की तारीख 19 नवम्बर, 1977 तक जारी की जाती रही। तमिलनाडु को 10 नवम्बर, 1977 से वहां की भूमि पर तूफान आने की तारीख 12 नवम्बर, 1977 तक समुद्री तूफान की चेतावनी दी जाती रही।

(ग) यथासंभव सभी प्रकार की एहतियात बरतने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है।

(घ) प्रभावित क्षेत्र में रेल, पत्तन आदि केन्द्रीय सरकार के विभागों के उन अधिकारियों को, जिनकी सूची भारतीय मौसम विभाग के पास थी, इस समुद्री तूफान की चेतावनी दी गई थी।

(ङ) सवाल पैदा नहीं होता।

उत्तर प्रदेश के रानीखेत में आयुर्वेदिक औषधियों का कारखाना

*528. **डा० मुरली मनोहर जोशी:** क्या **स्वास्थय और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के रानीखेत में आयुर्वेदिक औषधियों के कारखाने की स्थापना करने की परियोजना में कितनी प्रगति हुई है जैसी कि लोक सभा के बजट सत्र में घोषणा की गई थी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : संस्था के ज्ञापन और संस्था के अन्तर्नियमों को तैयार कर लिया गया है और उन्हें कम्पनी कार्य विभाग के परामर्श से अन्तिम रूप दिया जा रहा है। आशा है कि उपर्युक्त औपचारिकता शीघ्र ही पूरी कर ली जाएगी।

वर्ष 1977 के दौरान जारी की गई स्मारक डाक टिकटें

*529. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1977 के दौरान जारी किए जाने वाले विशेष स्मारक डाक टिकटों की सूची को अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका पूर्ण ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने इस सूची में अब तक गुजरात के अनेक प्रमुख भारत प्रसिद्ध तथा यहां तक कि विश्व प्रसिद्ध व्यक्तियों के नामों को शामिल नहीं किया है हालांकि इस संबंध में गुजरात के संसद् सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं ने बार-बार सुझाव और प्रस्ताव भेजे थे; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1977 में जारी किए गए और जारी किए जाने वाले डाक-टिकटों के कार्यक्रम की एक प्रतिलिपि संलग्न है ।

(ग) और (घ). निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार एक वर्ष में कुल जितने डाक-टिकट जारी किए जायें (24/25 डाक-टिकट से अधिक नहीं), उनमें से प्रसिद्ध व्यक्तियों पर जारी किए जाने वाले स्मारक डाक-टिकटों की संख्या 6 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसलिए गुजरात के सभी महापुरुषों के सम्मान में डाक-टिकट जारी करना संभव नहीं हो सका है।

विवरण

वर्ष 1977 के दौरान जारी किए जाने वाले स्मारक/विशेष डाक टिकटों का कार्यक्रम

क्र०सं०	डाक टिकटों का ब्यौरा	जारी करने की तारीख	डाक टिकटों की संख्या	मूल्य (पैसों में)
1	2	3	4	5
1.	VI अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह . .	3-1-77	1	200
2.	भूकम्प इंजीनियरी का छठा विश्व सम्मेलन .	10-1-77	1	200
3.	तरुण राम फुकन (जन्म शताब्दी)	22-1-77	1	25
4.	परमहंस योगानन्द क्षेत्रीय .	7-3-77	1	25
5.	पहला एशियाई रेड क्रास सम्मेलन/ . .	9-3-77	1	200
6.	फखरुद्दीन अली अहमद .	22-3-77	1	25
7.	एशियाई महासागरीय द्वीपसमूह डाकसंघ	1-4-77	1	200
8.	नरोत्तम मोरारजी (जन्म शताब्दी) . .	2-4-77	1	25
9.	माखनलाल चतुर्वेदी (कवि) .	4-4-77	1	25
10.	महाप्रभु वल्लभाचार्य . . .	14-4-77	1	100
11.	भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ की स्वर्ण जयन्ती . .	23-4-77	1	25
12.	विश्व पर्यावरण दिवस . .	5-6-77	1	200
13.	राज्य सभा (रजत जयंती) .	21-6-77	1	25
14.	फोनोग्राफ का आविष्कार (शताब्दी वर्ष) .	20-7-77	1	200
15.	आनन्द केंटिश कुमारस्वामी (जन्म शताब्दी)	22-8-77	1	25
16.	गंगाराम	4-9-77	1	25
17.	XXXII अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक कांग्रेस .	6-10-77	1	200
18.	डा० राम मनोहर लोहिया . .	12-10-77	1	25
19.	XV अंतर्राष्ट्रीय बाल चिकित्सा कांग्रेस .	23-10-77	1	200
20.	कित्तूर रानी चन्नम्मा . . .	23-10-77	1	25

1	2	3	4	5
21.	संघ लोक सेवा आयोग	8-11-77	1	25
22.	ऐग्रो एक्सपो–77	13-11-77	1	25
23.	बाल दिन	14-11-77	2	25,100
24.	सेनापति बापट	28-11-77	1	25
25.	महात्मा जोतीबा फुले	28-11-77	1	25
26.	अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय संस्थान 41वां अधिवेशन	13-12-77	1	200
27.	कामताप्रसाद गुरु	25-12-77	1	25
28.	महान अक्तूबर समाजवादी क्रांति 1917 सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ	30-12-77	1	100
			29	

डाक टिकट-माला

1.	भारतीय पुष्प	1-7-77	4	25,50,100,200
2.	इन्पेक्स–77	12-10-77	2	25,200
3.	एशियाना–77	19-10-77	2	100,300
			8	

बर्मा के भूतपूर्व प्रधान मंत्री का भारत में निवास

4767. **श्री पी० वी० पेरियासामी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बर्मा के भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री ऊनू गत कई वर्षों से भारत में रह रहे हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्डू) : जी हां ।

विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली में रोगी

4768. **श्री पद्मचरण सामन्त सिंहेरा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को पता है कि विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली में जितने रोगियों का इलाज किया जाता है उसके अनुपात में, कर्मचारियों की संख्या अपर्याप्त है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में और अब तक अन्तरण और बहिरंग रोगियों की दैनिक औसत क्या है ;

(ग) वहां पर काम करने वाले डाक्टरों और कर्मचारियों की संख्या कितनी है ; और

(घ) वहां पर कब और कितने अतिरिक्त डाक्टरों तथा कर्मचारियों को नियुक्त किया जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) उपलब्ध किये गये संसाधनों को देखते हुए विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली में नियुक्त स्टाफ अपर्याप्त नहीं समझा जाता है ।

(ख) बाह्य रोगी विभाग (ओ०पी०डी०) में प्रति दिन आने वाले रोगियों की औसतन उपस्थिति तथा अस्पताल में दाखिल होने वाले रोगियों की औसत संख्या इस प्रकार है :—

	ओ०पी०डी० में दैनिक औसत उपस्थिति	प्रति दिन औसतन भर्ती
1974	2150	84
1975	2430	101
1976	2737	102
1977 (नवम्बर तक)	2990	119

(ग) विलिंगडन अस्पताल में 240 डाक्टर तथा अन्य वर्गों के 1247 कर्मचारी हैं ।

(घ) दुर्घटना और आपात विभाग की सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए 11 डाक्टरों, 2 नर्सों और 2 स्ट्रेचर वाहकों के पद हाल ही में मंजूर किये गये हैं ।

उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों में डाकघरों का खोला जाना

4769. **श्री श्रीबाटचा डिगल** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान उड़ीसा राज्य के पिछड़े ज़िलों में ज़िलेवार, कितने डाकघर खोलने का सरकार का विचार है ;

(ख) इन ज़िलों में अब तक कितने डाकघर पहले ही खोले जा चुके हैं ;

(ग) फूलबनी जिले में खोले गये डाकघरों की संख्या इतनी कम होने के क्या कारण हैं यद्यपि वह राज्य का सब से अधिक पिछड़ा हुआ जिला है ; और

(घ) फूलबनी जिले में डाकघर खोलने के लिये सरकार का क्या विशेष कदम उठाने का विचार है और चालू वर्ष में इस ज़िले में कितने डाकघर खोले जायेंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई) : (क) प्रस्तावित खोले जाने वाले डाकघरों की कुल संख्या 89

जिलावार संख्या

(1) धेनकनाल	2
(2) कालाहंडी	14
(3) क्योंझर	4
(4) कोरापुट	28
(5) मयूरभंज	13
(6) फूलबनी	20
(7) सम्बलपुर	2
(8) सुन्दरगढ़	6
	89

(ख) 49

(ग) और (घ). फूलबनी ज़िले में डाकघर खोलने के अधिकांश प्रस्तावों में अनुमानित घाटा, घाटे की स्वीकार्य सीमा से अधिक पाया गया था। इस ज़िले में नये डाकघर खोलने का लक्ष्य उड़ीसा के पिछड़े ज़िलों में अधिक डाकघर खोलने के लक्ष्यों में दूसरे नम्बर पर आता है। वर्ष 1977-78 के प्रस्ताव के अनुसार 20 डाकघर खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसे पूरा करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

Demand for increase in Royalty of Minerals exported by States

4779. Dr. Laxminarayan Pardeya: Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether various States have made a demand for increasing the royalty given by the Central Government on the Minerals exported from their States;

(b) when royalty was determined on the minerals; and

(c) the action taken by Government in this regard or Government's reaction thereto?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Karia Munda): (a) Some States have requested that the royalty on certain minerals like iron ore, copper ore, manganese ore and magnesite be enhanced.

(b) The last general revision in royalty rates on most minerals including coal was done in March, 1975 except in regard to a few minerals.

(c) The question of revision in the rates of roryalty on iron ore, copper ore, manganese, magnesite and sand for stowing is under examination.

बागान श्रमिकों को न्यूनतम मंजूरी देने की मांग

4771. **श्री समर मुखर्जी :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बागान के मामले में मजूरी ढांचा एक राज्य से दूसरे राज्य में और एक सम्पदा से दूसरी सम्पदा में भिन्न-भिन्न है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार समूचे भारत में समान न्यूनतम मजूरी के लिए मजदूरों की मांग पर विचार कर रही है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख). बागानों के सम्बन्ध में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन राज्य सरकारें "समुचित सरकारें" हैं ; इसे तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बागानों के अन्तर्गत चाय, काफी, रबड़ आदि भी आते हैं और चूंकि विभिन्न राज्यों में अलग-अलग समय पर न्यूनतम मजदुरी-दरें निर्धारित या संशोधित की जाती हैं, इसलिए मजदूरी-दरों का अलग-अलग होना अनिवार्य है। बागान उद्योग में प्रत्येक क्षेत्र में सामूहिक सौदाकारी द्वारा मजदूरी-दरें निर्धारित करने की एक विकसित प्रणाली विद्यमान है ; अतः यह महसूस किया जाता है कि बागान उद्योग में मजदूरी-दरों के मानकीकरण की उपयुक्तता अभी प्रमाणित होनी है।

सरकारी चिकित्सा स्टोर्स, डिपो मद्रास की उत्पादन क्षमता का उपयोग

4772. **श्री ए० मुरुगेसन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी चिकित्सा स्टोर्स डिपो, मद्रास में ग्लूकोज "सैलाइन" आदि बनाने की अपेक्षित सुविधायें हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन सुविधाओं का पूरी तरह उपयोग किया जा रहा है ; और

(ग) क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए क्या ठोस कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक की सेवा अवधि को बढ़ाया जाना

4773. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक की सेवा अवधि बढ़ाई गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी सेवा-अवधि अब कितनी अवधि के लिए तथा किन-किन कारणों से बढ़ाई गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख). वर्तमान निदेशक की नियुक्ति अवधि को 27 अगस्त, 1974 से और पांच वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था। वर्ष 1969 में वर्तमान निदेशक को निदेशक के पद पर नियुक्त करते समय अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने यह स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया था कि इस कार्यकाल का दूसरी बार नवीकरण किया जाएगा। पहला कार्यकाल समाप्त हो जाने के उपरान्त यह विषय संस्थान के समक्ष रखा गया जिसने वर्तमान निदेशक को दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त करने का निर्णय ले लिया क्योंकि इस संस्था ने उनकी सेवाओं की अत्यन्त सराहना की थी और उनकी नवीकरण की अवधि सेवा निवर्तन की साठ वर्ष की आयु के भीतर ही थी।

मध्य प्रदेश में दूर-संचार उपकरण कारखाने की स्थापना

4774. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश ने पांचवीं योजना की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश में दुर-संचार उपकरण कारखाने की स्थापना करने के लिए कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास भेंजा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई) :(क) जी, हां।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार ने इस कारखाने के लिए लागत के बिना जमीन देने और दूसरी आधारभूत सुविधायें सुलभ करना स्वीकार किया है।

(ग) इस मामले पर विचार हो रहा है और शीघ्र निर्णय लिए जाने की सम्भावना है।

विजयनगर तथा विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्रों के लिये धन का आवंटन

4775. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976–77 के दौरान विजयनगर तथा विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्रों के लिए कितने धन का आवंटन किया गया है ;

(ख) इन इस्पात संयंत्रों पर कार्य कब तक चालू हो जाने की सम्भावना है ; और

(ग) इनमें से प्रत्येक संयंत्र में अनुमानत: कितनी पूंजी लगाई गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कडिया मुण्डा) : (क) वर्ष 1976–77 म दोनों प्रायोजनाओं में से प्रत्येक के लिए एक करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

(ख) स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि० को विजयनगर इस्पात कारखाने के बारे मे विस्तृत प्रायोजन प्रतिवेदन अप्रैल, 1977 में तथा विशाखापत्तनम इस्पात कारखाने के बारे

में अक्तूबर, 1977 में प्राप्त हुआ था। इस समय इन दोनों विस्तृत प्रयोजनाओं प्रतिवेदनों की "सैल" द्वारा संवीक्षा की जा रही है। इस बीच भूमि अर्जन, मिट्टी की जांच, कच्चे माल के परीक्षण आदि जैसे प्रारम्भिक कार्य काफी समय से चल रहे हैं। इन कारखानों के चालू होने की सम्भाव्य तारीख के बारे में तभी मालूम होगा जब भारत सरकार द्वारा विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदनों की संवीक्षा कर ली जाएगी और इनका अनुमोदन कर दिया जाएगा तथा यह वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि पर निर्भर करेगा।

(ग) विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन के अनुसार विशाखापत्तनम इस्पात कारखाने पर कुल स्थिर पूंजी निवेश 1926 करोड़ रुपए होगा। विजयनगर इस्पात कारखाते के विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन में कारखाने की पूंजीगत लागत का अनुमान 1580 करोड़ रुपए लगाया गया है।

पिछली सरकार द्वारा चलाये गये परिवार नियोजन कार्यक्रम की उपेक्षा किया जाना

4776. **श्री माधव राव सिंधिया :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या पिछली सरकार द्वारा चलाए गए परिवार नियोजन कार्यक्रम की वर्तमान सरकार द्वारा पूर्णतया उपेक्षा की जा रही है ; और

(ख) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : (क) और (ख). परिवार कल्याण कार्यक्रम के बारे में सरकार की वर्तमान नीति यह है कि यह कार्यक्रम एक पूर्णतया स्वैच्छिक कार्यक्रम के रूप में तेजी से चलाया जाएगा तथा यह उस व्यापक नीति का अभिन्न अंग होगा जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, मां और बच्चे की देख-रेख, परिवार कल्याण महिला अधिकार और पोषण शामिल हैं। सरकार जन्म-दर में कमी लाने के लिए कृत संकल्प है और लोगों को स्वेच्छा से अपने हित में, अपने बच्चों के हित में और राष्ट्र के व्यापक हित में इस कार्यक्रम को अपनाने के लिए प्रेरित करने में कोई कसर उठा नहीं रखेंगी। जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने तथा लोगों को बढ़िया किस्म की सेवायें उपलब्ध कराने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लोगों में छोटे परिवार के सिद्धान्त को लोकप्रिय बनाने के लिए शैक्षिक और प्रेरणादायक प्रयत्नों को मजबूत कर दिया गया है।

राउरकेला तथा दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों में काम कर रहे विदेशी तकनीशियनों की संख्या

4777. **श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) राउरकेला और दुर्गापुर इस्पात सयत्रों में कुल कितने विदेशी तकनीकी विशेषज्ञ इंजीनियर और तकनीशियन काम कर रहे हैं ; और

(ख) उनका देशवार ब्यौरा क्या है और उन्हें कितना वेतन, भत्ते और अन्य सुविधायें दी जा रही हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुन्डा) : (क) इउस समय राउरकेला और दुर्गापुर इस्पात संयत्रों में कोई विदेशी विशेषज्ञ काम नहीं कर रहे हैं ;

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

गांवों के दूरवर्ती के क्षेत्रों में आपत रोग के लिए तुरन्त डाक्टरों के लिए अस्पतालों की स्थापना

4778. श्री रूपनाथ सिंह यादव : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के गांवों के दुरवर्ती के क्षेत्रों में आपत रोग के गम्भीर मामलों का इलाज करने के लिए तुरन्त डाक्टरों (फ्लाईंग डाक्टरों) के अस्पतालों की स्थापना करने की सरकार की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा व्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) :

(क) और (ख) : सरकार ऐंसी किसी योजना पर विचार नहीं कर रही है।

उड़ीसा में डाकघर खोलना

4779. श्री गगनाथ प्रधान : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी पांच वर्षों में उड़ीसा में कितने शाखा डाकघर, उप-डाकघर, डाकघर तथा सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र और टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे ;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिये एक बृहद् योजना वनाई गई है ; और

(ग) ऐसे शाखा डाकघरों, उप-डाकघरों, डाकघरों तथा सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों के निर्माण के लिये अपनाये गये मानदंड क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई) : (क) **डाकघर :**

1978–83 की परिवर्तनशील योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । उड़ीसा के पोस्टमास्टर जनरल का अस्थायी प्रस्ताव यह है कि 1978–83 की योजना अवधि के दौरान उड़ीसा राज्य में 1532 विभागेतर शाखा डाकघर और 376 उप-डाकघर खोले जाएं ।

सार्वजनिक टेलीफोन घर :

उड़ीसा में आगामी पांच वर्षों में लम्बी दूरी के 200 सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने का प्रस्ताव है ।

(ख) जी हां । इस योजना को योजना आयोग द्वारा स्वीकृति दी जानी है ।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर और सार्वजनिक टेलीफोनघर खोलने के लिए इस समय जो मानदंड वनाए जा रहे हैं, उनका उल्लेख अनुबन्ध I और II में कर दिया गया है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल टी––1446/77] ।

आसाम में क्षेत्रीय पार-पत्र कार्यालय का खोला जाना

4780. **श्री अहमद हुसैन** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निकट भविष्य में अधिक पार-पत्र कार्यालय खोलने के बारे में सरकार की नीति क्या है ;

(ख) देश में पार-पत्र पद्धति को सरल बनाने के सरकार के निर्णय को देखते हुए चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक कितने क्षेत्रीय पार-पत्र कार्यालय काम करना शुरू कर देंगे ; और

(ग) क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक आसाम में कम से कम एक क्षेत्रीय पार-पत्र कार्यालय खोलने का विचार करेगी और वहां पर क्षेत्रीय पार-पत्र कार्यालय कब तक काम करना शुरू कर देगा ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कुण्डु) : (क) किसी भी राज्य में पासपोर्ट कार्यालय खोलने के लिए मानदंड यह है कि उस राज्य से कम से कम 30,000 पासपोर्ट आवेदन एक वर्ष में जारी होने चाहिएं। जन सेवा को सुधारने के लिए और पासपोर्ट कार्यालय खोलनें की आवश्यकता की ओर से सरकार सजग है परन्तु एक तो इस बात की जरूरत कि हमारे कार्यालय आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हों और दूसरे योजनेतर व्यय को कम करने की आवश्यकता इस दिशा में हमारी सीमायें हैं।

(ख) सरकार प्रत्येक राज्य से प्राप्त आवेदनों के स्तर पर निरन्तर निगरानी रख रही है। राजस्थान से प्राप्त आवेदनों की संख्या 30,000 से अधिक हो गयी है, इसलिए ऊपर (क) में बतायी गयी सीमाओं के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में इस राज्य में कार्यालय खोलने पर विचार किया जा रहा है।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में आसाम राज्य से प्राप्त आवेदनों की संख्या लगभग 500 है, इसलिए चालू वित्तीय वर्ष में इस राज्य में पासपोर्ट कार्यालय खोलने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

जोकीहाट खंड मुख्यालय, जिला पूर्णिया, बिहार के लोगों को टेलीफोन कनेक्शन देना

4781. **श्री हलीमुद्दीन अहमद** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के पूर्णिया जिले के जोकीहाट खंड मुख्यालय के लोगों ने टेलीफोन कनेक्शन लगाने की मांग की है और यदि हां, तो कब ;

(ख) उन्हें टेलीफोन कनेक्शन देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) उन्हें टेलीफोन कनेक्शन कब तक दे दिया जाएगा ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई) : (क), (ख) और (ग) पूर्णिया जिले के जोकीहाट में टेलीफोन सुविधा की व्यवस्था करने के लिए शुरू में वर्ष 1972 में मांग प्राप्त हुई थी। इस प्रस्ताव पर विचार किया गया था। इस प्रस्ताव में घाटा दिखाई दे रहा था, जिसे उस समय की नीति के अनुसार माफ नहीं किया जा सकता था। इसलिए इसकी मंजूरी नहीं दी जा सकी।

उपर्युक्त स्थान में सार्वजनिक टेलीफोन घर की व्यवस्था करने के संबंध में मई, 1977 में एक नई मांग प्राप्त हुई थी। सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने से संबंधित नीति को हाल ही में उदार बनाया गया है। इस नीति के अनुसार अब इस योजना को मंजूरी देना संभव हो सका है।

आशा है कि यह सार्वजनिक टेलीफोन घर चालू वित्तीय वर्ष के दौरान काम करना शुरू कर देगा ।

Payment of Non-Practising Allowance to Homoeopathic and Ayurvedic Doctors

4782. Shri Mahi Lal: Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5210 on the 28th July, 1977 regarding disparities among Homoeopathic, Ayurvedic and Allopathic doctors and state:

(a) whether Government propose to give non practising allowance to Homoeopathic and Ayurvedic doctors also as admissible to Allopathic doctors;

(b) if so, the time by which a decision would be taken in this regard; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav): (a), (b) and (c). A proposal for the grant of non-practising allowance to practitioners of the Indian Systems of Medicine and Homoeopathy is receiving the attention of Government. Efforts are being made to finalise the proposal as early as possible.

Death of Persons due to Sterilization in Madhya Pradesh

4783. Shri Shyamlal Dhurve: Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that large scale sterilization operations were performed in the past years in Mandla District of Madhya Pradesh and that many persons were reported to have died of those operations later; and

(b) if so, the action taken by Government to provide assistance to those affected as a result thereof?

The Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav): (a) According to the information received from the State Government 35,966 male and 742 female sterilisation operations were performed in the district of Mandla during the year 1976-77 wherein 6 persons were reported to have died after Vasectomy Operation.

(b) The families of all the deceased persons have been paid Rs. 5000 each as *ex-gratia* financial assistance.

इण्डियन रेड क्रास सोसायटी द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री

4784. डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन रेड क्रास सोसाइटी ने पूर्व प्रेस अधिसूचना के बिना सरकारी प्रतिभूतियों को विक्री की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) इसमें कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि रेड क्रास नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे यह पता चले कि भारतीय रेड क्रास सोसाइटी को कोई सरकारी सिक्यूरिटी बेचने से पूर्व अधिसूचना जारी करनी होती है ।

जाली संगठन

4785. श्री बसन्त साठे : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न रोगों के लिये तत्काल राहत पहुंचाने वाले जाली संगठनों की बढ़ती हुई संख्या तथा बोगस फर्मों द्वारा चिकित्सा संबंधी नकली सामान बेचने, जिनके अंक में धोखाधड़ी की योजनाओं के जरिए प्रति वर्ष करोड़ों रुपये कमाने का समाचार है, की गतिविधियों की जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे गिरोहों की गतिविधियों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

नेपाल की पंचवर्षीय योजना के लिए योगदान

4786. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेपाल की पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए योगदान दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डु) : (क) और (ख) जुलाई, 1975 में नेपाल की पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ से अक्तूबर, 1977 तक, भारत सरकार ने नेपाल की परियोजनाओं और उस देश को दी जाने वाली तकनीकी सहायता की व्यवस्था के लिये 20.27 करोड़ रुपये का अंशदान किया ।

जिन प्रमुख योजनाओं पर यह राशि खर्च की गयी, वे निम्नलिखित हैं :—

(1) पूर्व-पश्चिम राजमार्ग (मध्य भाग) ।

(2) कमला पुल ।

(3) त्रिशूली पनबिजली परियोजना ।

(4) छतरा नहर ।

(5) पूर्व-पश्चिम राजमार्ग (पूर्वी भाग) ।

(6) काठमांडू-त्रिशूली सड़क ।

(7) कोसी क्षेत्र सड़कें ।

(8) विराटनगर, जनकपुर और झापा में टेलीफोन केन्द्र ।

(9) तकनीकी सहायता ।

Development of Mica Industry

4787. Shri R. L. P. Verma: Will the Minister of Steel and Mines be pleased to state:

(a) the types of industrial and business taxes imposed on Mica from mining to export and the annual revenue earned by the Central and State Governments thereon;

(b) the percentage of the amount earned on account of such annual taxes, spent on the development of this industry; and

(c) if not, whether this industry is on the decline day by day as a result of the burden of these taxes?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Karia Munda): (a) and (b) The mineowners are required to pay royalty or dead-rent which ever is higher in amount, in accordance with Section 9 and 9A of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 according to the rates prescribed in the 2nd and 3rd Schedule of the above Act. The exporters are liable to pay the export duty on mica exported, in accordance with the Customs Act 1962 and at the rates prescribed in the 2nd Schedule to the Custom Tariff Act, 1975. Cess is also leviable at the rate of 3.5 per cent ad-valorem on export of mica in whatever State under the Mica Mines Labour Welfare Fund Act, 1946.

The details of export duty and cess on exports collected are as follows:—

Year	*Export Duty* (Rs. in thousands)	*Cess on Exports*
1975-76	306.53	56.51
1976-77	365.83	73.63
1977-78 (upto Oct. 1977)	216.80	42.54

Information regarding taxes imposed by the State Governments and the amounts collected by them from royalty and dead rent etc. is not available with the Central Government.

The amount of cess collected under the Mica Mines Labour Welfare Fund Act is distributed among the States in proportion of their production of mica. This amount is to be spent on providing medical, housing, educational and other facilities to the mica workers and their dependents. For the development of the mica industry, it is proposed to promote research and development facilities to find new uses for mica. Mica Trading Corporation has also prepared a scheme for establishing a tool room costing Rs. 50 lakhs to be attached to their factories for making and servicing tools and dies and also for the small private fabricators. Pending finalisation of the technical details and sources of finance, MITCO is putting up a small tool room with machinery worth Rs. 2.5 lakhs.

(c) The decline in this industry has been due to reduction in the demand for mica (which is mainly exported), because of—

(i) replacement of mica blocks by reconstituted mica and synthetic products like plastics and polystyrene;

(ii) use of transistorised devices which do not require mica;

(iii) release of mica from U. S. A. stockpiles and

(iv) recessionary conditions prevailing in the world markets generally.

Many mines in Bihar have also closed down because of internal problems faced by some business houses controlling large interests in mica mines in that State. It would, therefore, not be correct to say that the decline is because of the tax burden.

स्टेनलेस स्टील का आयात

4788. **श्री एस० आर० रेड्डी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष स्टेनलेस स्टील का आयात करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में ;

(ग) कितना मूल्य अदा किया जाएगा ; और

(घ) इसका आयात किस देश से किया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) इस वर्ष बेदाग इस्पात का आयात किया जा रहा है ।

(ख) अप्रैल से 15 दिसम्बर, 1977 की अवधि में माध्यम अभिकरणों ने 7780 टन बेदाग इस्पात का आयात किया है । इसके अलावा नीति में सीधा आयात करने की भी व्यवस्था है ।

(ग) भिन्न-भिन्न टेंडरों में भिन्न-भिन्न मदों के मूल्य अलग-अलग होते हैं ।

(घ) जिस देश से इस्पात का आयात किया जाता है वह विश्व निविदाओं के आधार पर स्पर्धा-मूल्य और उपलब्धि पर निर्भर करता है । पश्चिम जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, जापान, दक्षिण कोरिया इत्यादि जैसे कई देशों से आयात किया गया है ।

फार्मासिस्टों का वेतनमान और सेलेक्शन ग्रेड

4790. **श्री मोहन लाल पिपिल :**
श्री नाथू सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि फार्मासिस्टों ने यह मांग की थी कि (एक) फार्मेसी अधिनियम, 1948 की धारा 31(क), 31(ख), 31(ग) और 32 के अधीन पंजीकृत फार्मासिस्टों की तकनीकी कर्मचारी के रूप में मान्यता दी जाए और उन पर लागू होने वाला 425–700 रुपये का वेतनमान मंजूर किया जाये, (दो) सेलेक्शन ग्रेड पदों की संख्या बढ़ा कर 30 प्रतिशत की जाये ; तथा (तीन) फार्मासिस्टों/स्टोर कीपरों के लिए पृथक उच्च वेतनमान दिए जाएं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार फार्मासिस्टों के 330–560 रुपये के वेतनमान को बढ़ाने और इसे सिविल/विद्युत इंजीनियरी के डिप्लोमा धारियों के 425–700 रुपये के वेतनमान के बराबर करने, फार्मासिस्टों के सेलेक्शन ग्रेड पदों की संख्या बढ़ा कर 30 प्रतिशत करने तथा फार्मासिस्टों/स्टोर कीपरों के लिए पृथक उच्च वेतनमान की व्यवस्था करने के बारे में

फार्मेसी कौंसिल आफ इंडिया और फार्मेसिस्टों के विभिन्न अन्य संगठनों ने जो सुझाव दिए थे उन पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया था किन्तु उन्हें मानना संभव नहीं था क्योंकि फार्मासिस्टों की परिलब्धियों में इतनी अधिक वृद्धि करने से न केवल अन्य परा-चिकित्सा प्रवर्गों के कर्मचारियों से ऐसी ही मांग उठती बल्कि विभिन्न मंत्रालयों में काम करने वाले तृतीय श्रेणी (अब समूह 'ग') के अन्य वैज्ञानिक/तकनीकी प्रवर्गों के कर्मचारी, जैसे प्रयोगशाला तकनीशियन, कनिष्ठ अनुसंधान सहायक, ड्राफ्ट्समैन आदि भी इसी प्रकार की मांग करते । जहां तक फार्मासिस्टों के सेलेक्शन ग्रेड पदों का प्रतिशत बढ़ाने का सम्बन्ध है, यह फैसला किया गया कि सेलेक्शन ग्रेड में तृतीय श्रेणी (अब समूह 'ग') की सेवा के पदों की कितनी प्रतिशतता रखी जाए और उसके लिए क्या मानदण्ड हो इसके बारे में वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर राष्ट्रीय परिषद (जे०सी०एम०) के स्टाफ पक्ष के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने के बाद जो निष्कर्ष निकले उनके आधार पर ही इस सम्बन्ध में निर्णय लेना अधिक उपयुक्त होगा ।

गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्रों/औद्योगिक एककों में मृत/घायल हुये श्रमिकों की संख्या

4791. श्री जी० वाई० कृष्णन् : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान अब तक गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्रों के विभिन्न औद्योगिक एककों में घायल/मृत श्रमिकों की संख्या कितनी है ; और

(ख) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार क्या उपचारात्मक कदम उठा रही है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) महानिदेशक, कारखाना सलाह सेवा और श्रम विज्ञान केन्द्र के पास उपलब्ध अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार, प्रथम तीन तिमाहियों के संबंध में 329 मृतकों सहित 1,49,214 मामले (हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, राजस्थान, मेघालय और अन्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह को छोड़ कर) चोटों के थे ।

(ख) कारखाना अधिनियम, 1948 का (जो राज्य सरकारों और संघशासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है) सुरक्षा प्रावधानों को सुदृढ़ बनाने के लिए हाल ही में संशोधन किया गया है ।

रेलवे डाक सेवा कर्मचारी संघ से प्राप्त अभ्यावेदन

4792. श्री ए० के० राय : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को धनबाद में मौर्य एक्सप्रेस रेलगाड़ी (27 अप/28 डाउन) के साथ प्रस्तावित रेलवे डाक सेवा साटिंग सेक्शन जोड़ने के लिए रेलवे डाक सेवा कर्मचारी संघ, तीसरी श्रेणी, धनबाद की ओर से बार-बार अभ्यावेदन दिए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई) : का जी हां। प्रस्तावित सेक्शन को मुजफ्फरपुर के बदले धनबाद उप-रिकार्ड कार्यालय के साथ सम्बद्ध करने के बारे में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) ऐसा निर्णय लिया गया है कि प्रशासनिक कारणों को ध्यान में रखते हुए यह सेक्शन मुजफ्फरपुर के साथ सम्बद्ध किया जाएगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन दरों में कमी करना

4793. श्री विजय कुमार एन० पाटिल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए, शहरी टेलीफोन एक्सचेंजों से ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्शनों के लिए (अर्थात् लम्बी दूरी के कनेक्शन) टेलीफोन की दरों को कम करने पर विचार कर रही है : और

(ख) क्या सरकार ऐसे कनेक्शनों को प्राथमिकता देने पर विचार कर रही है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई) : (क) शहर के एक्सचेंजों से ग्रामीण क्षेत्रों में दिए जाने वाले लम्बी दूरी के कनेक्शनों के लिए टेलीफोन की दरें घटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) जी नहीं। ये कनेक्शन बारी अनुसार दिए जा रहे हैं बशर्ते कि तकनीकी दृष्टि से ये कनेक्शन देना संभव हो और उनके लिए साज-सामान उपलब्ध हो।

पश्चिम दिल्ली में आयुर्वेदिक औषधालय

4794. श्री बलराम राम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या उनका ध्यान 13 अगस्त, 1977 के हिन्दुस्तान टाइम्स में (आयुर्वेदिक सिस्टम गेट्स ए बैक सीट) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या केवल छह आयुर्वेदिक औषधालय हैं और उन में से कोई भी औषधालय पश्चिम दिल्ली में स्थित नहीं है जब कि पश्चिमी दिल्ली में 100 एलोपैथिक औषधालय हैं, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली के संवर्धन के लिए सरकार द्वारा की गई विभिन्न घोषणाओं को देखते हुए सरकार का विचार इस दिशा में अपेक्षित कार्यवाही करने का है ; और

(घ) ऐसी योजनाओं तथा कार्यवाही का ब्यौरा क्या है तथा उन्हें कब तक प्राप्त कर लिया जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बा प्रसाद यादव) : (क) जी हां

(ख) इस समय केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन पांच केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियां तथा एक आयुर्वेदिक यूनिट निम्नलिखित स्थानों पर कार्य कर रहे हैं :—

1. नार्थ एवेन्यू

2. किदवई नगर

3. रामकृष्णपुरम

4. गोल मार्केट

5. देव नगर

6. दिल्ली छावनी (यूनिट)

दिल्ली में कार्य कर रही सी०जी०एच० एस० एलोपैथी डिस्पेंसरियों के अधीन और आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियों के खोलने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) जी हां ।

(घ) आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के विकास और विस्तार में अनुसंधान तथा प्रशिक्षण को बढ़ावा देने की बात को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित नई योजनाओं पर विचार किया जा रहा है :—

(1) हरिनगर, नई दिल्ली में तीन सौ पलगों वाले एक आयुर्वेदिगक अस्पताल की स्थापना (पूर्व अनुमोदित) ।

(2) चान्दी वाला एस्टेट, कालका जी, नई दिल्ली में एक-एक सौ पलगों वाले एक-एक आयुर्वेदिक , यूनानी और होम्योपैथिक अस्पतालों की स्थापना ।

(3) पुस्तकों का प्रकाशन ।

(4) देहाती वैद्यों का प्रशिक्षण ।

(5) भारतीय चिकित्सा पद्धति (आयुर्वेदिक के तीन, यूनानी का एक) के क्षेत्रीय संस्थानों की स्थापना । इन संस्थानों में एक स्नातकपूर्व कालेज तथा चार स्नातकोत्तर विभाग होंगे ।

(6) भारतीय चिकित्सा पद्धति के माध्यम से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य देखरेख कार्यक्रम का विकास—प्राइमरी हैल्थ सेंटरों में भारतीय चिकित्सा पद्धति के माध्यम से उपचार की व्यवस्था । इस योजना के अंतर्गत प्रत्यक प्राइमरी हैल्थ सेंटर में भारतीय चिकित्सा पद्धति के एक चिकित्सक की व्यवस्था करन की बात कही गई है ।

(7) राज्यों में सब-सेंटर स्तर पर भारतीय चिकित्सा पद्धति की डिस्पेंसरियों की स्थापना । इस योजना के अंतर्गत सब-सेंटरों में भारतीय चिकित्सा पद्धति की शाखायें खोलने की व्यवस्था है ।

(8) भारतीय चिकित्सा पद्धति में स्नातक पूर्व शिक्षा का विकास । इस योजना के अंतर्गत स्नातक पूर्व कालेजों को और अधिक धन देने का विचार है जिससे कि इन कालेजों की भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय परिषद् द्वारा सुझाये गए पाठ्यक्रम लागू करन में सहायता मिल सके ।

(9) स्नातक पूर्व अध्यापकों का प्रशिक्षण ।

(10) योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण ।

चुने हुए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुसंधान की दिशा में और अधिक अच्छा तथा विधिवत ध्यान दिया जाए, इसके लिए यह निर्णय किया गया है कि अब तक किए गए अनुसंधानों के परिणामों की समीक्षा की जाए और मौजूदा भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद् को निम्नलिखित चार केन्द्रीय अनुसंधान परिषदों में विभाजित किया जाए :—

(1) आयुर्वेद और सिद्ध

(2) यूनानी ।

(3) होम्योपैथी

(4) योग और प्राकृतिक चिकित्सा

जैसे जैसे धन उपलब्ध होता जाएगा, वैसे वैसे उपर्युक्त योजनायें चलाई जायेंगी । इन योजनाओं के लिए लक्ष्य तथा जहां कहां संभव हो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय निर्धारित करने की दिशा में भी प्रयत्न किए जायेंगे ।

परामर्शदाता डाक्टरों के बारे में संविधिक प्रावधान को रद्द करना

4795. श्री राज शेखर कोलूर : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सीनियर फिजिशियन/सर्जन के रूप छ : वर्ष तक सेवा करने के उपरांत परामर्शदाता डाक्टर कन्सलटेंट डाक्टर) की नियुक्ति के लिए विचारार्थ रखे जाने सम्बन्धी संविधान के प्रावधान को कोई भी प्राधिकारी रद्द कर सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) भिन्न-भिन्न विशिष्टताओं में परामर्शदाताओं के पद केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सुपरटाइम ग्रेड-एक में होते हैं । समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियमों के उपबधों के अनुसाय सुपरटाइम ग्रेड-एक के पदों की सभी रिक्तियां गुणावगुणों के आधार पर पदोन्नति द्वारा विभागीन पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर भरी जानी होती हैं जिनके लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान भी रखा जाता है :—

(1) सुपरटाइम ग्रेड-दो (जिसे अब विशषज्ञ ग्रेड–1 तथा सुपरटाइम ग्रेड-दो में बांट दिया गया है) पर कार्य कर रहे पदाधिकारियों, जिन्होंने उस वर्ग में कम से कम छः वर्ष तक सेवा की हो, की वरिष्ठता; और

(2) भरे जाने वाले पद के लिए अपेक्षित अर्हतायें तथा अनुभव ।

समय-समय पर यथा-संशोधित केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियमावली 1963 के नियम 17 के उपबन्ध के अनुसार केन्द्रीय सरकार, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा

नियमों के किसी भी उपबन्ध को उस सीमा तक शिथिल कर सकती है जितना कि उन नियमों को सन्तोषजनक ढंग से लागू करने तथा अनुसूचित परिणामों से बचने के लिए सुनिश्चित करना अपेक्षित हो ।

परन्तु इन अधिकारों का उपयोग पेंशन और सेवानिवृत्ति से संबंधित नियमों (जिनमें पदोन्नति शामिल है) अथवा उपबन्धों में निर्दिष्ट तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा नियुक्ति के लिए निर्धारित अनिवार्य अर्हताओं को शिथिल करने के लिए नहीं किया जायेगा ।

वर्तमान केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियमों में उपर्युक्त शिथिलताओं के अलावा और किसी शिथिलता की व्यवस्था नहीं है ।

उड़ीसा में 1977–78 के दौरान खोले जाने वाले टेलीफोन एक्सचेंज

4796. श्री रामचन्द्र मलिक : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाप्रबन्धक दूरसंचार, उड़ीसा, सर्किल बी० बी० एंड आर० के ० अतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 1977–78 के दौरान कितने टेलीफोन एक्सचेंज खोले जाने का विचार है ; और

(**ख**) नये टेलीफोन एक्सचेंज किन स्थानों पर खोले जायेंगें ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई): (क) और (ख). उड़ीसा दूर संचार सर्किल में वर्ष 1977–78 के दौरान नीचे बताई गई जगहों पर तीन नए टलीफोन एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है :–

(1) बनमालीपुर (जिला पुरी)

(2) पुराना कटक (जिला फूलबनी)

(3) पुरुषोत्तमपुर (जिला गंजाम)

Violation of Licences By Contractors in Drug Branch of H. S .C. L.

4797. Shri Mohan Bhaiya: Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state:

(a) whether a contractor engaging 20 and more labourers is not permitted to function without obtaining licence under the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act:

(b) if so, the particulars of contractors of Durg Branch of the Hindustan Steelworks Construction Ltd. who have obtained licences and the violating the provisions of licences deliberately: and

(c) the action being taken by Government against those contractors to save labourers from exploitation.

The Minister of State in the Ministry of Labour and Parliamentary Affairs (Shri Larang Sai): (a): In terms of Section 12(1) read with Section 1(4) of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, no contractor to whom the Act applies shall undertake or execute any work through contract labour except under and in accordance with a licence issued in that behalf by the appropriate authority.

(b) and (c) The matter falls essentially in the State sphere, the "Appropriate Government in this case under the Contract Labour Act being the concerned State Government. The State Government is being addressed in this regard.

भूतपूर्व मंत्रियों तथा संसद् सदस्यों पर टेलीफान के बकाया बिल

4798. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक भूतपूर्व कृन्द्रीय मंत्री और भूतपूर्व संसद सदस्य पर टेलीफोन बिल की बकाया राशि कितनी है और यह राशि किस अवधि से संबंधित है;

(ख) इस राशि को पूरा पूरा वसूल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) कितने मामलों में टेलीफोन काट दिये गये हैं और कितने मामलों में कानूनी कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई) : (क), (ख) और (ग) वांछित सूचना एकत्र की जा रही है। प्राप्त होते ही इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

Opening of New Post Offices in Gujarat

4799. Shri Dharmasinhbhai Patel: Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the number of new Sub-Post Offices and extra Departmental Branch Post Offices proposed to be opened and counter and mobile facilities to be provided and letter-boxes to be put up in the Gujarat Circle in 1977-78;

(b) the number thereof provided upto 31st October, 1977; and

(c) the number thereof to be provided during the priod from 1st November, 1977 to 31st March, 1978?

The Minister of State for Communications (Shri Narhari Parasad Sukhdeo Sai): (a) to (c): The information is furnished in the table given below:-

TABLE

Name of item	Proposals for 1977-78		Provided upto 31-10-77	Likely to be provided from 1-11-77 to 31-3-78
(i) Opening of sub-post offices . .	10 (Urban areas) Urban 1 (Rural areas) Rural		9 1	1
Total	11			
(ii) Upgradation of Extra Departmental Branch Post Offices into Departmental Sub Post Offices.	20	(Rural areas)	2	18
(iii) Opening of Extra Departmental Branch Post Offices.	91		25	66
(iv) Provision of Postal counter facilities to villages through mobile post offices.	3000		737	2263
(v) Installation of letter boxes in rural areas	1500		675	325

Shortage of Beds in Willingdon Hospital, New Delhi

4800. Shri Lalji Bhai: Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is shortage of mostly essential medicines in the emergency department of Willingdon Hospital, New Delhi;

(b) whether there is great shortage of beds in the hospital keeping in view the number of patients coming to the hospital daily; and

(c) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav): (a) There is no shortage of essential medicines in the Emergency Department Willingdon Hospital, New Delhi.

(b) and (c) The Willingdon Hospital has 730 beds at present and 70 more are being added. In future also, depending on the need, the question of increasing the bed strength will be considered from time to time.

Irregularities Committed by P&T Officials during Emergency

4801. Shri Nawab Singh Chauhan: Will the Minister of **Communications** be pleased to state the number of Posts and Telegraphs officials against whom action is being taken on charges of committing irregularities during emergency?

The Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai): The information is being collected and will be laid on the table of the House.

विदेश मंत्रालय की नीति योजना समिति

4802. श्री राम प्रकाश त्रिपाठी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश मंत्रालय की नीति योजना समिति अब भी काम कर रही है और यदि हां, तो उसके सदस्यों के नाम क्या हैं ; और

(ख) क्या इस समिति के कार्यकरण के साथ सांस्कृतिक, विदेशों के साथ आर्थिक सम्बन्धों, सूचना सेवाओं के क्षेत्र में समुचित विशेषज्ञों को पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक रूप से सम्बद्ध करने का कोई प्रस्ताव है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) जी हां। नीति नियोजन समिति में विदेश मंत्रालय के सभी सचिव हैं और विदेश सचिव इसके अध्यक्ष हैं। जब कभी भारत सरकार के दूसरे सचिवों के विभागों अथवा उनके कार्यक्षेत्र से सम्बद्ध विशिष्ट मामलों पर विचार करना होता है तब उन्हें भी विशेष आमंत्रित के रूप में बुलाया जाता है। नीति योजना प्रभाग के संयुक्त सचिव इस नीति नियोजन और समीक्षा समिति के सद य सचिव हैं।

(ख) जी हां, सरकार यह चाहती है कि शिक्षा और सांस्कृतिक क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ इस समिति का ज्यादा सम्पर्क हो ताकि देश में विदेश नीति के विषय में उपलब्ध विशेषज्ञ ज्ञान का अधिकतम लाभ उठाया जा सके। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, रक्षा अध्ययन और विश्लेषणात्मक संस्थान और भारतीय विश्व कार्य परिषद् से सम्बोधित विद्वानों, शिक्षाविदों और इस समिति के बीच सम्पर्क पहले से बना हुआ है। इन सम्पर्कों को सांस्थानिक आधार पर निरन्तर बनाये रखने के लिए विचार किया जा रहा है।

Bringing Back Ashes of Bahadur Shah Zafar

4803. Shri O. P. Tyagi: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) where during his last tour to Burma he had also visited the Samadhi of late Emperor Bahadurshash Zafar;

(b) if so, whether discussions were also held with the Government of Burma in regard to bringing the ashes of the late Emperor to India and make a 'Samadhi' here; and

(c) if so, the reaction of the Burma Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Samarendra Kundu): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

आपात स्थिति के दौरान एयरलाइन्स के विमान का अपहरण

4804. श्री समर गुह :
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात स्थिति के दौरान दिल्ली से जयपुर के बीच उड़ रहे इण्डियन एयरलाइन्स के एक विमान का अपहरण कर लिया गया था तथा उसे पाकिस्तान ले जाया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह बात भूतपूर्व सरकार द्वारा गुप्त रखी गयी थी कि अपहरणकर्ता कौन थे तथा भारत सरकार द्वारा उन्हें क्या रियायतें दी गईं;

(ग) यदि हां, तो उन अपहरणकर्ताओं का क्या हुआ और विमान के अपहरण में पाकिस्तान सरकार द्वारा क्या भूमिका अदा की गई थी;

(घ) क्या सरकार को निम्न तथ्यों के बारे में जानकारी मिली है :—

(एक) अपहरणकर्ताओं की पहचान,
(दो) भारतीय विमान अपहरण करने का उनका उद्देश्य,
(तीन) उनकी रिहाई की शर्तें,
(चार) अपहरणकर्ताओं के मामले में पाकिस्तान द्वारा निभायी गई भूमिका; और

(ङ) यदि हां, तो उसके बारे में तथ्य क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू): (क) से (ङ) दिल्ली-जयपुर-औरंगाबाद-बंबई क्षेत्र पर दिल्ली और जयपुर के बीच निर्धारित उड़ान (सं० 491) पर एक इंडियन एयरलाइन्स बोइंग 737 विमान का 10 सितम्बर, 1976 को अपहरण कर लाहौर ले जाया गया था। पाकिस्तान सरकार ने यात्रियों, कर्मीदल तथा विमान की सुरक्षित वापसी में सहयोग दिया। अपहरणकर्ताओं को भारत सरकार ने कोई रियायत नहीं दी है।

9 अक्तूबर, 1976 को पाकिस्तान सरकार के एक अधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि अपहरणकर्ताओं के विरुद्ध प्रारम्भिक जांच पूरी कर ली गयी है और पाकिस्तान के कानूनों का उल्लंघन करने के लिए उन पर मुकदमा चलाया जाएगा, परन्तु जनवरी, 1977 में पाकिस्तान सरकार ने अपहरणकर्ताओं को रिहा करने का निर्णय किया क्योंकि उसके पास उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं थे और वह उन्हें भारत वापिस भेजने के लिए भी तैयार नहीं है ताकि उन पर मुकदमा चलाया जा सके। 6 जनवरी, 1977 को भारत सरकार ने खेद व्यक्त करते हुए इन कार्रवाइयों की भर्त्सना की।

ऐसा प्रतीत होता है कि इन अपहरणकर्ताओं के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही तो नहीं की गयी लेकिन ये लोग तब से पाकिस्तान में "सुरक्षात्मक अभिरक्षा" में हैं। पाकिस्तान के अखबारों

की खबरों से यह पता चला है कि अपहरणकर्ताओं की ओर से उन्हें रिहा करने के बारे में दिये गये आवेदन को लाहौर उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। बताया जाता है कि पाकिस्तान सरकार के संघीय गृह मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया था कि बन्दियों (अपहरणकर्ताओं) के पास भारतीय पासपोर्ट थे और उन्होंने इस विमान का अपहरण कर एक अन्तर्राष्ट्रीय अपराध किया था। मामले के जारी रहने की संभावना है।

Appointment of Doctors for Primary Health Centres

4805. Shri Brij Raj Singh: Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state:

(a) whether doctors have been appointed in every primary health centre in the country;

(b) whether Government propose to open new primary health centres and if so, by what time as also the number and the locations thereof; and

(c) the manner in which the new doctors will be appointed ?

The Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav): (a) Upto 31-12-76 there were 5373 Primary Health Centres in the Country of which 4394 Primary Health Centres are with two or more doctors, 928 with one doctor and 51 without doctors.

(b) The target for the 6th Plan is yet to be finalised. The location will be decided by the respective State Governments according to their requirements.

(c) The appointment of doctors for the Primary Health Centres is made by the State Governments in accordance with the procedure prevalent for selection of doctors in the respective States.

Opening of Head Post Office in Sidhi

4806. Shri Surya Narain Singh: Will the Minister of **Communications** be pleased to state the arrangements being made for opening a Head Post Office and Telegraph Office in District Sidhi, Madhya Pradesh?

The Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai): A proposal for opening a Head Post Office after bifurcating the existing Rewa Head Office in District Sidhi has recently been received and is und rexeamination.

As regards Telegraph Office is concerned, it is mentioned that the telegraph facilities have already been provided in the existing Sidhi post Office.

स्टाक यार्डों को सप्लाई की गई प्लेटों की मात्रा

4807. श्री सरत कार : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में देश में भिन्न-भिन्न स्टाक यार्डों को भिन्न-भिन्न गेज की कुल कितनी प्लेटें सप्लाई की गई और यह नियतन किस आधार पर किया गया है ; और

(ख) क्या निकट भविष्य में बरहामपुर में एक स्टाक यार्ड खोलने का कोई प्रस्ताव है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान हिन्दुस्तान स्टील लि० के भिन्न-भिन्न स्टाकयार्डों को किए गए प्लेटों के प्रेषणों का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है। इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी किसी भी प्रकार की प्लेटों का उत्पादन नहीं करती है। उत्पादक अपने-अपने स्टाकयार्डों को सामग्री शाखा प्रबंधकों तथा उपभोक्ता संपर्क अधिकारियों, जो भिन्न-भिन्न शाखाओं में नियुक्त किए गए हैं और जो अपने-अपने क्षेत्रों

की पार्टियों से आर्डर प्राप्त करते हैं, द्वारा प्रस्तुत मांगों के आधार पर भेजते हैं बशर्ते कि माल उपलब्ध होना चाहिए ।

(ख) इस समय हिन्दुस्तान स्टील लि० अथवा इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा बरहामपुर में स्टाकयार्ड खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

विवरण

वर्ष 1975-76 और 1976-77 की अवधि में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के स्टाकयार्डों को प्लेटों का प्रेषण ।

स्टाकयार्ड	1975-76		1976-77	
	10 मि०मी० तक की मोटाई की प्लेटें मीटरीटन	10 मि०मी० से अधिक मोटाई की प्लेटें मीटरी टन	10मि०मी० तक की मोटाई की प्लेटें मीटरी टन	10 मि०मी० से अधिक मोटाई ऊपर की प्लेटें मीटरी टन
1. कलकत्ता	20600	19600	46600	25000
2. गोहाटी/तिनसुकिया	1400	1600	4400	900
3. विशाखापत्तनम	600	1900	6800	11700
4. धनबाद .	7400	4500	7200	4300
5. बोकारो . .	1800	1300	7200	1900
6. राउरकेला	1400	700	3300	5500
7. भुवनेश्वर	900	900	4000	3300
8. कानपुर .	1800	3000	5800	5300
9. इलाहाबाद .	3500	3400	9600	8600
10. भिलाई/नागपुर .	4400	2900	7200	8900
11. बम्बई/पुणे	26500	20200	64800	25100
12. अहमदाबाद/बड़ौदा	2100	3000	11400	1800
13. इन्दौर . . .	1400	900	3900	1500
14. दिल्ली/गाजियाबाद/आगरा .	7500	7000	23000	17300
15. फरीदाबाद . .	500	1300	5700	2900
16. कोटा/जयपुर . .	1900	800	2300	600

स्टाकयार्ड	1975–76		1976–77	
	10 कि०मी० तक की मोंटाई की प्लटें मीटरी टन	10 कि०मी० से अधिक मोटाई की प्लेटें मीटरी टन	10 कि०मी० तक की मोटाई की प्लेटें मीटरी टन	10 की०मी० से अधिक की मोटाई की प्लेटें मीटरी टन
17. जालंघर बटाला/मण्डी गोबिन्दगढ़/ लुधियाना .	1500	1300	2400	500
18. श्रीनगर/जम्मू	..	..	600	..
19. मद्रास . .	10,000	9200	20100	11900
20. सिकन्दराबाद/विजयवाड़ा	2800	5300	9700	7400
21. बंगलौर/बेलगांव	3300	3200	10100	3400
22. कोयम्बतुर/त्रिची	600	700	11200	1700
23. कोचीन	1700	1300	2800	1400
जोड़ :	103800	94100	270100	150900

Interest on Postal Life Insurance

Violation of Licences By Contractors in Drug Branch of H. S. C .L.

(a) whether it is a fact that the rate of interest on the loans advanced from Postal Life Insurance policies has since been increased; and

(b) if so, the extent to which the rate has been increased and since when it has been increased and the reasons therefor?

Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai): (a) and (b) The rate was increased from 7 per cent to 8.5 per cent with effect from 1-3-1975.

The rate of interest to be charged on laons has to be higher than the rate earned by the Fund balances to meet the extra costs involved in running the Loan Scheme. With effect from 1-8-1974, the rate of interest payable to the Postal Life Insurance Fund became 7 per cent and thus equal to the interest charged on loans advanced. The costs of the Loan Scheme had gone up due to increase in emoluments of staff on account of implementation of the recommendations of the III Pay Commission. Thus the Fund was incurring a loss in running the Loan Scheme. The rate on interest was, therefore, increased to 8.5 per cent on the advice of the Fund's Actuary.

Special Facilities of Telephones to Presses

4809. **Shri Subhash Ahuja:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state whether certain Presses had been provided special telephone facilities by the General Manager, Telephones; and if so, the reasons why other Presses were deprived of this facility?

The Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai): As far as the records of Delhi Telephone District are concerned, telephone connections to 'Presses" have been provided as per rules of allotment of telephones. If any specific case to the contrary is indicated the same could be looked into.

भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था के ईस्टर्न रिजन, कलकत्ता द्वारा उड़ीसा सर्किल को पदों का नियतन

4810. **श्री जैना बैरागी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974 से 1977 तक भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था के ईस्टर्न रिजन, कलकत्ता द्वारा उड़ीसा सर्किल को श्रेणी 2 और श्रेणी 4 के कितने पद नियत किये गये ;

(ख) उनमें से कितने पदों पर स्थानीय व्यक्ति भर्ती किये गये हैं ;

(ग) क्या वर्ष 1974 से कोई नया सर्किल बनाया गया है ; यदि हां, तो क्या प्रशासनिक कार्य अलग कर लिया गया है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या अन्य सर्किलों की तुलना में उड़ीसा सर्किल में श्रेणी 3 और श्रेणी 4 के कर्मचारी कम है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) श्रेणी 2 के आठ पद और श्रेणी 4 के आठ पद ।

(ख) श्रेणी 4 के तीन पद स्थानीय रूप से भरे गए थे । चुकि श्रेणी 2 के पदों पर सीधी भर्ती अखिल भारतीय आधार पर संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है, इसलिए स्थानीय भर्ती का सवाल ही नहीं उठता ।

(ग) जून, 1974 में उड़ीसा सर्किल कार्यालय को उड़ीसा सर्किल (उत्तर) तथा उड़ीसा सर्किल (दक्षिण) में बांट दिया गया था परन्तु प्रशासन व लेखा संबंधी कार्यों को अभी पृथक्-पृथक नहीं किया गया है ।

(घ) जी, नहीं ।

भौतिक चिकित्सकों की शिकायतों की जांच करने के लिए समिति नियुक्त किया जाना

4811. **श्री के० बी० चेतरी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भौतिक चिकित्सकों की शिकायतों की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई है ।

(ख) यदि हां, तो वह प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर देगी ;

(ग) क्या भौतिक चिकित्सकों के हितों की रक्षा करने के लिए कानून लाने का कोई प्रस्ताव है ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्रों से परामर्श करके "पराचिकित्सकीय पुन:स्थापन व्यवसायों का भारतीय परिषद् अधिनियम " नामक कानून बनाने का विचार है :—

(घ) प्रस्तावित कानून की मुख्य मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(1) पुन: स्थापन चिकित्सा के पूरक के रूप में पराचिकित्सकीय पुन: स्थापन व्यवसायों के प्रशिक्षण के एक जैसे मानको की व्यवस्था करना ।

(2) पराचिकित्सकीय पुन:स्थापन के अर्हता प्राप्त व्यवसायिकों का काम किस प्रकार होना चाहिए, इस काम के लिए किस तरह की आचार संहिता बने, इन लोगों का आचरण कैसा हो, इन सब बातों के लिए मानक निर्धारित करना ताकि जनता की सुरक्षा हो सके और रोगियों को सुधरी हुई सेवाएं सुलभ हों ।

राज्य/संघ शासित क्षेत्रों से उनके विचार अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

विदेशों में जनसम्पर्क और प्रचार अधिकारियों द्वारा निष्पादित कार्य

4812. श्री हरि विष्णु कामत : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में हमारे अधिकांश दूतावासों और मिशनों में जन सम्पर्क और प्रचार अधिकारियों द्वारा निष्पादित कार्य, उन पर किये गये खर्च के अनुरूप नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार असन्तोषजनक कार्य निष्पादन के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार सुधार के लिये उपाय करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्डू) : (क)और (ख) विदेश प्रचार तंत्र में कुछ त्रुटियां हो सकती हैं लेकिन उसे जो सीमित साधन उपलब्ध हैं, उन्हें देखते हुए इसका काम कुल मिलाकर संतोषजनक रहा है । अपने काम को सुधारने के लिए निरंतर प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

(ग) और (घ) विदेश स्थित अपने प्रचार एककों को सुदृढ़ करने और उनके काम को सुधारने के प्रश्न पर विदेश मंत्रालय निरंतर विचार करता रहता है । इस मामले पर विचार करने के लिए इस मंत्रालय ने श्री चंचल सरकार की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है । आशा है कि इस समिति की रपोर्ट शीघ्र मिल जायेगी ।

दिल्ली में अज्ञात विषाणु (वाइरस) रोग

4813. **श्री यादवेन्द्र दत्त :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली शहर में कोई अज्ञात विषाणु (वाइरस) रोग फैल रहा है ;

(ख) क्या उसके लिये उचित औषधियों और चिकित्सा की व्यवस्था कर ली गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस महामारी को रोकने के लिए अब तक की गई कार्यवाही का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते ।

Branch Post Offices in India

4814. Shri Ramanand Tiwary: Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) total number of Branch Post Offices in the country;

(b) the strength of departmental people or Post Masters of each of them;

(c) the monthly salary or allowances paid to these extra-departmental Post Masters;

(d) whether keeping in view the work load and the rising prices, the salary or remuneration paid to them is inadequate; and

(e) if so, the steps proposed by Government to raise their salary?

The Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai): (a) There were 99,677 Extra Departmental Branch Post Offices and 10 Departmental Branch Post Offices in the country on 30-9-1977.

(b) 99,677 Extra Departmental Branch Postmasters and 10 Departmental Branch Postmasters.

(c) The Extra Departmental Branch Postmasters are at present paid a consolidated allowance ranging between a minimum of Rs. 80 p.m. and maximum of Rs. 110 depending upon the workload and hours for which the office is kept open.

(d) and (e). The wage structure of extra departmental agents is under review.

भारतीय रेडक्रास सोसायटी के बारे में की गई जांच

4815. **श्री शरद यादव :**
डा० रामजी सिंह :
श्रीमती मृणाल गोरे :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री 24 जून, 1977 के अल्प सूचना प्रश्न संख्या 5 के उत्तर के सम्बन्ध में जिसमें उन्होनें यह आश्वासन दिया था कि भारतीय रेड क्रास सोसायटी के बारे में जांच की जायेगी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय रेडक्रास सोसाइटी की तीन स्टाफ कारें, संख्या डी० एच० ई० 8658 आयातित फियेट व्हीकल, डी० एच० सी० 8295 बोक्स-वैगन, और डी० एच० बी० 6141 जिनके पैट्रोल बिल 7,000 रुपये से 20,000 रुपये और अधिक हैं, का उपयोग 'इंडियन रेडक्रास' और + चिन्ह को मिटाकर वहां के बड़े अधिकारियों द्वारा अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए किया जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा जांच करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि राजस्थान सरकार इंडियन रेडक्रास सोसायटी के एक सदस्य के विरुद्ध आरोपों की जांच कर रही है ; और

(ङ) ऐसे दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) :(क) जांच अभी पूरी नहीं हुई है ।

(ख) और (ग) ऐसी दो गाड़ियां हैं । बोक्स-वैगन सं० डी० एच० सी० 8295 और डी० एच० बी० 6141 जिन पर रेडक्रास का एम्ब्लम (चिह्न) कभी भी नहीं लिखा गया था । उन गाड़ियों पर यह छापा जाय या नहीं इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है, लेकिन ये गाड़ियां भारतीय रेडक्रास सोसायटी की हैं । यह उनकी नम्बर, प्लेटों पर लिखा हुआ है । तीसरी कार (फिएट) सं० डी० एच० ई० 8658 जिस पर रेड क्रास एम्ब्लम (चिह्न) अंकित है, इसका दुबारा रंग कराया जा रहा है और ऐसा कराते समय एम्ब्लम मिट गया है, लेकिन जब इसका रंग पूरा हो जाएगा तो इस पर रेड क्रास एम्ब्लस चिह्न फिर से छपवा दिया जाएगा ।

उपर्युक्त कारों के अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर, 1977 के वास्तविक पैट्रोल बिल इस प्रकार हैं :—

	अगस्त, 1977	सितम्बर, 1977	अक्तूबर, 1977
	रु०	रु०	रु०
डी० एच० ई० 8658	689	1,087	699
डी० एच० सी० 8295	475	205	—
डी० एच० बी० 6141	350	382	382

भारतीय रेडक्रास सोसायटी के किसी अधिकारी/कर्मचारी ने किसी गाड़ी का अनधिकृत रूप से उपयोग नहीं किया है ।

(घ) जी, नहीं । तथापि, भारतीय रेडक्रास सोसायटी की राजस्थान राज्य शाखा अपने सचिव के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है ।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) में उल्लिखित जांच हो जाने पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी ।

इण्डियन रेडक्रास सोसाईटी पारा आयातित कारों से चिह्न हटाया जाना

4816. श्रीमती मृणाल गोरे : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन रेडक्रास सोसाईटी के बंगलादेश के शरणार्थियों के उपयोग के लिए तीन आयातित कारों से एक आयातित फियट और दो वोक्स वैगन (+) चिह्न को हटा दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इन कारों का (+) चिह्न के बिना कब से उपयोग किया गया है ; और

(ग) (+) चिह्न के हटाये जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव): (क) जी नहीं। तथापि, भारतीय रेडक्रास सोसाइटी को उसके इस्तेमाल के लिए इटली की रेडक्रास सोसाइटी ने 1969 में एक फियट कार और सहयोगी संगठनों ने लगभग 7 वर्ष पहले दो बाक्स वैगनें दान में दी थीं। बांगलादेश के शरणार्थियों के इस्तेमाल के लिए भारतीय रेडक्रास सोसाइटी ने ये गाड़ियां विदेश से आयात नहीं की थीं।

(ख) और (ग) जहां तक फियेट गाड़ी का सम्बन्ध है यह चिह्न उस समय मिट गया जब हाल ही में गाड़ी की दोबारा पेंटिंग की गयी थी। जहां तक अन्य दो गाड़ियों अर्थात् वोक्स-वैगनों का सम्बन्ध है, उन पर कभी भी रेडक्रास का चिह्न नहीं था परन्तु उनकी नम्बर प्लेटों पर यह लिखा हुआ है कि ये गाड़ियां भारतीय रेडक्रास सोसाइटी की हैं। इन गाड़ियों पर भारतीय रेडक्रास सोसाइटी का चिह्न छापा जाए या नहीं इस प्रश्न पर भारतीय रेडक्रास सोसाइटी विचार कर रही है।

Extension of Employees' State Insurance Scheme to Indore, Ujjain, Gwalior and Ratlam

4817. Shri Chhabiram Argal: Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state:

(a) whether Employees' State Insurance Scheme was extended to Indore, Ujjain, Gwalior and Ratlam, the 4 leading industrial Centres in East Madhya Bharat area of Madhya Pradesh on 23rd January, 1955 covering 55,000 workers at the time;

(b) whether with the extension of this Scheme to 20 centres, the number of employees covered under it has gone upto 149000;

(c) if so, the number of dispensaries at all these centres for providing medical facilities to the families of employees and details of the facilities available at these Centres; and

(d) whether Government propose to provide indoor facilities like reservation of beds for families of these employees?

The Minister of State in the Ministry of Labour and Parliamentary Affairs (Dr. Ram Kripal Sinha): The Employees' State Insurance Corporation have furnished the following information:—

(a) Yes.

(b) Yes, as on 31-3-1976.

(c) The number of full time dispensaries provided by the Government of Madhya Pradesh which is responsible for the provision of medical care is as given below:—

1. Indore — 11
2. Ujjain — 5
3. Gwalior — 7
4. Ratlam — 2

In addition, there is one Employers' Utilisation dispensary at Indore. The beneficiaries at Indore, Ujjain and Gwalior are provided with full medical care (all facilities including hospitalisation). At Ratlam, only the employees are provided with full medical care. The families are being provided expanded medical care (all facilities short of hospitalisation).

(d) No specific proposal has been received from the Government of Madhya Pradesh for extension of indoor facilities (hospitalisation facilities) to the families of the employees at Ratlam.

Agreement arrived at between Employees' State Insurance Scheme and Madhya Pradesh Government

4818. Shri Chhabiram Argal: Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state:

(a) the details of agreement arrived at between the Employees' State Insurance Scheme and Madhya Pradesh Government in regard to medical facilities as well as expenditure;

(b) whether a request has been made to delete some of the clauses of the agreement; and

(c) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Labour and Parliamentary Affairs (Dr. Ram Kripal Sinha): The Employees' State Insurance Corporation have furnished the following information:—

(a) A copy of the Agreement executed between the Government of Madhya Pradesh and the E.S.I. Corporation is attached. [Placed in the Library. See No. LT-1447/77].

(b) No.

(c) Does not arise.

दिल्ली में चिकित्सा सुविधाओं का विकास

4819. श्री पद्मचरण सामन्त सिंहार : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि संघ क्षेत्र दिल्ली की कुल जन संख्या को ध्यान में रखते हुए जनता के स्वास्थ्य कल्याण के लिए औषधालयों की सुविधा अपर्याप्त है ;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली की कुल जन संख्या कितनी है और प्रत्येक अस्पताल में अन्तरंग और बहिरंग रोगियों की संख्या का दैनिक औसत कितना है ; और

(ग) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में स्वास्थ्य कल्याण के विकास के लिए क्या अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) पहली अक्तूबर, 1977 की स्थिति के अनुसार, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में 53,40,364 जन संख्या के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों की 346 डिस्पेंसरियां हैं। उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए डिस्पेंसरियों की संख्या अपर्याप्त नहीं समझी जाती।

(ग) दिल्ली में बहुत सी नई डिस्पेंसरियां खोलने के अलावा 500–500 पलंगों वाले दो अस्पताल और 100–100 पलंगों वाले सात अस्पताल खोलने का प्रस्ताव है। कुछेक वर्तमान अस्पतालों में पलंगों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव विभिन्न चरणों में विचाराधीन हैं।

आदिवासियों और हरिजन अविवाहितों की नसबन्दी

4820. **श्री श्रीवाटचा डिगल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले शासन के दौरान ऐसे आदिवासियों और हरिजनों की बहुत बड़ी संख्या में जबरन नसबंदी की गई थी, जो अविवाहित थे ;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा राज्य में ऐसे व्यक्तियों की जिलावार संख्या कितनी है ; और

(ग) क्या सरकार अपने खर्च पर इन लोगों की नसें पुनः जोड़ने का कार्य करेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव): (क), (ख) और (ग) यह सूचना राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

उड़ीसा में ब्लाक मुख्यालय में उप-डाकघर

4821. **श्री श्रीवाटचा डिगल** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में ऐसे उनके ब्लाक मुख्यालय हैं, जहां उप डाकघर नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी जिला-वार संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार इन स्थानों में उप डाकघरों की कब तक व्यवस्था करेगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई) : (क) और (ख) जी नहीं। उड़ीसा राज्य में कुल 314 ब्लाक मुख्यालय हैं। इनमें से केवल 27 ब्लाक मुख्यालयों में उप डाकघर नहीं हैं। इन 27 ब्लाक मुख्यालयों में विभागेतर शाखा डाकघर हैं। जिन ब्लाक मुख्यालयों में उप डाकघर नहीं है, उनका जिलेवार विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इन ब्लाक मुख्यालयों में काम कर रहे 27 विभागेतर शाखा डाकघरों में से 10 डाकघरों का दर्जा बढ़ा कर उन्हें विभागीय उप डाकघर बनाने का प्रस्ताव है। बाकी 17 स्थानों के डाकघरों का दर्जा वर्ष 1978–79 में बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है।

विवरण

उड़ीसा राज्य के उन ब्लाक मुख्यालयों का जिलेवार विवरण, जहां उप-डाकघर नहीं है :—

क्रम संख्या	जिले का नाम	उन ब्लाक मुख्यालयों की संख्या जहां उप-डाकघर नहीं हैं
1.	सेंमकनल . . .	1
2.	गंजाम	1
3.	कालाहांडी	6
4.	क्योंझर	2
5.	कोरापुट	8
6.	मयूरभंज	2
7.	सम्बलपुर	6
8.	सुन्दरगढ़	1
	योग	27

कालाहांडी, उड़ीसा में डाक प्रभाग

4822. **श्री श्रीबाटचा डिगल :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य के पिछड़े जिले कालाहांडी में कोई डाक प्रभाग नहीं है ;

(ख) क्या वहां डाक प्रभाग खोलने संबंधी प्रस्ताव काफी समय से सरकार के विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो नया प्रभाग कब और किस स्थान पर खोला जायेगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरिहर प्रसाद सुखदेव सई) : (क) जी हां । उड़ीसा के कालाहांडी जिले में अलग से एक डाक डिवीजन नहीं है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

देश में योगाश्रमों का खोला जाना

4823. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में योग की बढ़ती हुई लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए, अधिक संख्या में योगाश्रम खोलने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान ऐसे कितने आश्रम खोले जायेंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव): (क) जी नहीं। तथापि, योग के द्वारा कतियप रोगों का इलाज करने के लिए अनेक केन्द्रों में क्लीनिकी अनुसंधान किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान और विश्वायतन योगाश्रम, नई दिल्ली का विकास करने के लिए भी कदम उठाये जा रहे हैं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

इस्पात का उत्पादन

4824. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोयला सप्लाई न किये जाने के कारण गत छह महीनों के दौरान इस्पात के उत्पादन में कुल कितनी हानि हुई और इस बारे में क्या उपचारात्मक कार्यावाही की गई है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : अंशत : कोयले की कमी के कारण केवल अक्तूबर, और नवम्बर, 1977 के महीनों में इस्पात का उत्पादन कम हुआ है लेकिन यह बताना सम्भव नहीं है कि मात्र कोयले की कमी के कारण उत्पादन की कितनी हानि हुई है क्योंकि बिजली की सप्लाई पर प्रतिबन्धों/रूकावटों आदि कुछ दूसरे कारणों से भी उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।

कोयले का उत्पादन करने वाले संगठनों तथा ऊर्जा मंत्रालय से सतत् सम्पर्क रखा जा रहा है जिन्होंने आश्वासन दिया है कि आगामी महीनों में कोयले तथा बिजली की आवश्यकता की पूरी तरह पूर्ति की जाएगी। उत्पादन में वृद्धि करने के लिए राख की कम मात्रा वाले कोकर कोयले का आयात करने और भारतीय कोयले के साथ उसका मिश्रण करके इस्पात कारखानों में इस्तेमाल करने के बारे में भी विचार किया जा रहा है ?

तट-दूर क्षेत्रों में स्वर्ण, निकल और तांबे के निक्षेप

4825. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूगर्भ-शास्त्रियों के अनुसार, तट-दूर क्षेत्रों में स्वर्ण, निकल, तांबे और कोबाल्ट के निक्षेप निकाले जाने योग्य मात्रा में है ;

(ख) यदि हां, तो क्या देश के विभिन्न क्षेत्रों में समुद्र-तल में इन निक्षेपों के बारे में कोई आंकलन किया गया है, ; और

(ग) यदि हां, तो इस के क्या परिणाम निकले और इन निक्षेपों को निकालने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) विश्व के विभिन्न भागों में तट-दूर क्षेत्रों में स्वर्ण के बजरी नुमा भंडार तथा मैंगनीज पिंडों में निकिल ताम्र और कोबाल्ट होने की खबर है।

(ख) और (ग). उड़ीसा तट के समुद्री इलाके में स्वर्ण-बजरी की स्थिति का पता लगाने के लिए कुछ सीमा तक प्रारंभिक खोज कार्य किया गया था लेकिन वहां सोना होने का कोई संकेत नहीं मिला।

चालू क्षेत्रगत सत्र (1977-78) में भारतीय भूसर्वेक्षण संस्था द्वारा देश के पूर्वी और पश्चिम घाटों के समुद्री क्षेत्र में खनिज भंडारों के लिए खोज करने का प्रस्ताव है। इस समय इन भंडारों की खुदाई आदि के बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगी ?

सरकारी चिकित्सा स्टोर डिपो, मद्रास द्वारा आयातित तेल "फायर्ड फार्निश बायलर" का उपयोग

4826. श्री ए० मुरुगेसन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी चिकित्सा स्टोर डिपो मद्रास में दस वर्ष पूर्व लगभग 3 लाख रुपये का आयातित तेल 'फायर्ड फार्निश वायलर' खरीदा गया था ;

(ख) क्या इस "वायलर" का उपयोग किया गया है और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं और इसे काम में न लेने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) 1965-1966 में 78,750/-- रुपये के मूल्य का आयातित तेल "फायर्ड फार्निश बायलर" खरीदा गया था जिसमें विक्रय कर, भाड़ा आदि शामिल नहीं था।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह बायलर वास्तव में मद्रास में आन्त्रेतर दवाइयां तैयार करने संबंधी एक योजना के अंतर्गत खरीदा गया था। वैसे सन् 1966 में और दुबारा 1969 में इन डिपुओं की विद्यमानता पर ही आपत्ति की गई थी इसलिए उक्त योजना कार्यान्वित नहीं की गयी। इस बीच मद्रास में ट्रांसफ्यूजन फ्लड तैयार करने के लिए बड़ी-बड़ी फैक्टरियां स्थापित हो गई हैं जो सारे देश को ट्रांसफ्यूजन फ्लड सप्लाई करती है। अत : ट्रांसफ्यूजन फ्लड तैयार करने के लिए मद्रास यूनिट खोलना उचित या किफायती नहीं समझा जाता है। इस बायलर को सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली को देने का विचार है।

Death of female population

4827. Shri S. S. Somani: Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state:

(a) whether most of the female deaths occur during maternity period; and

(b) if so, the action being taken by Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav): (a) and (b). **No Sir,** it is not so as the table below based on Model Registration Scheme maintained by Registrar General of India will indicate:—

Year	Total	Male	Female	Deaths due to child birth and complicated pregnancy	Percentage of maternal deaths to total female deaths
1972	16104	8529	7575	208	2·75
1973	15669	8457	7212	180	2·50

However, since maternal mortality rate in India is still quite high in comparison to other developed countries, Government of India has taken the following action to reduce maternal mortaility rate:—

(i) Infrastructure for delivery of maternity services at Primary Health Centre, Taluka and District level hospital have been strangthened and improved.

(ii) Eligible couples are being approached by the Department of Family Welfare for spacing between the child birth and limiting the number of children as maternal death increases after third delivery.

(iii) Referral services at Taluka and District Level hospitals have been improved by training of doctors and by providing better equipment and instruments for conducting safe deliveries so that mothers at risk are identified to get better treatment and services.

(iv) Scheme for Immunisation of pregnant women against tetanus and prophylaxis against Nutritional Anaemia has been very much intensified so that mothers may not die due to tetanus, and diseases associated with anaemia of pregnancy is minimised.

(v) Dais training programme has been very much expanded so that traditional village dais are trained in a septic and antiseptic method of conducting deliveries. They are also being provided dais kit so that they are properly equipped with equipments and material for conducting safe delivery.

सुनही, कांगड़ा स्थित डाकघर में टेलीफोन तथा तार सुविधायें

4828. **श्री दुर्गाचन्द :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में सुनही स्थित विभागेतर उप-डाकघर में टलीफोन तथा तार सुविधायें नहीं हैं, जिसकी वजह से उस क्षेत्र की जनता को असुविधा होती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सुनही में तार तथा टेलीफोन सुविधाओं की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरिहर प्रसाद सुखदेव सई) : (क) हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में सुनही स्थित डाक घर में टेली फोन और तार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग). किराये और गारंटी की शर्तें हिमाचल प्रदेश सरकार को सूचित कर दी गई हैं और उनकी स्वीकृत अभी प्राप्त नहीं हुई है। विभाग की मौजूदा नीति के अनुसार यह काम तभी शुरू किया जा सकता है जब किराये और गारंटी की शर्तें स्वीकार कर ली जायें।

Discrimination in registration of pharmacists

4829. **Shri Nathu Singh:** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state:

(a) whether the Allopathic, Ayurvedic and Homoeopathic doctors and nurses are not required to renew their registration annually whereas the pharmacists are required to do it compulsorily; and

(b) if so, the reasons therefor and the time by which Government will bring about uniformity in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav): (a) The registration of allopathic and ayurvedic doctors and nurses is done under the provisions of the State Acts and Rules made thereunder. Except the State Medical Council of Karnataka, which is insisting on annual registration of the allopathic doctors registered in that State, no other allopathic and ayurvedic doctors and nurses are required to renew their registration annually. Some State Boards/Councils of Homoeopathy are, however, renewing the registration on yearly basis. Moreover, in persuance of a resolution of the Indian Nursing Council, a number of State Nursing Councils are following a system of re-registration of nurses after every five years. Some State Boards/ Councils of Homoeopathy are also renewing registration once in five years.

The two Central Acts, namely, The Pharmacy Act, 1948 and the Dentists Act, 1948 both contain a provision for the annual registration on payment of annual fees. It may be mentioned that the Union Territory of Delhi in exercise of the powers coferred by Section 46 of the Pharmacy Act, 1948, have recently prescribed a life fee for the new registration of Pharmacists, and an option to those already registered to get their registration renewed annually as already in vogue or get themselves registered for life on payment of prescribed fee.

(b) The Government do not have any intention to amend the two Acts to do away with the annual renewal of registration since it is a sound method of keeping the register and the statistics up to-date after taking into account the contingencies like death, migration, retirement etc.

रोजगार प्रधान योजना का लागू किया जाना

4830. **श्री माधवराव सिन्धिया :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वे आगामी दो वर्षों के दौरान अपने मंत्रालय के अधीन रोजगार प्रधान योजना लागू करने का विचार कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कितने रोजगार बनाये जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

विश्व के बाजार में भारतीय इस्पात के मूल्य

4831. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बाजार में भारतीय इस्पात के मूल्य सबसे कम है ;

(ख) विश्व के बाजार में इस्पात के तुलनात्मक मूल्य क्या हैं ; और

(ग) क्या इस्पात के मूल्य बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख): अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इस्पात के मूल्य कई कारणों से समय-समय पर घटते बढ़ते रहते हैं। हमने स्पर्धी बाजार में अपने इस्पात उत्पाद अनुकूल मूल्यों पर बेचे हैं।

(ग) सरकार का इस समय देशीय इस्पात का मूल्य बढ़ाने का विचार नहीं है।

उड़ीसा का डाक भण्डार विभाग

4832. **श्री श्रीबाटचा डिगल** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में केवल एक डाक भण्डार विभाग है, जबकि अन्य सभी राज्यों में एक से अधिक डाक भण्डार विभाग हैं और यदि हां, तो क्या उड़ीसा में अधिक संख्या में डाक भण्डार खोलने का कोई प्रस्ताव है और इसे क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और इसके लिए कौन सा स्थान चुना गया है ; और

(ख) क्या ऐसा कोई प्रस्ताव है कि राजपत्रित पोस्ट मास्टरों के पद राज्यभर में स्थानापन्न व्यवस्था द्वारा भरे जाते हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार ने इस बारे में अपनी नीति को अन्तिम रूप दे दिया है और यदि हां, तो कब ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सईं) : (क) इस समय उड़ीसा सर्किल में भुवनेश्वर में एक डाक भंडार डिपो है। दो अन्य डाक सर्किलों अर्थात दिल्ली और जम्मू व कश्मीर में भी उसी प्रकार केवल एक-एक डाक भंडार डिपो हैं। उड़ीसा सर्किल से झरसुगुडा के एक और डाक भंडार डिपो स्थापित करने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

(ख) सरकार की यह नीति नहीं है कि राजपत्रित पदों पर स्थानीय स्थानापन्न व्यवस्था की जाय और न ही उड़ीसा सर्किल में पोस्टमास्टर के राजपत्रित पद को स्थानीय स्थानापन्न व्यवस्था के आधार पर भरने का प्रस्ताव है। नियमित अधिकारी के अभाव में, वह पद अस्थायी रूप से स्थानापन्न आधार पर भर दिया गया है।

पायलट निकल सयंत्र का सुधार

4833. **श्री गणनाथ प्रधान** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सितंम्बर, 1977 तक पायलट निकल संयंत्र का सुधार तथा अपेक्षित परीक्षण: आदि पूरे हो गये हैं ;

(ख) क्या उड़ीसा में निकल संयंत्र को चालू करने का निर्णय अन्तिम रूप से ले लिया गया है और यदि हां, तो क्या इस निर्माण के लिए कोई टेंडर आमंत्रित किया गया है और यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो इस कब तक चालू कर दिया जाएगा ?

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क), (ख) और (ग). मै० केमिकल्स एंड मैटलर्जिकल डिजाइन कंपनी लि० ने पाइलट प्लांट में प्रस्तावित सुधार दिसंम्बर, 1976—मई 1977 के दौरान किए थे। इसके बाद परीक्षण शुरू किए गए। ये परीक्षण 31—8—77 से 15—10—77 के दौरान हुए। परीक्षणों की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। परन्तु परीक्षण आंकड़ों की प्रारंभिक समीक्षा से संकेत मिलता है कि परीक्षणों के परिणाम संतोषजनक नहीं रहे हैं। सरकार ने इस परियोजना के लिए विदेशी प्रौद्योगिकी के आयात हेतु कार्रवाई शुरू कर दी है।

हज समिति अधिनियम में संशोधन

4834. **श्री गणनाथ प्रधान :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हज समिति अधिनियम में संशोधन किया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो इसमें किये जाने वाले संशोधनों की मूल बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्डु) : (क) हज समिति अधिनियम में सम्भव आशोधन करने के लिये उस पर सक्रिय रूप से पुनर्विचार किया जा रहा है ताकि उसे अधिक व्यापक और प्रतिनिधिक बनाया जा सके।

(ख) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि सरकार ने इस विषय पर अपने विचारों को अन्तिम रूप नहीं दिया है ।

तमिलनाडु में डाक तथा तार विभाग के विभागेतर कर्मचारी

4835. **श्री ए० मुरुगेशन :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में, जिलावार, डाक तथा तार विभाग के कितने विभागेतर कर्मचारी हैं ;

(ख) कितने वर्षों से ये उसी पद पर कार्य कर रहे हैं ; और

(ग) उनकी सेवाओं को कब और किस प्रकार नियमित करने के प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई) : (क) और (ख) वांछित सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

(ग) उनकी सेवाएं नियमित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

बोकारो स्टील लिमिटेड के कोल्ड रोलिंग मिल में सल्फ्यूरिक एसिड के हौज का रिसना

4836. **श्री ए० के० राय :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो स्टील लि० के कोल्ड रोलिंग मिल में सल्फ्यूरिक एसिड का हौज, जो 12 करोड़ रुपये की लागत से बी० एस० एल० द्वारा बनाया और निर्मित किया गया था, चालू होने के तत्काल बाद ही रिसना शुरू हो गया था ;

(ख) क्या बोकारो स्टील लिमिटेड के कोकओवन सेक्शन के 4 बैटरी की भट्टियां भी चालू होने के थोड़े समय बाद ही खराब हो गई थीं। और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इन सभी निर्माण कार्यों में, काफी भ्रष्टाचार व्याप्त था, जिससे संयंत्र में त्रुटियां रह गई ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी नहीं, यह भी बता दिया जाए कि बोकारो की ठंडी बेलन मिल के रसायन कारखाने के समस्त ब्लाक की कुल लागत केवल 1.65 करोड़ रुपये थी न कि 12 करोड़ रुपए।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) इन निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय मजदूर संघ संगठनों की सदस्य संख्या

4837. **श्री के० राममूर्ति** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निम्नलिखित केन्द्रीय मजदूर संघ संगठनों में से प्रत्येक संगठन ने कुल कितनी सदस्य संख्या का दावा किया है और सरकार द्वारा जांच के बाद कुल कितनी सदस्य संख्या पाई गई है : (क) इन्टक, (ख) ए० आई० टी० यू० सी०, (ग) हिन्द मजदूर सभा, (घ) सी० आई० टी० यू०, (ङ) हिन्द मजदूर पंचायत, (च) बी० एम० एस०, (छ) यू० टी० यू० सी० और (ज) यू० टी० यू० सी० (लेनिन सरानी) ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : 31 दिसम्बर, 1972 की स्थिति के अनुसार संबंधित संगठनों (एटक और एच० ए एस० जिन्होंने अपना दावा नहीं भेजा, तथा एच० एम० सी० जिन्हें कि पत्र नहीं लिखा गया, को छोड़ कर) द्वारा दावा की गई सदस्य संख्या इस प्रकार है :—

संगठन का नाम	सदस्य संख्या
इण्टक	22,21,810
सिटु	9,12,328
बी० एम० एस०	6,27,968
यू० टी० यू० सी०	3,62,087
यू० टी० यू० सी० (लेनिन सरानी)	2,48,594
एन० एल० ओ०	1,80,416

दावा की गई इन सदस्य संख्याओं का सत्यापन नहीं किया गया है।

सदस्य संख्या का पिछला सामान्य सत्यापन 31 दिसम्बर, 1968 को किया गया था और उसे चार केन्द्रीय संगठनों तक सीमित रखा गया था। उस तारीख की स्थिति के अनुसार, इन संगठनों को दावा की गई तथा सत्यापित सदस्य संख्या संबंधी आंकड़े इस प्रकार है :—

संगठन का नाम	सदस्य–संख्या	
	दावा की गई	सत्यापित
इण्टक	20,69,793	13,26,152
एटक	15,43,320	6,34,802
एच० एम० एस०	7,70,748	4,63,772
यू० टी० यू० सी०	2,24,667	1,25,754

अररिया, बिहार में डाकघर का भवन

4838. **श्री हलीमुद्दीन अहमद :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के पूर्णिया जिले में अररिया स्थित डाकघर जो कि एक सब डिविजनल मुख्यालय है—का भवन बहुत ही छोटा तथा भीड़ रहती है और इसके कारण कर्मचारियों की कार्य कुशलता में बाधा पड़ती रही है ;

(ख) क्या एक डाकघर भवन का निर्माण करने के लिए आवंटन की मंजूरी बिहार सर्कल द्वारा दी गई थी तथा कितनी राशि मंजूर की गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई) : (क) अररिया के डाकघर की इमारत में जगह कम है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Generator imported by Hindustan Zinc Limited

4839. **Shri Bhanu Kumar Shastri:** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether a generator was imported from U.S.S.R. for the Hindustan Zinc Limited, Udaipur about two years ago;

(b) if so, how much it cost in India;

(c) whether this generator has not been utilised so far; and if so, the reasons therefor; and

(d) whether the generator is still lying in the packing in which it was imported and has not been opened so far and whether Russian expert technicians are being awaited?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Karia Munda): (a) Five generator sets were imported from U.S.S.R. by the Hindustan Zinc Ltd., Udaipur, for its various units at Zawar Mines, Debari Zinc Smelter and Vizag Zinc Smelter. Supplies of these generators were made in part shipments commencing from May, 1976 and were completed in October, 1977.

(b) Price of each generator is Rs. 25 lakhs plus import duty of about 45 per cent.

(c) and (d) All the generators are in various stages of erection. Russian experts are available at all the sites for supervision.

औद्योगिक श्रमिकों की औसत आय

4840. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक श्रमिकों की औसत आय का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उनकी आय में वृद्धि करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा): (क) उपलब्ध सूचना दर्शाने वाले विवरण (I से II) संलग्न है [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी–1448/77]

(ख) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन अधिसूचित रोजगारों के संबंध में मजदूरी निर्धारण और मजदूरी-दरों का समय-समय पर संशोधन करने के अलावा, मजदूरी बोर्डों, मजदूरी संशोधन समिति आदि की प्रणाली भी मजदूरी में संशोधन के लिए अपनाई जाती है। संगठित क्षेत्र में, सभी मामलों पर जिनमें मजदूरी भी शामिल है, द्विपक्षीय समझौते, औद्योगिक श्रमिकों के मजदूरी स्तरों तथा आय सुधारने में सहायता करते हैं।

दिल्ली में तेल मिल मालिकों की गिरफ्तारी

4841. **श्री पी० के० कोडियन**: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित रेपसीड तेल के मामले में घोटाले का पता लगने के बाद दिल्ली में सीन तेल मिल मालिकों को गिरफ्तार किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव): (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय श्रम अनुसन्धान की तीसरी डाइजेस्ट के प्रकाशन में विलम्ब

4842. **श्री के० राममूर्ति**: क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय श्रम अनुसंधान की तीसरी डाइजेस्ट 1968–72 का प्रकाशन कब तक किए जाने की सम्भावना है ; और

(ख) इसके प्रकाशन में असामान्य विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा): (क) और (ख) भारतीय श्रम अनुसंधान की तीसरी डाइजेस्ट 1968–72 छप रही है और आशा है कि उसकी छपी हुई प्रतियां मार्च, 1978 के अन्त तक श्रम ब्यूरो को उपलब्ध करा दी जाएंगी। इस डाइजेस्ट के प्रकाशन में कुछ विवशताओं, जैसे प्रत्युत्तर भेजने वाली एजेंसियों द्वारा सामग्री भेजने में लिए गए समय और उसकी जांच, प्रोसेसिंग तथा मुद्रण के कारण विलम्ब हुआ है।

परियोजना प्रतिवेदन की क्रियान्विति

4843. **श्री के० राममूर्ति** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन 1976–77 के पृष्ठ 2 में उल्लिखित व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए संस्थागत व्यवस्था में विशिष्ट सुधार लाने के उद्देश्य से अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों की सहायता से तैयार किए गए परियोजना प्रतिवेदनों, जिसमें दूरगामी प्रभाव वाली योजनाओं के बारे में कहा गया है, का ब्यौरा क्या है और इनको कब क्रियान्वित किया जाएगा ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : जी हां। ब्यौरे दिखाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

1. उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली (रिपोर्ट के पेज 2 का पैरा 3.1 देखिए)

1.1. भारत सरकार और राज्य सरकारों ने संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू० एन० डी० पी०) और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई० एल० ओ०) के सहयोग से उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली (ए० वी० टी० एस०) की एक परियोजना आरम्भ की है। इस प्रणाली के अधीन विभिन्न उच्च तथा परिष्कृत (सोफिस्टिकेटिड) कौशलों में उच्च दक्षता प्राप्त कामगरों और तकनीशियनों को प्रशिक्षण दिया जाएगा जो अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उपलब्ध नहीं है। इस परियोजना के जिसे अक्तूबर, 1977 में आरम्भ किया गया था, चार वर्ष और छः माह में पूरा होने की आशा है।

1.2. इस परियोजना के समझौते पर भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा 23 सितम्बर, 1977 को हस्ताक्षर किए गए थे।

अनुमानित वित्तीय व्यय निम्नानुसार है :—

1. भारत सरकार	181.830 लाख रुपए
2. राज्य सरकारें	243.050 लाख रुपए
3. यू० एन० डी० पी०/आई०एल०ओ०	572.467 लाख रुपए

1.3. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम/अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सहायता परिष्कृत (सोफिस्टिकेटिड) उपकरणों तथा मशीनरी, विशेषज्ञों और फेलोशिप के रूप में होगी। भारत सरकार और राज्य सरकारें परियोजना के कार्यान्वयन के लिए भवन, स्टाफ तथा देशी उपकरण जैसी आवश्यक सुविधायें प्रदान करेगी। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन निष्पादन (एक्जीक्यूटिंग) एजेंसी होगी।

1.4. यह योजना उच्च प्रशिक्षण संस्थान, मद्रास और बम्बई, कानपुर, लुधियाना, कलकत्ता तथा हैदराबाद में स्थित पांच केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थानों और 16 चुने हुए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शुरू की जाएगी।

अल्प अवधि पाठ्यक्रम प्रत्यक्ष रूप से उद्योग की आवश्यकताओं के अनुकूल होंगे। अधिकांश प्रशिक्षणार्थी उन वर्गों में से होंगे जो कि पहले से ही नियोजित हैं और जिन्हें अपने कौशलों के अपग्रेडिंग, पुनः प्रशिक्षण या विशेषज्ञता की आवश्यकता है। सभी संस्थानों के कुल सीटों की क्षमता 1162 होगी। परियोजना अवधि अन्त तक, उच्च प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थानों/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण पाने वाले कार्मिकों की संख्या का अंतिरम लक्ष्य लगभग 12,000 है।

1.5. कुछ चुने हुए व्यवसायों जैसे प्रौसेस कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन, माप-विज्ञान (मेट्रोलोजी) तथा निरीक्षण, टूल डिजाइन, हीट ट्रीटमेंट, टूल तथा डाई मेकिंग, इंडियन स्टैण्डर्डस तथा ब्लू प्रिंट रीडिंग, मैकेनिकल तथा इलैक्ट्रिकल अनुरक्षण, आधुनिक वेल्डिंग तकनीकों इत्यादि में प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है।

2. इंस्ट्रक्शनल मीडिया और पत्राचार पाठ्यक्रम संस्थान (रिपोर्ट के पेज 2 का पैरा 3.2 देखिए)

2.1. अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा में शिक्षुओं की असफलता के कारणों का विश्लेषण करने के लिए किए गए अध्ययन के परिणामों से यह पता चला कि "व्यावसायिक सिद्धांत" विषयों में अपेक्षाकृत अधिक असफल रहे । इस असफलता के कारणों में उचित शिक्षण सामग्री का उपलब्ध न होना और शिक्षण सामग्री के स्तरों में एकरूपता का न होना शामिल है ।

2.2. भारत सरकार के अनुरोध पर 1975 वर्ष के दौरान सीडा (स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण) द्वारा किए गए अध्ययन के पश्चात् इंस्ट्रक्शनल मीडिया और पत्राचार पाठ्यक्रम संस्थान स्थापित करने के लिए एक परियोजना दस्तावेज तैयार किया गया था । परियोजना में विशेषज्ञों द्वारा संबंधित क्षेत्र में केन्द्रीय कृत ढंग से अनुदेशात्मक सामग्री तैयार और प्रसारित करने की परिकल्पना यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है ताकि क्वालिटी का सम्यक ध्यान रखते हुए स्तरों में एकरूपता आ सके ।

2.3. मुख्य उत्पादन केन्द्र, कानपुर में स्थापित करने का प्रस्ताव है । क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय और केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थानों में उपलब्ध सुविधाओं की सामग्री तैयार और प्रचारण करने के लिए प्रयोग किए जाने का प्रस्ताव है ।

2.4. स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण (सीडा) की सहायता से इस परियोजना को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है । अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन निष्पादन (एक्जीक्यूटिंग) एजेंसी होगी । परियोजना की अवधि जैसा कि प्रस्ताव है 3 वर्ष 2 माह है । योजना आयोग ने परियोजना प्रस्ताव अभी तक अनुमोदित नहीं किया है और इसलिए वर्तमान में उसके कार्यान्वयन का प्रश्न ही नहीं उठता ।

3. औद्योगिक कौशलों की दक्षता परीक्षा, प्रमाणीकरण तथा वर्गीकरण (रिपोर्ट के पृष्ठ 2 का पैरा 3.2 देखिए)

3.1. राष्ट्रीय स्तर पर कुशल श्रमिकों के व्यावसायिक वर्गीकरण या श्रेणीकरण की इस समय कोई प्रणाली नहीं है फिर भी समीक्षा दर्शाती है कि विभिन्न उद्योगों, कार्यशालाओं आदि में बहुत से समान या समरूप कार्य विद्यमान हैं । इसलिए स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण (सीडा) की सहायता से इसके कार्यान्वयन के लिए एक परियोजना प्रलेख तैयार किया गया था । अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई० एल० ओ०) निष्पादन (एक्जीक्यूटिव) एजेंसी होगी ।

3.2. परियोजना में औद्योगिक कौशलों की दक्षता परीक्षा प्रमाणीकरण तथा वर्गीकरण शुरू करने की परिकल्पना है । पायलट परियोजना को बंगलौर तथा पूना में और उनके आस-पास उद्योगों में मशीन शाप तथा इलेक्ट्रीकल ग्रुपों में कुछ चुने हुए व्यवसायों तक सीमित रखने का प्रस्ताव है । परियोजना की अवधि जैसा कि प्रस्ताव है दो वर्ष है । परियोजना प्रस्ताव अभी योजना आयोग द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है तथा इसलिए वर्तमान में इसके कार्यान्वयन का प्रश्न नहीं उठता ।

4. महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण (रिपोर्ट के पृष्ठ 2 का पैरा 4.1 देखिए)

4.1. स्वीडिश विशेषज्ञों की व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट पर आधारित महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम पर परियोजना के पहले चरण के ब्यौरे परामर्श से तैयार किए गए थे। इस परियोजना के समझौते पर भारत सरकार तथा आई० एल० ओ०/सीडा के आई० एल० ओ०/सीडा के मध्य 31 मार्च, 1977 को औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए गए थे। परियोजना के इस चरण की कुल लागत 3.5 करोड़ रुपये होगी।

4.2. इस परियोजना में अधिक रोजगार की सम्भावना वाले कुछ चुने हुए व्यवसायों में अनुदेशात्मक प्रशिक्षण उच्च कौशल तथा मूल कौशलों में प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। उद्योग या स्वैच्छिक संगठनों की स्थानीय मांग पर आधारित चुने हुए क्षेत्रों में अपग्रेडिंग और पुनर्प्रशिक्षण के लिए अल्पकालिक विशिष्ट पाठ्यक्रमों का भी प्रस्ताव है।

4.3. परियोजना का यह चरण महिलाओं के लिए उपयुक्त नए व्यवसायों हेतु प्रशिक्षिता अनुदेशकों, प्रशिक्षण कार्य-पद्धति, पाठ्यचर्या तथा प्रशिक्षण सामग्री के रूप में आवश्यक इनफ्रास्ट्रक्चर के विकास में सहायक होगा। विभिन्न वित्तीय तथा प्रशिक्षण स्तरों के साथ शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पहचानने के लिए यह अनुसंधान अध्ययन भी संचालित करेगा। पूरे देश के विभिन्न राज्यों में जब प्रशिक्षित अनुदेशक विभिन्न क्षेत्रों में काफी संख्या में महिलाओं को प्रशिक्षण देंगे, तो इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण प्रभाव होने की आशा है।

4.4. वर्तमान केन्द्रीय महिला अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली को राष्ट्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान के रूप में अपग्रेड किया गया है। इस संस्थान का मई, 1977 में औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया तथा सचिवीय पद्धति और ड्रेस मेकिंग में तदर्थ पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने के साथ उच्च कौशल प्रशिक्षण में इस अपने प्रशिक्षण कार्यकलापों को आरम्भ किया। यह ड्रैस बनाने तथा एम्ब्राइडरी और नीडल शिल्प में उच्च कौशल प्रशिक्षण में नियमित पाठ्यक्रम प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त इसने कटाई और सिलाई व्यवसाय में अनुदेशात्मक कौशलों में प्रशिक्षण देना जारी रखा है।

4.5. दो क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, एक बम्बई तथा एक बंगलौर में, क्रमशः अगस्त तथा अक्तूबर, 1977 में स्थापित किए गए हैं। इन संस्थानों में तीन व्यवसायों अर्थात ड्रैस बनाने सचिवीय पद्धति तथा इलैक्ट्रानिकी में मूल कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आरम्भ किये गए हैं। अगले शैक्षिक सत्र के दौरान उच्च कौशल पाठ्यक्रमों तथा अनुदेशात्मक प्रशिक्षण को आरम्भ करने का विचार है।

राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा शोध अध्ययन का प्रकाशन

4844. श्री के० राममूर्ति : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने तमिलनाडु में सरकारी क्षेत्र के एक सफल उपक्रम में संगठन में कार्यपद्धति नवीकरण संबंधी शोध अध्ययन बिक्री हेतु प्रकाशित कर दिया है ; और

(ख) क्या इस अनुसंधान अध्ययन का श्रमिकों में परिचालन हेतु तमिल तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा): (क) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, तिरुचिरापल्ली में किया गया अनुसंधान अध्ययन अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है ।

(ख) इस समय ऐसे अनुवादों की कोई योजना नहीं है ।

Decision taken in Yoga Conference held in Patna

4845. Shri Surendra Bikram: Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state:

(a) the programmes being formulated by Government to encourage Yoga;

(b) the decisions taken in the Yoga Conference held at Patna; and

(c) the number of Yoga Centres in the country and the financial assistance given to them by Government?

The Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Jagdami Prasad Yadav): (a) Central Government have taken steps to encourage development of Yoga in the field of research and training. The Central Council for Research in Indian Medicine and Homoeopathy has been given to the following Centres for clinical research in Yoga:—

1. Indian Institute of Research in Yoga and Allied Sciences, Triputhi.
2. Shivanand Math, Gauhati.
3. Yogic Treatment-cum-Research Centre, Jaipur.
4. Institute of Medical Sciences, Banaras Hindu University, Varanasi.

The Rural Health Scheme provides for training of community health workers in Yoga also. Steps are also being taken to develop the Central Research Institute for Yoga and Vishwayatan Yogashram, New Delhi, which has since been taken over by the Central Government under the Yoga Undertakings (Taking over of Management) Act, 1977. The Central Council for Research in Indian Medicine and Homoeopathy has also drawn up a syllabus for training in Yoga at school and college levels. This matter is receiving attention of the Government.

(b) and (c) The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha in due course.

Financial assistance to Charitable Hospitals of Delhi

4846. Shri Daya Ram Shakya: Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state:

(a) the number of Charitable hospitals in Delhi and the amount of financial assistance given to each of them during the last two years; and

(b) whether financial assistance to many hospitals has been stopped since the time of emergency and the action taken by Government to restore it?

The Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav): (a) The information is being collected and will be laid on the table of the House.

(b) (i) No Sir.

(ii) Question does not arise.

Rent paid for Indian Mission Buildings Abroad

4847. Shri Daya Ram Shakya: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) the number of buildings hired by the Government of India for Indian Missions in foreign countries and the annual rent paid for them; and

(b) the number of countries in which Government have purchased buildings for Indian Missions and the expenditure incurred thereon?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Samarendra Kundu): (a) A total number of 1839 premises or buildings were hired for Indian Missions/Posts in foreign countries as on 1-3-1977. The annual rent paid for them as on that date was Rs. 5,77,07,612.

(b) Government of India have purchased/constructed buildings for their Missions/Posts in 39 countries at a total cost of Rs. 5,22,84,627.

Hindi in Indian Missions Abroad

4848. Shri Daya Ram Shakya: Will the Minister of **Externals Affairs** be pleased to state:

(a) the measures adopted to propagate the use of Hindi in Indian Missions abroad and the expenditure incurred by Government annually on this work; and

(b) the number of such Missions where material for the propagation of Hindi is published in the countries in which they are located and of those in respect of which material is despatched from India?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Samarendra Kundu): (a) We have sent Hindi-knowing officers and Personal Assistants as well as Hindi typewriters, books, newspapers and magazines, linguaphone records and charts to our Missions abroad to encourage the use of Hindi in their official work. So far, the total expenditure on these items was not separately budgeted, but has been included under Miscellaneous Expenditure.

(b) As facilities for printing in Hindi are not easily available abroad, all material for the propagation of Hindi is despatched from India.

पश्चिम जर्मनी से स्पंज लोह संयंत्र की खरीद

4849. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम जर्मनी से एक स्पंज लोह संयंत्र खरीदने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या 'मैकोन' के पास लोह संबंधी सम्पूर्ण तकनीकी जानकारी नहीं है ;

(ग) क्या अनेक देशों ने स्पंज लोह संयत्रों के बारे में संभाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तैयार करने के लिये 'मेकोन' को अपने यहां रखा हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो स्पंज लोह बनाने के लिये पश्चिम जर्मनी से संयंत्र मंगाने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से कोठागुडम (आन्ध्र प्रदेश) में स्पंज लोहे का एक प्रदर्शन संयंत्र लगाया जा रहा है। इस प्रायोजना में भारत सरकार और आन्ध्र प्रदेश सरकार दोनों की भागीदारी होगी। इस कारखाने में लुर्गी (पश्चिम जर्मनी) की एस० एल०/आर० एन० प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जायेगा जिसमें 100 प्रतिशत ठोस अपवायक का इस्तेमाल होगा। लुर्गी के साथ उपस्करों की सप्लाई के बारे में भी करार किया गया है।

(ख) और (घ) यद्यपि मेकन परामर्शी तथा विस्तृत इंजीनियरी सेवाएं प्रदान करने में सक्षम है तथापि प्रक्रिया जानकारी के लिए विदेशी सहयोग की आवश्यकता है।

(ग) मेकन ने बंगलादेश, दुबई और आबूधाबी के लिए स्पंज लोहे के कारखानों पर आधारित स्टील कम्पलैक्स के लिए शक्यता प्रतिवेदन तैयार किये हैं। नाइजीरिया की सरकार द्वारा इस कम्पनी को स्पंज लोहे के कारखाने पर आधारित 10 लाख टन क्षमता के सर्वतोमुखी इस्पात कारखाने के लिए सलाहकार के रूप में भी नियुक्त किया गया है।

देवनागरी लिपि में तार

4850. श्री एस० एस० सोमानी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी भारतीय भाषाओं के तार देवनागरी-लिपि में भेजे जा सकते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो देवनागरी लिपि में तार भेजने को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से डाक व निदेशालय द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई) : (क) जी हां।

(ख) विभाग ने प्रचार के विभिन्न जन-सम्पर्क साधनों जैसे कि समाचार पत्रों में विज्ञापनों, पोस्टरों, धातु पट्टियों आदि के जरिए तारों में देवनागरी लिपि के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए कई कदम उठाये हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिये बालक अनुरक्षण सेवा हेतु डेनिश सरकार द्वारा सहयोग दिया जाना

4851. श्री एस० एस० सोमानी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डैनिश सरकार ने भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बालक-अनुरक्षण सेवाओं के बारे में सहयोग दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो सहायता का ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्यक्रम है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) डेनिश सरकार ने देश के ग्रामीण और अर्ध नगरीय क्षेत्रों में परिवार कल्याण तथा जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए सहायता देने की इच्छा व्यक्त की है।

(ख) इस प्रयोजन के लिये इस मंत्रालय द्वारा तैयार की गई प्रस्तावित परियोजना का उद्देश्य परिवार कल्याण को बढ़ावा देना है जिसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उनके घरों के पास ही स्वास्थ्य सेवाएं पोषण, जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य परिवार कल्याण सेवाएं एकीकृत रूप में की जायेगी। इस परियोजना के अन्तर्गत पांच राज्यों के चुने हुए 10 जिलों में ऐसी सेवाएं दी जाएगी। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ तालुक/उपमण्डलीय अस्पतालों में एक-एक आपरेशन थियेटर और एक-एक छः पलंगों वाला वार्ड बनाने, प्राइमरी हेल्थ सेंटरों के भवनों की मरम्मत करने और उनके लिये अतिरिक्त उपकरणों की व्यवस्था करने तथा अतिरिक्त उप-केन्द्र खोल कर प्रत्येक उपकेन्द्र को 5,000 लोगों को सुविधाएं प्रदान करने योग्य बनाने का काम भी शामिल है। इस प्रस्ताव पर अभी विचार किया जा रहा है।

आशा है कि डेनिश सरकार इस परियोजना के लिए लगभग 10 से 12 करोड़ रुपये तक की सहायता देगी।

बागान श्रमिक अधिनियम की क्रियान्विति को टालने के लिए सम्पदाओं का विभाजन

4852. **श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को पता है कि बागान श्रमिक अधिनियम की क्रियान्विति को टालने के लिए सम्पूर्ण भारत में बागान सम्पदा को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटा जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस कार्य को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा): (क), (ख) और (ग) अखिल भारतीय बागान श्रमिक फेडेरेशन ने 12-12-1977 को सरकार को अपने अभ्यावेदन में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी बताया कि बागानों को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटा जा रहा है ताकि बागान श्रम अधिनियम के प्रवर्तन से बचा जा सके। बागान श्रम संशोधन विधेयक, जो कि अब राज्य सरकार के समक्ष है, के प्रस्तावों को अन्तिम रूप देते समय इस पहलू को ध्यान में रखा जाएगा।

बम्बई में टेलेक्स उपकरण की स्थापना

4853. **श्री पी० राजगोपाल नायुडु** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टॉर्ड प्रोग्राम कंट्रोल्ड एक्सचेंज (टेलेक्स) उपकरण प्राप्त कर लिया गया तथा उसकी बम्बई में स्थापना कर दी गई ; और

(ख) इसकी लागत कितनी है और इसकी क्षमता कितनी है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई) : (क) जी नहीं।

(ख) ऊपर (क) में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए, इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

नई दिल्ली में एस० पी० सी० टेलेक्स एक्सचेंज

4854. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली केन्द्र के लिये एस० पी० सी० टेलेक्स एक्सचेंज की व्यवस्था की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसकी प्राक्कलित लागत क्या है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई) : (क) दिल्ली में एक एस० पी० सी० टाइप ट्रांजिट टेलेक्स एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) इस परियोजना पर लगभग 3.7 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।

चीन-भारत सम्बन्ध

4855. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह हाल ही में संसद के बाहर परन्तु देश के अन्दर सार्वजनिक भाषण देते रहे हैं जिनमें वह चीन-भारत संबधों में उत्तरोत्तर सुधार करने की बात कहते रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी प्रमुख ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने 25 मार्च, 1977 से 10 दिसम्बर, 1977 तक की अवधि में इस दिशा में विचार किया है तथा ठोस कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण तथ्य क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र कुण्डु) : (क) और (ख) विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत सरकार पंचशील के सिद्धान्तों के आधार पर जिनमें पारस्परिकता और आपसी लाभ के सिद्धान्त भी शामिल हैं चीन के साथ सम्बन्धों को सामान्य बनाने की दिशा में उठाये गये कदमों का स्वागत करती है।

(ग) और (घ) 25 मार्च से 10 दिसम्बर, 1977 की अवधि के बीच सरकार ने सम्बन्धों को सामान्य बनाने की दिशा में परस्पर लाभ के लिए बहुत सी पहल-कदमियां की हैंजिनमें भारत और चीन के बीच व्यापार तथा नौवपरिवहन सम्पर्कों को पुनः प्रारम्भ करना और चिकित्सा, कृषि, खेल इत्यादि के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमण्डलों के आवागमन को प्रोत्साहन देना भी शामिल है। परस्पर लाभ के लिए भविष्य में कार्यात्मक आधार पर व्यापार, संस्कृति, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्रों में और आदान प्रदान करने का विचार है।

राजनीतिक दलों से प्रतिनिधि आमंत्रित करना

4856. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जब कभी संसद तथा देश से सम्बन्धित संवैधानिक, राजनतिक

वैधानिक मामलों के एक अथवा इससे अधिक विषयों पर बातचीत आयोजित करती है कुछ अथवा सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरे तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या किसी राजनीतिक दल से असम्बद्ध एक अथवा इससे अधिक निर्दलीय सदस्यों को भी इसमें आमंत्रित किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरे तथ्य क्या हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं; और

(च) वर्ष 1974, 1975, 1976 और 1977 में सरकार तथा प्रतिपक्ष के नेताओं के बीच होने वाली ऐसी बातचीत और बैठकों में जिन्होंने भाग लिया तथा जिन विषयों पर चर्चा हुई, उनका पूरा ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा): (क) से (च). कुछ निर्दलीय सदस्यों सहित, संसद में प्रतिनिधित्व राजनीतिक दलों/ग्रुपों के प्रतिनिधियों के साथ, राजनैतिक, संवैधानिक और वैधानिक मामलों पर चर्चा करने के लिए, यथा आवश्यक बैठकें आयोजित की जाती हैं। इन बैठकों के आमंत्रण के बारे में कोई कड़े नियम नहीं हैं। बैठकों का प्रयोजन सम्बन्धित दलों के साथ विचारों का आदान-प्रदान करना होता है। एक विवरण, जिसमें वर्ष 1974 से 1977 तक (20 दिसम्बर, 1977 तक) के दौरान हुई बैठकों की तारीखें, चर्चा किए गये विषय, आमंत्रित नेता/सदस्य और उपस्थित होने वाले नेता/सदस्यों के सम्बन्ध में सूचना दी गई है, संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-1449/77]

भारतीय दूतावासों में प्रेस और सूचना एकक

4857. **श्री पी० जी० मावलंकर**: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश में स्थित हमारे सभी दूतावासों, उच्चायोगों और राजनयिक मिशनों में पृथक प्रेस और सूचना एकक है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या उक्त एककों में, विशेष रूप से विदेश स्थित हमारे अधिक महत्वपूर्ण राजनयिक मिशनों के एककों को सुदृढ़ करने और उन्हें और अच्छा बनाने का सरकार का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब और कैसे ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) तथा (ख). विदेश-स्थित हमारे सभी राजनयिक मिशनों में अलग प्रेस तथा सूचना एकक नहीं है। जिन देशों में हमारे मिशनों में सूचना का काम देखने के लिए पूर्वकालिक अधिकारी हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख

की गई है । दूसरे मिशनों में भी कोई एक अधिकारी आमतौर पर अपना काफी समय प्रेस तथा सूचना के काम में लगाता है ।

(ग) तथा (घ). विदेश स्थित अपने प्रचार एककों को सुदढ़ करने तथा उनकी कार्य-क्षमता में सुधार लाने के प्रश्न पर विदेश मंत्रालय निरन्तर नजर रखे हुये हैं। मंत्रालय ने श्री चंचल सरकार की अध्यक्षता में इस मामले पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की है । समिति की रिपोर्ट शीघ्र ही आने वाली है ।

विवरण

उन देशों की सूची जहां भारतीय मिशनों में सूचना का काम देखने के लिए पूर्णकालिक एकक हैं ।

1. अकरा (घना)
2. अदीस अबाबा (इथोपिया)
3. अंकारा (टर्की)
4. बगदाद (इराक)
5. बैंगकाक (थाईलैण्ड)
6. बोन (जर्मन संघीय गणराज्य)
7. ब्रसल्स (बेल्जियम)
8. बुआनोस आइरेस (अर्जन्तीना)
9. काहिरा (मिस्र)
10. केनबरा (आस्ट्रेलिया)
11. कोलम्बो (श्रीलंका)
12. ढाका (बंगलादेश)
13. दार-ए-सलाम (तंजानिया)
14. जकार्ता (इंडोनेशिया)
15. दहेग (नीदरलैण्ड्स)
16. हांगकांग (हांग कांग)
17. इस्लामाबाद (पाकिस्तान)
18. काबुल (अफगानिस्तान)
19. काठमाण्डू (नेपाल)
20. कुआलालम्पुर (मलेशिया)
21. कुवैत (कुवैत)
22. खारतूम (सूडान)
23. लंदन (यू० के०)

24. लुसाका (जाम्बिया)
25. मास्को (सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ)
26. न्यूयार्क—भारत का स्थायी मिशन (संयुक्त राज्य अमरीका)
27. न्यूयार्क —भारत का प्रधान कौंसलावास (संयुक्त राज्य अमरीका)
28. नैरोबी (केन्या)
29. ओटावा (कनाडा)
30. पेरिस (फ्रांस)
31. प्राग (चेकोस्लोवाकिया)
32. पीकिंग (चीन)
33. पोर्ट आफ स्पेन (ट्रिनीडाड तथा टोबागो)
34. रोम (इटली)
35. रंगून (बर्मा)
36. रबात (मोरक्को)
37. सियोल (कोरिया गणराज्य)
38. सान फ्रांसिसको (संयुक्त राज्य अमेरिका)
39. सिंगापुर (सिंगापुर)
40. तेहरान (ईरान)
41. टोकियो (जापान)
42. थिंपू (भूटान)
43. वियना (आस्ट्रिया)
44. वाशिंगटन (संयुक्त राज्य अमरीका)
45. वारसा (पोलैण्ड)
46. जेद्दा (सऊदी अरब)
47. लागोस (नाइजीरिया)

Contract Labourers working in Dalii, Rajhara, Nandini iron ore mines under Bhilai Steel Plant

4858. Shri Mohan Bhaiya: Will the Minister of **Parliamentary Affairs** and **Labour** be pleased to state:

(a) the number of labourers working under the Contract Labour system in the Dalli-Rajhara, Nandini, etc. iron ore mines under the Bhilai Steel Plant;

(b) whether these contractors have obtained licences under the provisions of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 and whether they are observing the terms and conditions of the licences; and

(c) the facilities to which the labour is entitled under this Act and the facilities they are being provided by the contractors?

The Minister of State in the Ministry of Labour and Parliamentary Affairs (Shri Larang Sai): (a) to (c). The information is being collected and will be placed on the Table of the House after it is received.

Contract given by Hindustan Steel Construction Ltd.

4859. Shri Mohan Bhaiya: Will the Minister of Steel and Mines be pleased to state the particulars of contractors engaged at present in the Hindustan Steel Works' Construction Ltd. and the value of contracts given to each contractor and the work for which contracts have been awarded to each of them?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Karia Munda): The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

महानगरों में टेलीफोन बिल अधिक राशि के दिखाये जाने की शिकायतें

4860. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, अलग अलग देश के सभी महानगरों में टेलीफोन के बिल अधिक राशि के दिखाए जाने सम्बन्धी कितनी शिकायतें की गई हैं;

(ख) कितने मामलों में ये शिकायतें ठीक पाई गई थीं;

(ग) क्या सरकार को पता है कि कई मामलों में या तो टेलीफोन बिल बिल्कुल भेजे ही नहीं गये थे अथवा टेलीफोन बिल की राशि बहुत कम थी;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) सरकार ने गत छः महीनों में अधिक राशि के और कम राशि के टेलीफोन बिल दिखाए जाने को रोकने और टेलीफोन बिलों को ठीक प्रकार से न भेजने के लिए सरकार ने क्या विशेष कार्यवाही की है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई): (क) देश के महानगरों में पिछले तीन वर्षों के दौरान अधिक रकम के टेलीफोन बिल भेजने के सम्बन्ध में शिकायतों की संख्या इस प्रकार है :—

	1974–75	1975–76	1976–77
बम्बई	18,821	19,426	30,035
कलकत्ता	2,747	6,677	21,085
मद्रास	3,720	5,421	6,755
नई दिल्ली . .	7,170	8,970	11,550

(ख) जो शिकायतें सही पाई गई उनकी संख्या इस प्रकार है :—

	1974–75	1975–76	1976–77
बम्बई	786	1,349	1,118
कलकत्ता	505	1,432	3,461
मद्रास	259	965	580
नई दिल्ली . . .	1,220	1,980	1,920

(ग). (घ). और (ङ). सभी महानगर टेलीफोन जिलों में बिल तैयार करने का काम कम्प्यूटरों से किया जाता है। मास्टर आंकड़ों के अभाव में जिन टेलीफोन नम्बरों के बिल कम्प्यूटर से तैयार नहीं किए जाते, उनकी एक सूची कम्प्यूटर तैयार कर देते हैं। इस सूची की जांच की जाती है और उसके बाद बकाया बिल हाथ से तैयार कर जारी कर दिए जाते हैं। जिन टेलीफोनों के बिल जारी नहीं किए जाते हैं उनसे सम्बन्धित सूचियों पर निगरानी रखी जाती है । ऐसे कुछ मामले अवश्य होते हैं, जिनमें विधिवत् भरे एडवाइस नोट बिलम्ब से मिलने के कारण मास्टर आंकड़े देने में देर हो जाती है और उपभोक्ताओं के पास बिल नहीं पहुंच पाते। फिर भी, दिल्ली टेलीफोन जिले में कम्प्यूटर का समय न मिल पाने के कारण बिल जारी करने में आमतौर पर लगभग दो महीने का विलंब हो जाता है। समय से टेलीफोन बिल जारी करने के लिए पक्का इंतजाम करने के उद्देश्य से 30-11-77 को एक अन्य कम्प्यूटर एजेंसी को ठेका दिया गया है। तारीख 31-3-1977 तक जारी किए जाने वाले बिलों के सम्बन्ध में 1-12-1977 को बिल जारी करने के लिए 8201 मद बकाया थे।

बिल तैयार करने का काम कम्प्यूटरों से किया जाता है। इसलिए इंसानों से होने वाली गलतियां नहीं होती हैं। पाक्षिक मीटर रीडिंग ली जाती है ।

Diagnosing/controlling the filaria

4861. Shri Dharmasinbhai Patel: Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state:

(a) whether any medicine or injection has been discovered for controlling filaria disease and if so, where and when it has been discovered;

(b) the name of this medicine or injection;

(c) the names of the States in which the incidence of filaria disease is particularly more; and

(d) the details of the programme to eradicate filaria disease?

The Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav): (a) and (b). Though a number of new drugs are being tried in India and elsewhere for controlling filariasis, diethyl carbamazine discovered after World War II in 1947 in U.S.A. continues to be the drug of choice to reduce the infection and thereby control the spread of the disease.

(c) Andhra Pradesh, Bihar, Kerala, Orissa, Tamil Nadu and Uttar Pradesh have large number of persons with disease or germs.

(d) With the knowledge and technique and the conditions prevailing in the country, it is not possible to eradicate the disease but for its control, National Filaria Control Programme has been in operation since 1955. Under the Programme, anti-larval measures to control the breeding of mosquitoes that spread the disease and detection and treatment of persons having filarial germs in their bodies is undertaken. The programme has also been extended on pilot basis to selected rural areas in Andhra Pradesh, Gujarat and Uttar Pradesh. Permanent measure of filaria control lies in providing adequate and effective drainage but huge outlay of resources are required therefor. Priority is given to drainage in urban areas endemic for filariasias.

Direct dialling from Mangrol city (Junagarh) to Porbandar, Veraval, Bombay, Bhavnagar and Rajkot

*4862. **Shri Dharmasinbhai Patel:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

*4862. **Shri Dharmasinbhai Patel:** Will the Minister of **Communications** be linked with Porbandar, Veraval, Bombay Bhavnagar and Rajkot with direct telephone lines;

(b) whether any programme has been formulated and if so, the details thereof and if not, the reasons therefore; and

(c) the names of the cities with which Mangrol city has now been linked by direct telephone lines?

The Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai): (a) Direct trunk circuit is already existing between Mangrol and Rajkot. The present traffic does not justify a direct trunk circuit from Mangrol to Porbandar, Veraval, Bombay and Bhavnagar.

(b) An 8-channel system has been proposed between Mangrol and Keshod to meet the additional and future requirements.

(c) Mangrol city has already direct circuits to Junagarh, Keshod, Rajkot, Madhavpur and Shil.

Contract between Postal Seals Co-operative Union and P and T Department

4863. **Shri Nawab Singh Chauhan:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether contract was signed between the Aligarh Postal Seals Co-operative Union and the Department at the end of last year and if so, the details thereof; and

(b) since when this Cooperative Union has been manufacturing seals and whether Government have after examination got fixed the wages of the skilled workers thereof and if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai): (a) No, Sir.

(b) The Postal Seals Industrial Cooperative Society Ltd. Aligarh came into existence in 1953 and they have been manufacturing postal seals since then. Fixation of wages of skilled workers is a matter between the Society and its members.

Postal stamp of Goswami Tulsidas

*4864. **Shri Nawab Singh Chauhan:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether postage stamps in the memory of Goswami Tulsidas were issued twice;

(b) if so, whether on both the times the Philatelic Committee had given its approval thereof and if so, on what basis;

(c) the names of the members of the Philatelic Committee and whether any criteria have been adopted in regard to the issue of such postage stamps;

(d) if so, the details thereof and whether as per the criteria the issue of postage stamps two times in the memory of great persons on the occasion of their centenary celebrations is not allowed; and

(e) if so, whose applications in this regard have been rejected on this ground during the two months and the number of such applications?

The Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai): (a) No, Sir. A stamp on Goswami Tulsidas was issued only on 1-10-1952 in the denomination of anna 1.

(b) Does not arise.

(c) and (d). The term of the last Philatelic Advisory Committee has expired. The new Committee is under formation. A copy of the guidelines is enclosed, according to which out of the total number of 24/25 stamps not more than 6 should be commemorative of personalities.

(e) Does not arise.

Statement

Guidelines for the issue of Special/Commorative Postage Stamps

1. No proposal for the issue of commemorative stamps shall ordinarily be entertained unless 18 months notice is given to the Department except in extra-ordinary circumstances.

2. No commemorative stamp shall ordinarily be issued honouring an individual unless the occasion is 100th anniversary (birth or death). A commemorative stamp may also be issued on the 1st or 10th death anniversary.

3. No commemorative stamp shall ordinarily be issued for celebrating any event unless the occasion is the 50th year or the centenary. Events of international character only be considered for the issue of special stamps; other should be commemorated by the issue of special cancellations only.

4. Out of the total number of issues in a year (not more than 24/25 stamps), not more than 6 should be commemorative of personalities.

5. Proposals on literatures should be considered after obtaining the views of the Sahitya Akademi.

6. Planning of each issue should normally be taken in hand at least one year in advance of the date of issue and a complete six months' time should be given to the India Security Press for the purpose of designing & printing.

केन्द्रीय आयुर्वेदिक अनुसन्धान संस्थान पटियाला के निदेशक के विरुद्ध आरोप

4865. **डा० बलदेव प्रकाश :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को भ्रष्टाचार, धनराशि के गबन, अवैधानिक कृत्यों, विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं और शक्तियों के दुरुपयोग के बारे में केन्द्रीय आयुर्वेदिक अनुसन्धान, संस्थान, पटियाला के निदेशक के विरुद्ध कोई शिकायतें मिली हैं; यदि हां, तो उक्त अधिकारी के विरुद्ध अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है, यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार ने उक्त अधिकारी के विरुद्ध जांच करने का आदेश दिया है अथवा जांच की है, यदि हां, तो जांच रिपोर्ट का क्या परिणाम निकला ; तथा जांच अधिकारी ने इस मामले में क्या कार्यवाही का प्रस्ताव किया है ;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त अधिकारी को पंजाब केडर से लिया गया था, यदि हां, तो क्या उक्त पद को विज्ञापित किया गया था तथा अर्हताएं निर्धारित की गई थीं ; और

(घ) उक्त अधिकारी की क्या अर्हताएं हैं

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) : जी हां। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के एक अधिकारी ने यथास्थल पर जाकर प्रारम्भिक जांच की है। इस शिकायत के बारे में की गई एक गुप्त जांच सम्बन्धी एक नोट केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने भी अलग से भेजा है। इन रिपोर्टों पर विचार किया जा रहा है । श्री कीर्ति शर्मा के प्रत्यावर्तन के आदेश 9 दिसम्बर, 1977 को जारी किए गए थे और उन्हें अपने कार्यभार से मुक्त कर दिया गया है ।

(ग) जी हां। प्रारम्भ में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की केन्द्रीय अनुसन्धान परिषद् ने केन्द्रीय अनुसन्धान संस्थान (आयुर्वेद), पटियाला के लिए परियोजना अधिकारी के पद की अनुमति दी थी। इस बीच परिषद् की कार्यकारी समिति ने 24 नवम्बर, 1970 को हुई अपनी बैठक में 1100–1400 रुपये के पूर्व-संशोधित वेतनमान में निदेशक के एक पद की स्वीकृति भी दे दी और इस पद के भर्ती नियम भी अनुमोदित कर दिए। तथापि, केन्द्रीय अनुसन्धान संस्थान (आयुर्वेद), पटियाला के निदेशक के पद को भरा गया क्योंकि इस अवधि में परिषद् के उपाध्यक्ष ने इस संस्थान के लिए श्री कीर्ति शर्मा को परियोजना अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने की मंजूरी दे दी थी।

परियोजना अधिकारी के पद को विज्ञापित नहीं किया गया क्योंकि भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी की केन्द्रीय अनुसन्धान परिषद् ने उस समय तक केन्द्रीय अनुसन्धान संस्थान (आयुर्वेद), पटियाला में परियोजना अधिकारी के पद के भर्ती नियम तैयार नहीं किए थे, जिस पद पर श्री कीर्ति शर्मा को पंजाब सरकार की सहमति से 26 फरवरी, 1971 से प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया गया था। परिषद् की कार्यकारी समिति ने 3–7–1971 को हुई अपनी बैठक में उनकी नियुक्ति की मंजूरी भी दे दी थी। कार्यकारी समिति ने 24 नवम्बर, 1970 को हुई अपनी बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में आयुर्वेद के तीन और केन्द्रीय अनुसन्धान संस्थान खोलने का उल्लेख है और इस प्रस्ताव में इन संस्थानों के लिए स्टाफिंग पैटर्न निर्धारित करने के साथ-साथ प्रत्येक संस्थान के लिए 1100–1400 रुपये के वेतनमान में निदेशक का एक पद भी शामिल किया गया है। तथापि, कार्यकारी समिति ने, 11 फरवरी, 1971 को हुई अपनी विशेष बैठक में निदेशक के पद के वेतनमान को 1100–1400 रुपये से बढ़ाकर 1300–1600 रुपये कर दिया। तदनुसार केन्द्रीय आयुर्वेद अनुसन्धान,पटियाला के परियोजना अधिकारी के पद को निदेशक के पद में बदल दिया गया था। तथापि, श्री कीर्ति शर्मा पहली वाली शर्तों पर ही प्रतिनियुक्ति पर परियोजना अधिकारी के पद पर बने रहे। केन्द्रीय अनुसन्धान संस्थान (आयुर्वेद), के निदेशक के पद के भर्ती नियमों को बाद में कार्यकारी समिति ने 5–3–73 को हुई अपनी बैठक में संशोधित कर दिया था। केन्द्रीय अनुसन्धान संस्थान (आयुर्वेद) पटियाला और केन्द्रीय अनुसन्धान संस्थान (आयुर्वेद), चेरुथुरुति के निदेशक के पदों को मार्च, 1973 में अखिल भारतीय आधार पर विज्ञापित किया गया था। यद्यपि चयन समिति की

सिफारिशों को कार्यकारी समिति ने 30 मार्च, 1974 को हुई अपनी बैठक में अनुमोदित कर दिया था, फिर भी इन सिफारिशों को भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की केन्द्रीय अनुसन्धान परिषद् के शासी निकाय के एक सदस्य द्वारा आपत्ति उठाए जाने के कारण कार्यान्वित नहीं किया जा सका। इस विषय पर 19 अक्तूबर, 1974 को हुई परिषद की कार्यकारी समिति की 12वीं बैठक में फिर से विचार किया गया था और परिषद् के अध्यक्ष ने चुने गये उम्मीदवारों से मिलने का निर्णय किया किन्तु ऐसी कोई बैठक नहीं हुई। चूंकि केन्द्रीय अनुसन्धान संस्थान (आयुर्वेद), पटियाला के निदेशक के पद पर कोई नियुक्ति नहीं की गई थी, इसलिए श्री कीर्ति शर्मा की प्रतिनियुक्ति की अवधि को कार्यकारी समिति की सहमति से 6 फरवरी, 1976 तक और बढ़ा दिया गया था। बाद में 7 फरवरी, 1976 से श्री कीर्ति शर्मा को राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर में निदेशक के पद पर नियुक्त करने का फैसला किया गया जहां उन्होंने लगभग 6 महीने तक कार्य किया। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के निदेशक के पद से पदावर्तित होने पर श्री कीर्ति शर्मा को 25 अगस्त, 1976 से दो वर्ष की अवधि के लिए नई प्रतिनियुक्ति के आधार पर 1500–1800 रुपये के वेतनमान में केन्द्रीय अनुसन्धान संस्थान (आयुर्वेद) पटियाला में निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति पंजाब सरकार की सहमति से की गई थी। निदेशक के पद को फिर से विज्ञापित करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं।

(घ) श्री कीर्ति शर्मा द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार वह निम्नलिखित अर्हताएं रखते हैं :—

1. परीक्षा बोर्ड, आयुर्वेदिक विभाग, पेप्सू सरकार, पटियाला से आयुर्वेदाचार्य (आयुर्वेद में डिग्री)।
2. पंजाबी विश्वविद्यालय से संस्कृत में आनर्स (शास्त्री)।
3. पंजाब विश्वविद्यालय से एम० ए० (हिन्दी)।

गिरिडीह (बिहार) से अभ्रक का निर्यात करने के लिये टेलेक्स की सुविधायें

4866. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गिरीडीह (बिहार) विश्व में अभ्रक के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है और विश्व के विभिन्न देशों को अभ्रक के निर्यात से लगभग 30 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है।

(ख) क्या टेलेक्स की सुविधाओं के अभाव में भारतीय अभ्रक व्यापार निगम के निर्यात व्यापार के मुख्यालय को टेलेक्स की सुविधा के लिए जो पटना में अभ्रक क्षेत्र से 200 मील दूर है, अनावश्यक व्यय करना पड़ता है।

(ग) क्या गिरीडीह के चौदह अभ्रक निर्यातकों और भारतीय अभ्रक व्यापार निगम ने गिरीडीह में टेलेक्स की सुविधा देने के लिए आवेदन किया है और अनेक व्यापारियों ने टेलेक्स लाइन कनेक्शन लेने की इच्छा जाहिर की है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अभ्रक व्यापार और कोयला खान उद्योगों का विकास करने के लिए गिरीडीह में टेलेक्स की सुविधा देने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई) : (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) गिरीडीह् अभ्रक का एक प्रसिद्ध व्यापारिक केन्द्र है और अभ्रक के निर्यात से काफी विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है ।

गिरीडीह् में 12 पार्टियों ने, जिनमें माइका ट्रेड कार्पोरेशन आफ इण्डिया भी शामिल है, हाल ही में टेलेक्स कनेक्शनों के लिए अर्जियां दी हैं। गिरीडीह् में 20 लाइनों का एक टेलेक्स एक्सचेंज लगाने की परियोजना की जांच की जा रही है। आशा है कि वर्ष 1979 में एक नया टेलेक्स एक्सचेंज चालू किया जा सकेगा और इन सभी पार्टियों को उस एक्सचेंज से कनेक्शन दिए जा सकेंगे ।

धनबाद में एक टेलेक्स एक्सचेंज काम कर रहा है। यह स्थान गिरीडीह् से करीब 50 किलो-मीटर दूर है ? गिरीडीह् का जो उपभोक्ता ऐसा कनेक्शन जल्दी लेना चाहता हो, उसे धनबाद के टेलेक्स एक्सचेंज से एक लम्बी दूरी से कनेक्शन के तौर पर कनेक्शन दिया जा सकता है ।

दक्षिणपूर्व एशियायी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध

4867. **श्री समर गुह** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश मन्त्रालय ने दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की सरकारों तथा लोगों के साथ मैत्री को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कोई सामाजिक सांस्कृतिक योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या वर्ष 1977 के दौरान इन देशों के साथ कोई सांस्कृतिक आदान-प्रदान किया गया ;

(घ) क्या भारत तथा दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के बीच अध्यापकों, छात्रों, विद्वानों कलाकारों तथा सांस्कृतिक प्रतिभा वाले व्यक्तियों के आदान-प्रदान का कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(च) क्या भारत इन देशों में नये सांस्कृतिक केन्द्र खोलेगा तथा वर्तमान सांस्कृतिक संस्था को सुदृढ़ करेगा ; और

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्डू):(क) और (ख) . सरकार दक्षिण-पूर्व एशिया के उन सभी देशों के साथ सांस्कृतिक करार करना चाहती है जिनके साथ इस समय इस प्रकार के करार नहीं हैं और ऐसे सभी सांस्कृतिक करारों पर द्विपक्षीय रूप से सहमत कालबद्ध सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के अनुरूप चलना चाहती है। इसके अतिरिक्त, हाल ही में अगस्त, 1977 में दक्षिण-पूर्व तथा पूर्व-एशिया के भारतीय मिशन प्रमुखों के सम्मेलन में सांस्कृतिक सम्बन्ध के संवर्द्धन के सिलसिले में सरकार को बहुत से उपयोगी सुझाव दिए गए थे । यह सुझाव आम तौर से मान लिए गए हैं और उनमें से कई सुझावों पर पहले से ही अमल किया जा रहा है। सरकार ने श्री अशोक मेहता के अधीन एक मूल्यांकन समिति भी नियुक्त की है जो भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् के कार्य का मूल्यांकन करेगी और भावी कार्यकलापों के लिए इसका मार्ग दर्शन करेगी। सरकार को आशा है कि परिषद् दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ सांस्कृतिक सम्बन्धों को संवर्द्धित करने में अधिक सक्रिय साधन बन जाएगी ।

(ग) जी हां। इस प्रकार के सांस्कृतिक आदान-प्रदान में लेखकों, विद्वानों, पत्रकारों और कलाकारों की यात्राएं, कला प्रदर्शनियों का आयोजन, पुस्तकों और कलाकृतियों की भेंट देना तथा भारतीय शिक्षा शास्त्रियों की विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रतिनियुक्ति भी शामिल है।

(घ) और (ङ) भारतीय सांस्कृतिक सम्बद्ध परिषद् और सांस्कृतिक विभाग द्वारा, जहां व्यवहार्य हो, ब्यौरेवार कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है।

(च) (छ) जी हां। जहां तक दक्षिण-पूर्व एशिया में भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना का प्रश्न है, सरकार, जहां व्यवहार्य हो, इस प्रकार के केन्द्र स्थापित करना चाहेगी। सरकार इस क्षेत्र के सांस्कृतिक संस्थानों की ऐसी प्रायोजनाओं सम्बन्धी अनुरोध पर भी समुचित ध्यान देगी जिनसे भारत के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध सुदृढ़ होते हों।

उड़ीसा तथा आन्ध्र प्रदेश को सप्लाई किये गये केल्शियम अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा

4868. **श्री सरत कार :** क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राउरकेला इस्पात संयंत्र से गत तीन वर्षों के दौरान उडीसा तथा आंन्ध्र प्रदेश को कुल कितनी मात्रा में केल्शियम अमोनियम नाइट्रेट सप्लाई किया गया ;

(ख) विभिन्न राज्यों को किस आधार पर यह मात्रा आवंटित की जाती है ; और

(ग) क्या संयंत्र के सभीपतम जोन में इसके विपणन से होने वाले लाभ को ध्यान में रखा जाता है अथवा नहीं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) : वर्ष 1974–75 से 1976–77 के दौरान राउरकेला के उर्वरक कारखाने से उड़ीसा तथा आन्ध्र प्रदेश राज्यों को सप्लाई की गई कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा नीचे दी गई है :—

सप्लाई की गई मात्रा

(टन)

	उड़ीसा	आन्ध्रप्रदेश
1974–75	61,090	65,569
1975–76	60,379	160,562
1976–77	69,469	121,015

(ख) और (ग) सरकार द्वारा भिन्न भिन्न राज्यों को कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का आवंटन कृषि सम्बन्धी आवश्यकताओं, निर्माताओं द्वारा दी गई सम्भरण योजना और वितरण के पुराने प्रतिमान को ध्यान में रख कर किया जाता है। सभरण योजना में निकटतम क्षेत्र में विपणन की लाभदायकता को भी ध्यान में रखा जाता है बशर्ते कि बदलती हुई विपणन स्थितियों का सामना करने के लिए विभिन्न राज्यों में उनके अनुरूप बाजार का विकास किया जा सके।

Issue of Policies without Medical Examination by P. and T.

4869. Shri Hargovind Verma: Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Posts and Telegraphs Department is issuing Postal Life Insurance policies without any medical examination; and

(b) if so, since when and the amount of such a policy?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai): (a) Yes Sir.

(b) The non-Medical scheme was introduced with effect from 1-6-1972 and the maximum limit of insurance under this scheme is Rs. 4,000/-

Converting of Asean into a Military Alliance

4870. Shri Hargovind Verma: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether Association of South East Asain Nations is being converted into a military alliance; and

(b) if so, Government's reaction thereto?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Samarendra Kundu): (a) The Government are not in possession of any information to this effect.

(b) Does not arise.

Grant of Loans against Postal Life Insurance Policy

4871. Shri Hargovind Verma: Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether loans are advanced against Postal Life Insurance Policies even when loans advanced earlier against them outstanding; and

(b) if so, the amount of loans so advanced during the year 1976-77?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai): (a) Yes, Sir.

(b) The total amount of loans advanced during the year 1976-77 was Rs. 80,09,633/-. While granting the second loan, the amount of earlier loan along with interest due is adjusted and only the net amount is paid. In view of this, separate figures of second loans advanced are not maintained.

मध्य प्रदेश के सिधी जिले का भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

4872. श्री सूर्यनारायण सिंह : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था गत् दस वर्षों से मध्य प्रदेश के सिधी जिले में खनिजों की संभावना का पता लगाने के लिये सर्वेक्षण कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अब तक कोई सफलता मिली है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसी कार्य पर धन व्यर्थ गंवाने का क्या लाभ है ?

इस्पत और खान राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी हां ?

(ख) मध्य प्रदेश के सिंगरौली कोयला क्षेत्र के कुछ भागों में कोयला भंडार के लिए किए गए निर्धारण से मध्य प्रदेश के सिधी जिले में 1350 मिलि० टन के विशाल कोयला भंडारों का पता चला है। वरय्या-बहारटोला क्षेत्र में तांबे की खोज का काम 1973–74 में शुरु किया गया था जो अभी भी चल रहा है क्योंकि सार्थक परिणामों की प्राप्ति के लिए और अधिक खोजकार्य की आवश्यकता है।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

भूटान को वित्तीय सहायता

4873. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूटान की पंचवर्षीय योजना के लिए वित्तीय सहायता दी थी;

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता दी गई; और

(ग) सहायता किन प्रयोजनों के लिए दी जाती है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार ने भूटान की चौथी पंचवर्षीय योजना (1976–1981) के लिए जो कि इस समय क्रियान्विति के दूसरे वर्ष में हैं, लगभग 70 करोड़ रुपये की सहायता देने की बात सोची है।

(ग) भारत और संप्रभुता संपन्न स्वतंत्र भूटान के बीच पराम्परागत और मित्रता के विशिष्ट निकट संबंधों के अनुरुप भारत सरकार की ओर से दी जाने वाली वित्तीय सहायता ने भूटान में आधारित संरचना के निर्माण में योददान किया है जिसमें कृषि, पशुपालन, शिक्षा, वन विकास और लघु उद्योग के क्षेत्रों में दी जाने वाली सहायता शामिल है। भूटान की पंचवर्षीय विकास योजनाओं के लिए भारत सरकार की ओर से सहायता के अतिरिक्त भारत सरकार ने 'टर्न की' आधार पर एक सीमेंन्ट संयंत्र लगाने का और भारत और भूटान के आपसी हित के लिए एक पनबिजली विद्युत संयंत्र स्थापित करने का भी वादा किया है ।

Expenditure Incurred on Special Telephone Service in Amethi

4874. Shri Subhash Ahuja: Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether network of several special telephone services was laid in Amethi-Sultanpur constituency of Shri Sanjay Gandhi son of the former Prime Minister;

(b) if so, the name of the officer in communications Ministry under whose orders these facilities were provided there and whether legal action was taken against him and if so, when and if not, the reasons thereof;

(c) whether hot lines were provided for conversation by Shri Sanjay Gandhi from Amethi constituency and if so, the grounds on which it was done and the reasons for not providing this facility in other constituencies and the financial loss suffered by the Central Government as a result thereof; and

(d) whether officers of the Ministry went to Rai Bareli and Amethi from Delhi between 8th and 13th March and if so, the reasons therefor and the names of those officers?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai): (a) Only one Trunk Board at Amethi and one trunk circuit between New Delhi and Sultanpur were provided to cope with the additional trunk traffic due to election.

(b) The communications arrangement were made by Head of Circle exercising the powers delegated to him and the guide lines indicated in Director-General Circular No. 5 dated 3-2-1977.

(c) No hot line was provided.

(d) No officer of the Ministry officially visited these two places between 8th and 13th March, 1977.

मद्रास में स्कूल जाने वाले बच्चों में टी० बी० होने के लक्षण

4875. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास के स्कूलों में स्कूल जाने वाले बहुत से बच्चों और सम्पन्न परिवारों के बच्चों में भी टी० बी० होने के लक्षण पाए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो बच्चों को इस रोग से बचाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) सूचना तमिलनाडु सरकार से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

प्रतिपूर्ति के लिये औषधियों की सूची प्राकाशित करना

4876. श्री हरिविष्णु कामत : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए औषधियों की लागत की प्रतिपूर्ति हेतु सरकार द्वारा प्रकाशित मजूरशुदा आयुवदिक यूनानी और सिद्ध फार्मेसियों की स्वीकृत सूची में श्री अरविंद आश्रम आयुर्वेदिक फार्मेसी का नाम नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस त्रुटि को दूर करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) वर्तमान कार्यविधि के अन्तर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धतियों (जिनमें आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध भी शामिल हैं) और होम्योपथी की फार्मिसियों को राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकारों की

सिफारिश पर ही स्वीकृति दी जाती है । पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र ने श्री अरविंद आश्रम आयुर्वेदिक फार्मेसी का नाम अनुमोदित सूची में शामिल करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है । यदि वहां की सरकार प्रस्ताव भेजेगी तो फिर विचार कर लिया जाएगा ।

Promotion of Dressers Working in Hospitals and Central Health Services Scheme

4877. Shri Daya Ram Shakya: Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 762 on the 17th November, 1977 and state:

(a) the number of pharmacists working in the Central Government Health Service Scheme and in the Hospitals, whose qualifications are less than high school and who got themselves registered on the basis of their experience;

(b) the action being taken by Government to promote those dressers to the posts of pharmacists who are matriculates and have more than 10 years service at their credit; and

(c) whether pharmacists working in Homoeopathic Dispensaries under the Central Government Health Services Scheme are appointed on the basis of their experience only and not on the basis of their diploma and if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav): (a) the number of pharmacists working in the Central Government Health Scheme, Delhi and in the Safdarjang Hospital, New Delhi, whose qualifications are less than high school and who got themselves registered on the basis of their experience is twenty-nine and three respectively. There are no such pharmacists in the Willingdon Hospital, New Delhi.

(b) There is no proposal for promotion of dressers to the posts of pharmacists as the Recruitment Rules for the post of pharmacists do not provide for the same.

(c) Homoeopatic Pharmacists are appointed on the basis of their experience, since there is no recognised diploma course for them.

दिल्ली के अस्पतालों में बिस्तरों की कमी

4878. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि दिल्ली के अस्पतालों में बिस्तरों की भारी कमी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार, दिल्ली प्रशासन और नगर निगम द्वारा चलाये जा रहे अस्पतालों में कोई तालमेल नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो समुचित तालमेल रखने और रोगियों के लिए अधिक बिस्तरों की व्यवस्था करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) पूरे देश में चार हजार जनसंख्या के पीछे एक पलंग के मुकाबले दिल्ली के अस्पतालों में तीन हजार जनसंख्या के पीछे तीन पलंग उपलब्ध हैं ।

(ख) और (ग). जी नहीं । राजधानी में स्वास्थ्य और चिकित्सा संबंधी सेवाओं में तालमेल बैठाने के लिये दिल्ली के उप-राज्यपाल की अध्यक्षता में एक अस्पताल बोर्ड का गठन कर दिया गया है ।

Delivery of Dak in Hilly and Snowy Areas

†**4879. Shri Ramanand Tiwary:** Will the Minister of **Communication** be pleased to state:

(a) whether he is aware that the Extra Departmental Post Masters of the Branch Post Offices in the hilly and sonwy areas of Himachal Pradesh have to go to every house in every village on foot to distribute dak;

(b) whether Government propose to appoint a full-time employee or Post-man to assist the Post Masters of the Branch Post Offices at such places;

(c) if so, the main points of the decision taken in this regard; and

(d) if not the reasons therefor?

The Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai): (a) Extra Departmental Branch Postmaster are entrusted with the work of delivery of mails in villages including hilly and snowy areas only in such cases where separate delivery agents/village postmen are not justified on account of the work load. Ordinarily, there is very little work relating to delivery of mails in hilly and snowy areas.

(b) separate posts of delivery agents are sanctioned in normal course for all such post offices which justify these posts on the basis of work load;

(c) and (d). Do not arise in view of the above.

भारतीय रेड क्रास सोसायटी

4880. श्री उग्रसेन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री वर्ष 1975 में गायब हुए 75 खाली चैकों और बाद में स्टेट बैंक आफ इण्डिया में रेडक्रास सोसाइटी, नई दिल्ली के खाते से 52,000/–रुपये निकाल लिये जाने के बारे में 24 जून, 1977 के अल्प सूचना प्रश्न संख्या 5 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चैक बुकों की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई थी ;

(ख) क्या दिल्ली-उत्पादक-शुल्क विभाग द्वारा मारे गये छापे में रेड क्रास सोसाइटी, नई दिल्ली के परिसर में, जून, 1977 में बड़ी मात्रा में बिना लाइसेंस की शराब पाई गई थी ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण विवरण क्या है ;

(ग) क्या रेड क्रास सोसाइटी में सेवा निवृत्ति के लिए कोई आयु-सीमा है तथा वर्तमान महा-सचिव की आयु कितनी है ;

(घ) रेड क्रास सोसाइटी, नई दिल्ली में लोक सभा चुनालों के दिन अर्थात् 16 मार्च, 1977 की छुट्टी घोषित क्यों नहीं की गई थी ; और

(ङ) संगमरमर से निर्मित नये रेड क्रास भवन का उद्घाटन किसने किया था तथा तत्सम्बन्धी शिला पर क्या लिखा है ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। तथापि, फरवरी,/मार्च, 1975 में सोसाइटी के खाते से जाली हस्ताक्षरों से निकाले गये 50,100/—रुपये का बैंकरों ने सोसाइटी को अनन्तिम रूप से भुगतान कर दिया है।

(ख) रेड क्रास सोसाइटी के अहाते में दिल्ली उत्पादन शुल्क विभाग द्वारा किसी प्रकार का कोई छापा नहीं मारा गया है।

(ग) जी, हां। साधारणतया सोसाइटी के नियमित कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु 60 वर्ष हैं परन्तु विशेष परिस्थितियों में सोसाइटी किसी व्यक्ति को उस आयु के बाद भी कार्य करते रहने अथवा नियुक्त करने की अनुमति दे सकती है। सोसाइटी के वर्तमान महासचिव की आयु 68 वर्ष हैं।

(घ) राष्ट्रीय मुख्यालय का दफ्तर लोक सभा के चुनाव के दिन अर्थात् 16 मार्च, 1977 को बन्द था और कुछ कर्मचारियों को जिन्हें जरूरी कार्य पर लगाया गया था, अपने मतों का उपयोग करने लिए कुछ समय के लिए छुट्टी दी गई थी।

(ङ) भारत के तत्कालीन कार्यवाहक राष्ट्रपति ने जो भारतीय रेड क्रास सोसाइटी के भी अध्यक्ष हैं, 25 जून, 1977 को सोसाइटी के नव-निर्मित मुख्यालय भवन का उद्घाटन किया था। शिला पर ये शब्द अंकित हैं—"25 जून, 1977 को भारत के राष्ट्रपति श्री बी० डो० जत्ती द्वारा उद्घाटन किया गया।"

विभागेतर पोस्टमास्टरों को कम वेतन

4881. **श्री पद्मचरण सामन्त सिंहार :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत विभागेतर पोस्टमास्टरों को निम्नतम वेतन मिलता है जबकि सरकार निम्नतम वेतन नीति निर्धारित कर रही है ;

(ख) विभागेतर डाकघरों में कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ;

(ग) क्या सरकार उनके वेतन बढ़ाने के मामले में सहानुभूति रखती है ; और

(घ) यदि हां, तो उनका वेतन कितना होगा तथा उन्हें यह वेतन कब तक प्राप्त होगा ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई) : (क) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि शाखा पोस्टमास्टर दिन में सिर्फ सीमित घंटों में काम करते हैं, उन्हें दिया जाने वाला भत्ता अपर्याप्त नहीं समझा जाता है।

(ख) 31-3-77 को विभागेतर एजेंटों की कुल संख्या 222495 थी।

(ग) और (घ). शाखा पोस्टमास्टरों की मजदूरी के ढांचे पर पुनर्विचार किया जा रहा है।

रेल के पहियों के एक जोड़े की उत्पादन लागत

4882. **श्री सुखेन्द्र सिंह :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक्सल सहित रेल पहियों के एक जोड़े की उत्पादन लागत कितनी है तथा रेल विभाग को उन्हें किस मूल्य पर बेचा जाता है ; और

(ख) विभिन्न इस्पात संयत्रों में एक टन टस्पात की उत्पादन लागत कितनी है तथा उसका किस मूल्य पर निर्यात किया जा रहा है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) और (ख). अलग-अलग कारखानों में इस्पात की विभिन्न श्रेणियों की उत्पादन लागत अलग अलग है जो प्रोडक्ट-मिक्स, पूंजीगत लागत आदि कई बातों पर निर्भर करती है। इसी प्रकार, इस्पात की विभिन्न श्रेणियों के निर्यात मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति के अनुसार घटते बढ़ते रहते हैं। रेलवे को धुरे सहित रेल के पहियों का एक जोड़ा 4,308 रुपये में सप्लाई किया जाता है (उत्पादन शुल्क तथा संयुक्त संयंत्र समिति का शुल्क शामिल नहीं है)

Office of the Aligarh Postal Seals Organisation

†4883. **Shri Nawab Singh Chauhan:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the place of work of the workers of Aligarh Postal Seals Cooperative Society/Organisation is neither airy nor provided with sufficient light and fans; and

(b) if so, the reasons therefor and whether Government propose to solve these problems immediately and also to provide other facilities relating to the labour cient light and fans; and

The Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai): (a) It is not correct that the sheds provided for workers of the Society are not airy or light therein is in-sufficient, though no fans and light points have been provided.

(b) The Society is an independent cooperative body and is not one of the units under the control of Posts and Telegraph Department. It is, therefore, for the society to look after the welfare of its workers.

मध्य प्रदेश में एक निर्यात प्रधान एल्यूमिनियम संयंत्र की स्थापना

4884. श्री सूर्य नारायण सिंह : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूसी विशेषज्ञों ने मध्य प्रदेश में एक निर्यात प्रधान एल्यूमिनियम संयंत्र स्थापित करने के बारे में सरकार को रिपोर्ट दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) से (ग). मैनपत बाक्साइट भण्डारों पर आधारित निर्यात-प्रधान एल्यूमिना संयंत्र की स्थापना हेतु एक साध्यता रिपोर्ट सोवियत एजेंसी से तैयार कराई गई थी। साध्यता रिपोर्ट का निष्कर्ष था कि एल्यूमिना निर्यात हेतु इन भंडारों का समुपयोजन आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं होगा। इसलिए इस मामले पर आगे कार्रवाई करना सभव नहीं था ।

भारतीय उच्चायुक्त को धमकी भरा पत्र

4885. **श्री माधव राव सिंधिया :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लन्दन स्थित भारतीय उच्चायुक्त को यह धमकी दी गयी है कि बैंक में डकैती करने तथा हत्या के आरोपों पर जिस व्यक्ति पर श्रीनगर में मुकदमा चलाया जा रहा है, अगर उसे तुरन्त रिहा नहीं किया गया तो उनकी हत्या कर दी जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में मंत्री महोदय की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) उच्चायुक्त की सुरक्षा के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्डू) : (क) 8 नवम्बर, 1977 को लन्दन में हमारे हाई कमिश्नर को टेप किया हुआ एक गुमनाम सन्देश मिला जिसमें धमकी दी गई थी कि यदि उस आदमी को तुरन्त न छोड़ा गया जिसे 1968 में जम्मू और काश्मीर में सशस्त्र डकैती और हत्या के लिये दोषी ठहराया गया था तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा । यह आदमी 8/9 दिसम्बर, 1968 को जेल से भाग निकला था और जून, 1976 में दुबारा गिरफ्तार कर लिया गया था जब उसने दो अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर जम्मू और काश्मीर के एक बैंक पर हमला करके बैंक मैनेजर की हत्या कर दी थी ।

(ख) इस मामले पर कानूनी दृष्टि से कार्रवाई की जा रही है ।

(ग) राजदूतावासों, हाई-कमिश्नों और कोंसलावासों के इत्यादि कार्मिकों और सम्पत्ति की सुरक्षा की व्यवस्था करना मूलत: आतिथेय सरकार का दायित्व है । अपनी ओर से हमने सभी मिशनों को परामर्श दिया है कि वे विभागीय सुरक्षात्मक उपायों पर अमल करें और उन्हें तेज कर दें तथा स्थानीय विदेशी कार्यालयों और सुरक्षा अभिकरणों से निकट सम्पर्क बनाये रखें । चुने हुए कुछ मिशनों में स्वदेश-आस्थानी सुरक्षा कर्मचारी तैनात किये गये हैं ।

इस मामले में, युनाइटेड किंगडम सरकार का ध्यान इसकी ओर इस आशय से आकृष्ट किया गया है कि वह पर्याप्त रक्षात्मक प्रबन्धों का सुनिश्चय करे ।

दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया और अफ्रीका में परियोजनाओं का निर्माण और पूरा किया जाना

4886. **श्री गगनाथ प्रधान :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षित पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया और अफ्रीका में गैर-सरकारी, सरकारी और संयुक्त क्षेत्रों में भारतीय फर्मों द्वारा कौन सी परियोजनाएं पूरी की गई हैं और किन का निर्माण किया जा रहा है और इन परियोजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च की जाती है ; और

(ख) इन परियोजनाओं में कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्डू) : (क) और (ख) दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया और अफ्रीका की बहुत सी परियोजनाओं में भारतीय फर्में हिस्सा ले रही हैं । अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

डाक व तार विभाग में अधिलंघन

4887. **श्री श्याम सुन्दर गुप्त :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संचार मंत्रालय के भूतपूर्व सचिव ने पहले तो संयुक्त सचिव के रूप में तथा फिर अतिरिक्त सचिव के रूप में और तदुपरान्त सचिव के रूप में कितने अधिकारियों का अधिलंघन किया ;

(ख) डाक व तार विभाग में वह किस तारीख को आये तथा उस समय उनका पद तथा वेतन क्या था ;

(ग) टेलीग्राफ इंजीनियरिंग सेवा में वह किस तारीख को पदोन्नत हुए और उनकी व्यावसायिक अर्हताएं क्या थीं ;

(घ) संचार मंत्रालय में डाक व तार महानिदेशक के पद पर कार्य करते समय वह प्रशिक्षणार्थ अथवा किसी अन्य कार्य के लिये कितनी बार विदेश भेजे गये और किन-किन देशों को भेजे गये ; और

(ङ) इन विदेश यात्राओं से विभाग को क्या लाभ पहुंचा ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई) : (क) भारत सरकार में संयुक्त सचिव और इससे ऊपर के स्तर के वरिष्ठ पदों पर नियुक्तियां विभिन्न संगठित ग्रुप 'ए' की सेवा के अधिकारियों में से योग्यता के आधार पर चुनाव के उपरान्त की जाती हैं । इसके लिए प्रत्येक पद की आवश्यकताओं और चयन क्षेत्र में उपलब्ध व्यक्तियों की अर्हताओं व अनुभव को ध्यान में रखा जाता है । इस तरह की नियुक्तियां विभिन्न सेवाओं से उम्मीदवारों की सावधिक प्रतिनियुक्ति द्वारा की जाती है । क्योंकि विभिन्न सेवाओं के अधिकारियों का समान वरीयता क्रम नहीं होता अत: इस तरह की गई नियुक्तियों में अतिक्रमण किये जाने का सवाल नहीं उठता ।

(ख) श्री सूरजमल अग्रवाल 3-11-1941 को इंजीनियर पर्यवेक्षक के रूप में 80-5-120-10-240 रुपये के वेतनमान में डाक-तार विभाग में भर्ती हुए थे ।

(ग) तत्कालीन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा नवम्बर 1943 में आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के परिणामस्वरूप उन्हें सहायक मंडल इंजीनियर (तार) (परिवीक्षाधीन) के रूप में 14-10-1944 को नियुक्त किया गया । उनकी शैक्षिक/व्यावसायिक योग्यताएं हैं वी०एस०सी० ग्रेजुएट इंस्टीटयूट आफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर (लंदन) से ।

(घ) और (ङ) लोक सभा के पटल पर एक विवरण रख दिया गया है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या** एल. टी--1450/77]

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के विरुद्ध भ्रष्टाचार और अधिकार के दुरुपयोग की कथित शिकायतें

4888. **श्री दिनेन भट्टाचार्य :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्यों सहित अनेक व्यक्तियों ने वर्तमान केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के विरुद्ध भ्रष्टाचार और अधिकार के दुरुपयोग आदि के बारे में अनेक शिकायतें की हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन शिकायतों की स्वतंत्र रूप से जांच करने के बजाय जैसा कि सरकारी अनुदेशों के अनुसार अपेक्षित है उन शिकायतों को केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को भेजा गया ; और

(ग) क्या स्वच्छ प्रशासन के हित में सरकार उन शिकायतों को उचित और स्वतंत्र जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजेगी ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

(ख) केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय से वास्तविक स्थिति का पता लगाया गया था । आयुक्त के कार्यालय से मंगाई गई संबंधित फाइलों की छानबीन करके बाद में इस मंत्रालय में इस मामले की जांच की गई और शाह आयोग को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई । साथ ही यह मामला सलाह के लिये एक स्वतंत्र प्राधिकारी को भी भेज दिया गया ।

(ग) यदि आवश्यक समझा गया तो उपयुक्त समय पर इन शिकायतों को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

विदेश में आनन्द मार्गियों की बैठक

4889. श्री प्रसन्न भाई मेहता :
डा० हेनरी आस्टिन :
श्री शंकर सिंह जी बाघेला :
श्री अनन्त दवे :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में 'मार्ग मीट एन्राड टू रिव्यु स्ट्रेटेजी' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने लन्दन में बैठक करने का निर्णय किया है ;

(ग) क्या भारत सरकार ने यू० के० सरकार से सम्मेलन की अनुमति न देने के लिये अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) :(क) जी हां ।

(ख) सरकार को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है यह बैठक कहां होगी ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

बंगला देश के नागरिकों की गिरफ्तारी

4890. श्री समर गुह : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या 1977 के दौरान बंगला देश के अनेक नागरिकों को गिरफ्तार किया गया

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ;

(ग) उन में से कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया तथा जेल में बंद किया गया, वापस बंगलादेश भेजा गया तथा कितने अभी भी भारतीय जेल में हैं ;

(घ) क्या बंगला देश के अनेक अल्पसंख्यक व्यक्तियों ने निस्सहाय होकर सीमा पार कर भारत प्रवेश किया और यहां अनेक वर्षों से रह रहे हैं ;

(ङ) क्या वे भारत में राष्ट्रताहीन व्यक्ति होकर रह रहे हैं ;

(च) क्या इससे उनके जीवकोपार्जन तथा विशेषकर उनके पुत्र तथा पुत्रियों की शिक्षा के बारे में बहुत ही कठिन स्थिति पैदा हो गई है ; और

(छ) यदि हां, तो क्या सरकार अविलम्ब उनको नागरिकता के अधिकार प्रदान करेगी ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क), (ख) तथा (ग) इसके बारे में सूचना एकत्र की जा रही है जो सदन को मेज पर रख दी जाएगी। लेकिन किसी भी बंगलादेशी राष्ट्रिक को इस तरह वापिस नहीं भेजा गया ; फिर भी जो लोग सीमा पार कर भारत में प्रवेश करते हैं या अवैध रीति से यहां रहते पाये जाते हैं उनसे वापस जाने को कहा जाता है ।

(घ), (ङ), (च) तथा (छ) विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री ने 1 दिसम्बर, 1977 को लोक सभा में जो वक्तव्य दिया था उसमें इन बातों के बारे में जो कुछ बताना संभव था, वह सब बता दिया गया था ।

Grant of Special Telephone Service to Shri Dhirendra Brahmachari

†**4897. Shri Subash Ahuja:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether Shri Dhirendra Brahmachari was provided special telephone service and irregular telephone connections by the former General Manager, Delhi Telephones; and

(b) whether Shri Dhirendra Brahmachari was given special rebate in telephone bills and if so, the amount of loss suffered by the Ministry thereby and the reasons for giving such a special rebate?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai): (a) No irregular telephone connections were provided to Shri Dhirendra Brahmachari by the former General Manager, Telephones, New Delhi.

(b) No rebate was given to Shri Dhirendra Brahmachari in connection with excess metering.

Grant of Irregular Connections to Youth Congress

†**4892. Shri Subhash Ahuja:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the number of irregular connections given to Youth Congress by the former General Manager, Delhi Telephones;

(b) whether these were permissible under the rules and if not, the reasons for giving such connections;

(c) whether payment of the bills thereof was made and if not, whether any legal action was taken in this regard; and

(d) the action taken against person responsible for grant of such irregular connections?

Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai): (a) As per records of the Telephone District, New Delhi, no irregular telephone connections were given to Youth Congress by the former General Manager, Telephtones, New Delhi. However, if any specific case is pointed out, it can be examined.

(b) and (d). Question does not arise.

न्यूनतम मजूरी का कृषि उत्पादों पर प्रभाव का अध्ययन

4893. श्री डी० डी० देसाई : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूनतम मजूरी के निर्धारण का कृषि उत्पादों की कीमतों पर पड़े प्रभाव का पता लगाने के लिये कोई अध्ययन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कृषि उत्पादों की ऊंची कीमतों के दौरान निर्धारित की गई न्यूनतम मजूरी गिरती हुई कीमतों के दौरान भी वही रहने से किसानों को हानि हो रही है ; और

(ग) यदि भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो, तो ऐसा अध्ययन आरंभ न करने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री नवीन्द्र वर्मा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) न्यूनतम मजूरी-दरों का सुस्वीकृत सिद्धान्त यह है कि कानून द्वारा निर्धारित की गई मजदूरी-दरों को सामाजिक दृष्टि से वांछनीय तथा आवश्यक समझा जाता है, भले ही नियोजकों की अदा करने और लाभ कमाने की क्षमता कुछ भी क्यों न हो ।

संसद् सदस्यों को चिकित्सा सुविधायें

4894. श्री अजीत सिंह दाभी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की चिकित्सा सुविधाएं केवल उन्हीं भूतपूर्व संसद सदस्यों को दी जा रही हैं जो दिल्ली, नई दिल्ली, बम्बई, इलाहाबाद, मेरठ, नागपुर, कानपुर, कलकत्ता, मद्रास, बंगलौर तथा हैदराबाद में रह रहे हैं और उन भूतपूर्व संसद सदस्यों को ये चिकित्सा सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं जो इन नगरों में नहीं रह रहे हैं ;

(ख) क्या संसद सदस्यों तथा उनके परिवारों को उपलब्ध होने वाली चिकित्सा सेवा इलाज संसद सदस्यों के उन्हीं माता-पिताओं को उपलब्ध है जो उपरोक्त नगरों में रह रहे हैं ;

(ग) क्या संसद सदस्यों तथा उनके परिवारों के सदस्यों को अस्पतालों में उसी तरह की चिकित्सा सेवा उपलब्ध है जो सम्बन्धित अस्पतालों द्वारा निर्धारित श्रेणी–1 के अधिकारियों के स्तर के अनुरूप हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता के सन्दर्भ में संसद सदस्यों का दर्जा श्रेणी–1 के अधिकारी के समान है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव): (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत आने वाले शहरों में रह रहे भूतपूर्व संसद सदस्यों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन चिकित्सा सुविधाएं दी जा रही हैं । केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना इस समय दिल्ली, बम्बई, इलाहाबाद, मेरठ, नागपुर, कानपुर, कलकत्ता, मद्रास बंगलौर, हैदराबाद और पटना शहरों में चल रही है ।

(ख) संसद सदस्यों के माता-पिता को भी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं यदि वे संसद सदस्यों पर मुख्यत: आश्रित हों और उनके साथ दिल्ली/नई दिल्ली में रह रहे हों । संसद सदस्यों के माता-पिता, जो केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के लाभार्थी हैं, और यदि वे उन शहरों में जाएं जहां यह योजना लागू है और वहां के ऐसे क्षेत्रों में ठहरें जो इस योजना के अन्तर्गत लाए जा चुके हों तो वे उक्त योजना के अन्तर्गत मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करने के हकदार होंगे किन्तु इसके लिए उन्हें उपयुक्त प्राधिकारी से अधिकारपत्र प्राप्त करना होता है ।

(ग) और (घ) जहां तक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का संबंध है, संसद सदस्यों को केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' (वर्ग–1) के अधिकारियों के बराबर समझा जाता है ।

कलकत्ता पत्तन न्यास के चेयरमैन के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST CHAIRMAN, CALCUTTA PORT TRUST

अध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर पत्र रखे जायें । श्री बरनाला ।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : मेरे स्थगन प्रस्ताव का क्या बना ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे उठाने की अनुमति आपको . . .

श्री सौगत राय : यह एक गम्भीर मामला है . . . (व्यवधान) . . .

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने कलकत्ता पत्तन न्यास के अध्यक्ष के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना दी है । वे श्री हरिपद घोष की लोक लेखा समिति के सामने शपथ देने के लिए तंग कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप इस प्रश्न को बार बार उठा रहे हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं बताना चाहता हूं कि . . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं विशेषाधिकार के प्रस्ताव की अनुमति नहीं देता

श्री ज्योतिर्मय बसु : तीसरी श्रेणी का एक कर्मचारी आपकी समिति के सामने आकर यदि कुछ कहे तो ऐसा करने के लिए क्या उसे **

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न किया जाये ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (कन्नानूर): कलकत्ता पत्तन न्यास के अध्यक्ष लोक लेखा समिति के सामने साक्ष्य देने के लिए एक कर्मचारी को तंग कर रहे हैं । यदि ऐसा मामला है तो इस मामले की जांच करना और कर्मचारी का बचाव करना सदन का कर्तव्य है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : यह आवश्यक है कि विशेषाधिकार समिति इस प्रश्न की जांच करे अन्यथा क्या कोई सदन की समितियों के साथ सहयोग कर सकेगा ? यह तो इस सदन के कार्यकरण का प्रश्न है ।

श्री बयालार रवि (चिरींचिक्कील) : कलकत्ता पत्तन न्यास के अध्यक्ष द्वारा एक कर्मचारी को तंग करने का मामला विचाराधीन है । कोई निर्णय लेने से पहले अध्यक्ष यह पता लगाये कि क्या उक्त कर्मचारी ने लोक लेखा समिति से इसकी कोई शिकायत की है और अपनी बचाव की प्रार्थना की है । इस सदन के सामने यह मामला आने से पहले इस पर लोक लेखा समिति विचार करे ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : स्पष्ट रूप से यह मामला विशेषाधिकार समिति का लगता है । यदि किसी व्यक्ति को साक्ष्य देने के कारण तंग किया गया है तो उसकी रक्षा करना सदन का कर्तव्य है । अतः सदन इसकी जांच करे क्योंकि सदन की समिति स्वयं सदन ही है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : समिति ने कर्मचारी को आश्वासन दिया है कि इस समिति के सामने साक्ष्य देने पर किसी को दंडित अथवा तंग नहीं किया जा सकता क्योंकि यह लोकतंत्र की सबसे उच्च संस्था की समिति है । परन्तु अब कर्मचारी से पूछा जा रहा है कि उसे कागजात कैसे प्राप्त हुए ? यह तंग करने का स्पष्ट मामला है । अतः यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये ।

Shri Gauri Shankar Rai (Ghazipur): In case somebody is harassed for giving evidence before a Committee, it involves breach of privilege. The present case being a clear case of breach of privilege, it should be referred to the Privileges Committee.

श्री सुशील कुमार धारा (तामलुक) : समिति के सामने गवाही देने के लिए नौकरशाही ने उस व्यक्ति को कितना तंग किया है इसके बारे में श्री ज्योतिर्मय बसु ने जो कुछ कहा है, उससे मैं पूर्णतः सहमत हूं । छंटनी के आदेशों पर हस्ताक्षर कर चेयरमैन ने अपने डैस्क में रख रखे हैं । इस सदन का सत्र समाप्त होते ही श्री घोष को दिया जाएगा । कलकत्ता पोर्ट न्यास में बड़ा भ्रष्टाचार है । पिछले चार महीने में मैंने मंत्री और सचिव को अनेकों पत्र लिखे परन्तु कुछ नहीं किया गया है ।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

**Not recorded.

श्री चित्त बसु (बारसात) : श्री घोष से लोक लेखा समिति में साक्ष्य देने को कहा गया था । उन्होंने ऐसा किया और उन्होंने पत्तन न्यास के कार्यकरण के बारे में बताया था । इसके लिए उन्हें तंग किया जा रहा है । अतः यह विशेषाधिकार समिति को भेजने का बड़ा उचित मामला है ।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी (अनन्तनाग) : श्री ज्योतिर्मय बसु ने बड़ा ही उचित प्रश्न उठाया है । सदन की समितियों में साक्ष्य देने वालों को तंग नहीं किया जाना चाहिये । अतः विशेषाधिकार समिति को भेजने के लिए यह उचित मामला है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा सूचना देते ही मैंने लोक लेखा समिति के सभापति से इस का ब्यौरा मांगा था कि क्या यह तंग किए जाने का मामला है । लोक लेखा समिति के सभापति ने कहा कि इसका साक्ष्य से कोई सम्बन्ध नहीं है, यह सर्वथा दूसरी बात है । इसी आधार पर मैंने अपनी अनुमति नहीं दी । अब सभी इस सम्बन्ध में बड़े उत्तेजित हैं । मैं अपने निर्णय में परिवर्तन कर सकता हूं ।

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की) : अध्यक्ष महोदय द्वारा मुझे लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के नाते सम्बन्धित कागजात भेजने से पहले उक्त कर्मचारी ने इस समिति को भी कागजात भेजे थे । मैंने उन कागजात में देखा कि कर्मचारी को एक शाखा से दूसरी शाखा में भेजने के आदेश दिए गए थे जिसको उसने नहीं माना । उस स्थानान्तरण के आदेश को न मानने पर कुछ कार्यवाही की गई । इसलिए जब विशेषाधिकार का मामला सामने आया मैंने यूं ही कह दिया कि इसका समिति के आश्वासन से कोई सम्बन्ध नहीं है और इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है जिस पर समिति विचार करे ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : यह विशेषाधिकार का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : सदन में व्यक्त किए गए दृढ़ विचारों के आधार पर मैं अपने निर्णय को बदलता हूं और इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपता हूं ।

श्री राज नारायण : मेरे विशेषाधिकार प्रस्ताव का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : वह विचाराधीन है ।

गन्ने और गुड़ के मूल्यों के बारे में

RE. DISCUSSION ON PRICES OF SUGARCANE AND GUR

Shri Surendra Vikram (Sahajahanpur): I would like the Agriculture Minister to make a statement regarding sugar and 'gru'.

Shri Mani Ram Bagri (Mathura): There is a lot of hue and cary on account of sugar and gur in the villages. The House should pay adequate attention towards the grievances of the farmers.

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं को समझता हूं । इस सम्बन्ध में कल मैं एक वक्तव्य दूंगा (**व्यवधान**)

श्री के० लकप्पा : गन्ना मूल्य सम्बन्धी आधे घंटे की चर्चा के दौरान उठाये गये कई प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए गये । अनेक सदस्यों ने गन्ने के मूल्य निश्चित करने की मांग की थी । इस बारे में कल पूरी चर्चा होनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने कल इस सम्बन्ध में वक्तव्य देने का वायदा कर लिया है ।

Shri Ugrasen (Deoria): We can sit till late in night to discuss this issue.

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : यदि समय मिला तो मुझे चर्चा के लिए कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : सरकार को या तो कल 2 घंटे तक इस पर चर्चा करनी चाहिये या सत्रावधि एक दिन के लिए बढ़ायी जाये ।

श्री पूर्ण सिन्हा : कालपात्र खोला जा चुका है शिक्षा मंत्री हमें बतायें कि इसमें क्या था और किन-किन विषयों की सामग्री इसमें संग्रहीत थी ।

The Minister of State in the Ministry of Labour and Parliamentary Affairs (Shri Larang Sai): It is necessary to have a discussion on this issue keeping in view the sentiments of theHon. Members. We can discuss it in the lunch hour and also sit late for an hour.

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कल की बैठक दो घंटे बढ़ा दी जाये ।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

पशु कल्याण बोर्ड मद्रास का वर्ष 1975–76 का वार्षिक प्रतिवेदन, केरल कृषि उद्योग निगम का वर्ष 1975–76 का प्रतिवेदन तथा कार्यकरण समीक्षा, उड़ीसा कृषि उद्योग निगम के वर्ष 1968–69 तथा 1969–70 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा विवरण

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) पशु कल्याण बोर्ड (प्रशासन) नियम, 1962 के नियम 24 के उपनियम (4) के अन्तर्गत पशु कल्याण बोर्ड, मद्रास के वर्ष 1975–76 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी० 1426/77]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) केरल कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 1975–76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) केरल कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी० 1427/77]

(ख) उडीसा कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, कटक का वर्ष 1968-69 का वार्षिक प्रतिवेदन (*हिन्दी संस्करण), लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(ग) उड़ीसा कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, कटक का वर्ष 1969-70 का वार्षिक प्रतिवेदन (*हिन्दी संस्करण), लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(3) उपर्युक्त 2(क) (दो) में उल्लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने का कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) उपर्युक्त (2) (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए** सं० एल० टी० 1428/77]

श्री पी० जी० मावलंकर (गांधी नगर) : विभिन्न सरकारी क्षेत्र के निगमों के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण समीक्षायें सभा पटल पर रखी जाती रही है । कई प्रतिवेदनों के 5 या 6 वर्ष के बाद सभा पटल पर रखने से ऐसा करने का मूल उद्देश्य ही निरर्थक हो जाता है। उदाहरण के लिए अभी-अभी वर्ष 1968-69 का प्रतिवेदन भी सभा पटल पर रखा गया है । अंग्रेजी की प्रतियां तो 28 अक्तूबर, 1976 को रखी गई लेकिन हिन्दी की प्रतियां आज रखी जा रही हैं, जिसका अर्थ यह है कि हिन्दी की प्रतियां तैयार करने में एक वर्ष दो महीने लगे हैं । यह त्रुटि अक्षम है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे देखूंगा ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar): This is a serious matter. The very purpose of laying the papers is defeated as already stated by the Hon. Member.

I think that purview of the Committee should be extended with a view to detect the frauds, if any.

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : जो प्रतिवेदन 1968-69 से सम्बन्धित है उसके साथ महालेखा परीक्षक के लेखा परीक्षण टिप्पणियां भी हैं जिसके लिए समय लगता है और जिसका कारण भी बताया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : फिर भी 9 वर्ष का बिलम्ब अक्षम है जिसके लिए आपको छोड़कर कोई न कोई जिम्मेवार हो सकता है । भविष्य में इस प्रकार के प्रतिवेदन सभा पटल पर शीघ्रातिशीघ्र रखे जायें ।

Annual Report of National Productivity Council for 1976-77

The Minister of State in the Minetry of Labour and Parliamentary Affairs (Shri Larang Sarin): On behalf of Shri George Fernandes I lay on the Table a copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Productivity Council, New Delhi, for the year 1976-77.

[Placed in the Library. *See* LT No. 1429/77].

भारत अल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड का वर्ष 1976–77 का प्रतिवेदन तथा कार्यकरण समीक्षा

इस्पात तथा खान मंत्री (श्री बीजूपटनायक): मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हू :—

(एक) भारत ऐल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1976–77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1976–77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1430/77]

Audit Report on account of Central Board for Prevention and Control of Water Pollution for 1976-77

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing and Suply and Rehabilitation (Shri Ram Kinkar): I beg to lay on the Table a copy of the Audit Report (Hindi and English versions) on the accounts of the Central Board for Prevention and Control of Water Pollution for the year 1976-77, under sub-section (a) of Section 40 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

[Placed in the Library. *See* LT No. 1431/77].

हिन्दी के प्रसार सम्बन्धी वर्ष 1973–74 तथा 1974–75 के वार्षिक मूल्यांकन, प्रतिवेदन

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : मैं हिन्दी के प्रसार तथा विकास और संघ के विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए उसके उत्तरोत्तर उपयोग में गति लाने के लिए बनाये गये कार्यक्रम तथा उन के कार्यान्वयन सम्बन्धी वर्ष 1973–74 और 1974–75 के वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1432/77]

Shri P. G. Mavalankar (Gandhinagar): Reports for the years 1973-74 and 1974-75 are being placed now. Delay in placing the reports reveals the apathy of the Govt. in implementing the programme of speedy popularisation of Hindi in the Government offices. I request you to ask the Government for popularising Hindi in the offices as early as possible.

Statements re. action taken by Govt. in various Assurances given by the Ministers

The Minister of State in the Minstry of Labour and Parliamentary Affairs (Shri Larang Sai): I beg to lay on the Table the following statements (Hindi and English versions) showing the action taken by the Government on various assurances, promises and undertakings given by the Ministers during the various sessions of the Lok Sabha:—

(1) Statement No. X—Sixteenth Session, 1976. — Fifth Lok Sabha.

(2) Statement No. IV—First Session, 1977.
(3) Statement No. V—Second Session, 1977.
(4) Statement No. VI—Second Session, 1977.
(5) Statement No. I—Third Session, 1977.
— Sixth Lok Sabha.

[Placed in the Library. *See* LT. No. 1433/77].

Report of Deshpande Commission re: Death of Justice D. S. Lamba and Report of the committee on drug misuse in India

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav): I beg to lay on the Table:—

(1) A copy of the Report (Hindi* version) of the Deshpande Commission set up by the Central Government to enquire into the facts and circumstances leading to the death of justice D. S. Lamba of the High Court of Punjab and Haryana, under sub-section (4) of section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952.

[Placed in the Library. *See* LT. No. 1434/77].

(2) A copy of the Prevention of Food Adulteration (Fifth Amendment) Rules, 1977 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 732(E) in Gazette of India dated the 5th December, 1977, under sub-section (2) of section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954.

[Placed in the Library. *See* LT. No. 1435/77].

(3) A copy of the Report (Hindi** version) of the Committee on Drug abuse in India.

[Placed in the Library. *See* LT. No. 1436/77].

सभा पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE

कार्यवाही सारांश

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति की 31 अगस्त, 6 अक्तूबर और 20 दिसम्बर, 1977 को हुई बैठकों की कार्यवाही सारांश (सभा पटल पर रखे गए) की प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव मैं राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देता हूं :—

(एक) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 14 दिसम्बर, 1977 को पास किये गये विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1977 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

(दो) कि राज्य सभा ने 19 दिसम्बर, 1977 की अपनी बैठक में बाल (संशोधन) विधेयक, 1977 पास किया है ।

बाल संशोधन विधेयक

CHILDREN (AMENDMENT) BILL

सचिव : मैं बाल (संशोधन) विधेयक, 1977 राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, सभा पटल पर रखता हूं ।

सभा पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE

दूसरा प्रतिवेदन

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं सभा पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति का दूसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

दूसरा 18वां, 32वां, 24वां, 31वां, 33वां, 36वां, 41वां, 42वां, 47वां, और 50वां प्रतिवेदन

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवतुपुजा): मैं लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :—

(1) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के वर्ष 1974–75 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) के पैराग्राफ 9 और 10 पर दूसरा प्रतिवेदन ।

(2) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के वर्ष 1973–74 के चौथी योजना में सड़क विकास सम्बन्धी अनुपूरक प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल) पर 18वां प्रतिवेदन ।

(3) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के वर्ष 1974–75 के प्रतिवेदन संघ सरकार (सिविल) के सेंजेसा के निकट भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास सम्बन्धी पैराग्राफ 31 पर 21वां प्रतिवेदन ।

(4) भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के वर्ष 1974–75 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (रेल) में सम्मिलित रेल व्यय सम्बन्धी पैराग्राफों पर 24वां प्रतिवेदन ।

(5) श्रीनगर टेलीफोन केन्द्र के विस्तार के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति के 204वें प्रतिवेदन (पांचवीं लोक सभा) में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 31वां प्रतिवेदन ।

(6) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के वर्ष 1974–75 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल) के हल्दिया गोदी परियोजना सम्बन्धी पैराग्राफ 33 पर 33वां प्रतिवेदन ।

(7) फटे पुराने कपड़ों के रूप में गलत घोषणा करके ऊनी कपड़ों की अनियमित छुड़ाई के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति के 158वें प्रतिवेदन (पांचवीं लोक सभा) में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 36वां प्रतिवेदन ।

(8) आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति के 181वें प्रतिवेदन (पांचवीं लोक सभा) में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 41वां प्रतिवेदन ।

(9) नौसेना डाकयार्ड विस्तार योजना––रक्षा मंत्रालय पर लोक लेखा समिति के 210वें प्रतिवेदन (पांचवीं लोक सभा) में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 42वें प्रतिवेदन ।

(10) चमड़े के निर्यात के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति के 209वें प्रतिवेदन (पांचवीं लोक सभा) में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 47वां प्रतिवेदन ।

(11) विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति के 173वें प्रतिवेदन (पांचवीं लोक सभा) में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 50वां प्रतिवेदन ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBER BILL AND RESOLUTION

8वां प्रतिवेदन

श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा : मैं, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 10वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION

चौथा प्रतिवेदन

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का चौथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

सरकारी आश्वासनों संबन्धी समिति

COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

पहला प्रतिवेदन

श्री राम दास शर्मा : मैं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति का पहला प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

पब्लिक सेक्टर लोहा और इस्पात कम्पनी (पुनर्संरचना) तथा प्रकीर्ण उपबन्ध विधेयक

PUBLIC SECTOR IRON AND STEEL COMPANIES (RESTRUCTURING) AND MISCELLANEOUS PROVISIONS BILL

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सरकारी क्षेत्र की लौह और इस्पात कम्पनियों के प्रबन्ध को बेहतर बनाने तथा उनके कार्यकरण में अधिक कुशलता लाने के लिए उनकी पुनर्रचना करने तथा तत्संक्त या आनुषगिक मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"कि पब्लिक सेक्टर की लोहा और इस्पात कम्पनियों के सकर्मों का बेहतर प्रबन्ध और उनमें अधिक दक्षता सुनिश्चित करने की दृष्टि से उनकी पुनर्सरचना करने का तथा उनसे सम्बधित और आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः- स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

श्री सी० एम० स्टीफन : विधेयक के कुछ उपबन्धों में शक्तियों के प्रत्यायोजन का प्रावधान होता है । लेकिन अन्तर्निहित शक्तियों के प्रत्यायोजन के व्यौरे बताने वाला कोई ज्ञापन इस विधेयक के साथ संलग्न नहीं है जो कि अनिवार्य उपबन्ध है ।

फिर इस विधेयक में यह उपबन्ध हैं कि कुछ कम्पनियां जो आज स्टील अथारिटी आफ इण्डिया के अधीन हैं वे सीधे मंत्रालय के नियंत्रणाधीन स्वतन्त्र कम्पनियां हो जायेंगी। लेकिन इस सम्बन्ध में कोई वित्तीय ज्ञापन नहीं है । क्या यह मंत्री महोदय का ही दावा है कि जो कम्पनियां अब तक स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के अधीन चल रही हैं उन्हें मंत्रालय अपने अधीन कर लेगा और उसके लिए कोई अतिरिक्त खर्चा नहीं होगा । इस पर वास्तव में अतिरिक्त खर्च होगा और इसके लिए वित्तीय ज्ञापन होना चाहिए । लेकिन इस विधेयक के साथ ऐसा कोई ज्ञापन नहीं लगा है । अतः सदन में पेश यह विधेयक त्रुटिपूर्ण है ।

फिर यह विधेयक राष्ट्रीय हित नीति से अलगाव पैदा करता है। एन० एम० डी० सी०; एम० ई० के० ओ० एन०; एच० एस० आई० एल० में सभी कम्पनियों, हिन्दुस्तान स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटड देख रेख करती है, को इससे अलग कर मंत्रालय के अधीन किया जा रहा है। यह अत्याधिक घातक प्रयास है जिससे हमारे उत्पादन पर बहुत भयंकर प्रभाव पड़ेगा। यह कदम राष्ट्रीय नीति के नितान्त विरुद्ध है और इससे हमारी आत्म निर्भरता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और हमें अन्तर्राष्ट्रीय उत्पादक संघ के अधीन बना देगा। अतः मैं इस विधेयक के पुरःस्थापित किए जाने का ही विरोध करता हूं।

इस्पात और खान मंत्री (**श्री बीजू पटनायक :**) वित्तीय ज्ञापन की कोई आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि भारत की समेकित निधि से कोई खर्च नहीं होगा।

दूसरे इस्पात कम्पनियों या इस्पात कारखानों द्वारा दो वर्षों में इस्पात का उत्पादन बन्द किए जाने से हिन्दुस्तान स्टील कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड ऐसे दूसरे कार्य आरम्भ करेगी जिनका इस्पात से कोई सम्बन्ध नहीं होगा। वस्तुतः ये इस्पात से इतर कार्यों में पहले से ही संलग्न हैं जैसे बोकारो और भिलाई में है इन्हें वहां शीघ्र ही कार्य समाप्त करना होगा। हम इनके लिए विदेशी भागीदारों की खोज कर रहे हैं जो अन्य देशों में यह कार्य ले जा सकें। अतः इन कम्पनियों को इस्पात संयंत्रों के अधीन एक अंग के रूप में रखने से ऐसी कस्ट्रक्शन कम्पनी के लिए लाभकर नहीं होगा जिसमें अनेक लोग काम करते हैं और जिसे भारत से बाहर और भारत के भीतर काम की तलाश करनी है।

जहां तक एम० ई० के० ओ० एन० का सम्बन्ध है, यह डिजाइन और कंस्ट्रक्शन कम्पनी है। यह कम्पनी भी अन्तर्राष्ट्रीय मण्डी में काम ले जा रही हैं। समस्त विश्व में डिजाइन बनाने का काम उत्पादन कम्पनियों के काम से अलग हो रहा है। इसी कारण इस कम्पनी को स्वतंत्र स्वावलम्बी प्राधिकरण बनाया गया है।

इसी प्रकार रिफैक्टरियों के बारे में है। पहले तो ये रक्षित रिफैक्ट्रियां हैं। अब ये बढ़ रही हैं। विशालतम संयंत्र भिलाई में होगा। लेकिन स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड से अलग कम्पनी की संकल्पना की है क्योंकि इसे इपात के वर्ग के अतिरिक्त अपना बहुत सा उत्पादन बेचना है।

सरकार ने लोह-ग्रयस्क, अलमूनियम, क्रोम, टिन तथा अन्य धातुओं के खानक्षेत्र भी उन्हें प्रदान करने का निर्णय किया है। उन्हें खानों के आयोजन के लिए परामर्श सेवा का भी विकास करना है। क्योंकि अन्य देशों में इस परामर्श सेवा की मांग है।

मैं माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं कि विधेयक को पुरःस्थापित करने का विरोध न करें।

श्री सी० एम० स्टीफन : (इडुक्की) : पृथक संगठन की क्या आवश्यकता है। मैं बताना चाहता हुं . . . .

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सरकारी क्षेत्र की लौह और इस्पात कम्पनियों के प्रबन्ध को बेहतर बनाने तथा उनके कार्यकरण में अधिक कुशलता लाने के लिए उनकी पुनर्रचना करने तथा तत्संसक्त या आनुषंगिक मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री बीजू पटनायक : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar): I want to draw the attention of the Speaker towards the privilege motion given by me against Smt. Indira Gandhi under Rule 223.

अध्यक्ष महोदय : आपने इस बारे में अधिक जानकारी देने का वचन दिया था . . .

निर्वाचन नियम (संशोधन) विधेयक

ELECTION LAWS (AMENDMENT) BILL

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और भारतीय एण्ड संहिता में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और भारतीय दण्ड संहिता में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री शान्ति भूषण : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

Mr. Dy. Speaker in the Chair

नियम 377 के अधीन मामले

MATTERS UNDER RULE 377

Shrimati Mrinal Gore (Bombay North): I had given a notice under Rule 337 which the Minister is prepared to reply.

उपाध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री महोदय उत्तर देना चाहें तो कल दे सकते हैं ।

The Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain): If the Hon. Member has at any level desired any information, I am always prepared to supply the same.

Mr. Deputy Speaker: No, it cannot be done like that under Rule 337.

गन्ने के मूल्य बढ़ाने में असफलता

Shri Ram Dhari Shastri (Padranna): Nearly 10 crores of people in our country are dependent on sugarcane cultivation. There are about 243 sugar mills and about 7 thousand small khandsari units. Nearly 12 lakh people work in these units at present, only 15 per cent people get sugar at Rs. 2.15 per kilo through fair price shops whereas the remaining 85 per cent have to pay Rs. 4.15 per kilo. Thus only for the sake of 15 per cent people, Government is continuing an artificial control on sugar. We were expecting that this control will be removed, but it has not been done.

The policy of the Janata Government is to encourage small units. But no reduction has been allowed to them in the excise duty, although relief to the tune of Rs. 85 crores in excise duty has been given to the big sugar mills. The sugarcane price has also not been increased. The sugar cane growers once used to have 62 per cent. There in the price of sugar which has now been reduced to 43 per cent.

According to the statistics of Reserve Bank, the Sugar Mills yielded net profits of 2 per cent on these investment during 1970-71. During 1971-72, it was 7.5 per cent and in 1972-73 it rose to 15.7 per cent. It was 10.8 per cent during 1973-74 and 9.3 per cent during 1974-75. In spite of that they make out that they are running in loss and are given relief in excise duty.

The rates of water, electricity, fertilisers and labour have increased four times. There is, therefore, every justification for fixing the minimum sugar cane price at Rs. 15/- per quintal. That is our main demand.

With the announcement that there will be no export of gur, prices of sugar cane in khandsari unit came down from Rs. 10/- to Rs. 8/- per kilo. The result is that while the cultivators will suffer, traders will proper. The Minister of State for Agriculture has stated that control on sugar price cannot be removed as people have become habituated to buy cheaper sugar. It is strange that 15 per cent of the people are benefited at the cost of 85 per cent people who get sugar at the rate of Rs. 5/-a kilo. Therefore the excise duty on khandsari should be reduced and the minimum price for sugar cane increased.

The Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain): Shrimati Mrinal Gore has intimated that she will not be here tomorrow. If you permit. reply may be given today.

Mr. Deputy Speaker: That is all right. Let us finish it first.

(दो) सी० एम० आई० लि० और ईस्टर्न मैंगनीज एण्ड मिनरल्स लि० जोनछांछ, बिहार

Shri R. L. P. Verma (Kodarma): I want to draw the attention of the House to the Industrial problems of my constituency. On account of mismanagement in the Eastern Manganese and Mineral Company Ltd. and the Christian Mica Industries Ltd., retrenchment has been going on as a result of which about 4000 workers have been rendered jobless. They are at present in starving condition and 13 are reported to have died due to this. I have received a Memorandum signed by 1000 workers.

Mica worth Rs. 30 to 40 crores is exported from that area. Labourers are not getting wages since 1975. They are not being paid their provident fund also. A sum of Rs. 45 lakhs is due to them from the company in this regard.

The workers have applied under Provident Fund Act also, but they have not been paid their dues.

As a result of deteriorating condition of the company a team was deputed under the company Act. It recommended that the company may be taken over. But no action has been taken so far. This is a public limited company with 7 lakh share-holders. But the Directors have formed different companies from that capital. The officers have become millionaires. If the Government does not take over the company, the condition would further deteriorate. Mica is an extremely important mineral and these companies should not be allowed to be closed down.

A memorandum was given to the Hon. Minister on 27th November, 1977, but no action has been taken in the matter so far. If nothing is done, 4000 workers will come here and offer satyagraha which will create a difficult situation.

(तीन) स्वदेशी पोलिटेक्स लि०, गाजियाबाद के प्रबन्धकों द्वारा न्यायमूर्ति श्री एस० के० वर्मा का गलत ढंग से हटाये जाने का समाचार

Shri Sherad Yadav (Jabalpur): This is a very serious matter. I want it to be taken up as 'Calling Attention' or under Rule 377.

This matter was discussed in the House on the 8th instant. Thirteen labourers have lost their lives.

The state of affairs in Swadesh Cotton Mills, Kanpur is very deplorable. 8000 workers employed there are not getting their wages in time for the last two years and they have been driven to the brink of near starvation as a result thereof. Thirteen workers have even lost their lives. Two capitalists Rajaram and Sitaram Jaipuria are at the root of the whole trouble in this mill. Shri Sitaram Jaipuria and the Chairman of I.D.B.I. are bent upon destroying the Mill. Even the retired Chief Justice of Allahabad High Court, Shri S. K. Verma, who was deputed by the Allahabad High Court, U.P. to preside over a meeting in this matter was locked up in a bathroom at the instance of Shri Sitaram Jaipuria. This is very serious. Is Sitaram Jaipuria so powerful that nothing can be done against him? The U. P. Government has even attached shares of the value of Rs. One crore of this Company which it has purchased from the Swadeshi Polytex for payment of loan due to the Government and for paying wages to the workers. But due to noncooperation by the I.D.B.I., U.P. Government has not been able to sell these shares.

Government should look into it immediately and see that the officers of I.D.B.I., who were in league with the I.D.B.I. are punished and the mill is saved.

(चार) समाचार के बम्बई कार्यालय में अग्नि दुर्घटना

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चित्तूर) : हाल ही में बम्बई में समाचार कार्यालय में आग लगने के परिणामस्वरूप चार व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है । कई लोगों को शक है कि यह तोड़फोड़ का मामला था । सरकार ने इस आग दुर्घटना के सम्बन्ध में कोई ब्यौरा नहीं दिया है ? प्रभावित व्यक्तियों के परिवारों को दी जाने वाली सहायता के बारे में भी सरकार ने कुछ नहीं कहा है । सरकार को इस मामले की जांच करनी चाहिये और सभा को समस्त ब्यौरा देना चाहिये ।

(पांच) 1971 के भारत-पाक युद्ध के बाद भारत आने वाले शरणार्थियों को नागरिक अधिकार देने में असफलता

SHRI BHANU KUMAR SHASTRI (Udaipur): Mr. Deputy Speaker, the condition of persons who were displaced from Sindh and Gujarat borders and had come over to India at the time of Indo-Pak war in 1971 is very pitiable. These people had helped our army at that time to a great extent. Even tents have not been provided for them. The Ministry has given to each of them Rs. 200 for housing purposes. Can a house be constructed in Rs. 200? These people prepared huts which were burnt in a fire. They are getting Rs. 30 each for subsistence. Can a man sustain himself with a meagre sum of Rs. 30? In some cases, they are being asked to refund even the subsidy received by them during the last six years. Wherefrom they will pay it? Government should look into this problem and provide them necessary amenities. Orders for non-recovery of subsidy should be issued immediately. There is need to grant them Indian citisenship to solve this problem effectively.

(छः) माना शिविर से पूर्वी पाकिस्तानी की हजारों शरणार्थी महिलाओं को बेचा जाना

श्री समर गुह (कन्हाई) : माना शिविर, देओली शिविर तथा अन्य कई शिविरों, जिनमें पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थी पिछले कई सालों से रह रहे हैं, में भेजे गये विधायकों के एक प्रतिनिधिमण्डल ने पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री को आकर बहुत ही शर्मनाक खबरों का हवाला दिया है । 17 तारीख को उन्होंने तथा शरणार्थी शिविरों के 17 सदस्यों ने पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री को एक अभ्यावेदन दिया जिसमें कहा गया है कि माना शिविर तथा अन्य शिविरों से लगभग 10 हजार लड़कियों को उठाकर बाहर बच दिया गया है ।

अधिकारियों के विरुद्ध भी गम्भीर शिकायतें हैं । पुलिस के विरुद्ध भी शिकायतें हैं कि वे भी कुछ लड़कियां ले गये और उन पर अत्याचार किये गये । इस सम्बन्ध में जांच कराई जाये और जांच की रिपोर्ट यहां पेश की जाये । संबद्ध सदस्यों के दल को शरणार्थी शिविरों में जाना चाहिये और वहां की दशाओं के बारे में सरकार को एक रिपोर्ट देनी चाहिये और साथ ही उनके पुनर्वास के सम्बन्ध में एक नीति बनाई जानी चाहिये ।

राहत सामग्री वितरण सम्बन्धी समिति के लिये भारतीय रेडक्रास सोसायटी के अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: APPOINTMENT BY INDIAN RED CROSS, SOCIETY OF OFFICIALS ON A COMMITTEE TO DISTRIBUTE RELIEF MATERIAL.

The Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain): On the 24th June, 1977, Smt. Mrinal Gore had rightly said that we had given an assurance for instituting an inquiry into the charges against Indian Red Cross Society. According to that assurance, we had initiated enquiry into the matter. The C.B.I. Officers, however, told the Government that since it was an international organisation, they cannot go into it. Then this work was entrusted to our Intelligence Bureau. It also took some time. Therefore, we thought that at least the Health Ministry can make enquiry about the money given by it to Red Cross.

As regards misuse of railway facilities by Red Cross people, the matter has been sent to the Railway Minister. As soon as some information is received from him, it will be communicated to the House.

As regards the question that there are some people in the Relief Committee for Andhra Pradesh against whom already there are some charges at the time of relief to Bangladesh refugees, our State Minister and Additional Secretary are going there and will look into it. As a precautionary measure, it has been decided that the Red Cross Unit at Andhra Pradesh would distribute the relief material.

If there is need for further enquiry after the enquiry by Shri Subinlal Dutt, we will not hesitate in it.

रेलवे अभिसमय समिति के प्रथम प्रतिवेदन के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE: FIRST REPORT OF RAILWAY CONVENTION COMMITTEE

रेल मंत्री (श्री मधु दण्डवते) : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व में देय लाभांश की दर और रेल वित्त तथा सामान्य वित्त के सम्बन्ध में अन्य संगत मामलों का पुनर्विलोकन करने के लिए नियुक्त समिति के पहले प्रतिवेदन के, जो 17 नवम्बर, 1977 को संसद् को प्रस्तुत किया गया था, पैरा 5, 6, 7, 11, 14, 17 और 18 में की गई सिफारिशों का अनुमोदन करती है ।

कि यह सभा यह भी निदेश देती है कि इस प्रतिवेदन में की गई अन्य सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के समिति को सूचित किया जाए ।"

पांचवीं लोक सभा में 15 जनवरी, 1976 को और राज्य सभा में 20-1-76 को पास किए गए संकल्प द्वारा रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व में देय लाभांश की दर और रेल वित्त तथा सामान्य वित्त के सम्बन्ध में अन्य संगत मामलों के बारे में 1973 को गठित रेलवे अभिसमय समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन के पैरा 4, 5, 15, 16, 17 और 23 में की गई सिफारिशें संसद् द्वारा अनुमोदित की गई और साथ ही यह निदेश दिया गया कि उस प्रतिवेदन में और 8वें और 9वें प्रतिवेदनों में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही से उक्त समिति को अवगत कराया जाये । समिति की उन प्रतिवेदनों पर की गई कार्यवाही की सूचना दे दी गई है ।

रेलवे अभिसमय समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन की सिफारिशों के अनुसार रेलवे उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व और अन्य अनुषंगी मामलों में वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए देय लाभांश की दर का निर्धारण किया गया ।

छठी लोक सभा के गठन उपरान्त 12 सदस्यों वाली नई रेलवे अभिसमय समिति का गठन किया गया । चूंकि रेलवे उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व और अन्य अनुषंगी मामलों में दी जाने वाली लाभांश की दर के सम्बन्ध में चालू वित्तीय वर्ष के लिए सिफारिशें उपलब्ध नहीं थीं इसलिए बजट प्राक्कलन संसद् द्वारा वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकृत व्यवस्थाओं के आधार पर तैयार किए गए ।

रेलवे अभिसमय समिति 1977 ने अपने पहले प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि रेलवे उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व तथा अन्य अनर्षंगी मामलों को देय लाभांश की दर वही जारी रखी जाए जिसका अनुमोदन पांचवीं लोक सभा ने वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिए किया था तथा वित्तीय वर्ष 1977–78 और आगामी वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए भी यही दर जारी रखी जाए ।

जैसा कि समिति ने निष्कर्ष निकाला है कि गत दो वर्षों के दौरान रेलवे के कार्यकरण में बहुत सुधार हुआ है । समिति ने इस बात पर भी सन्तोष व्यक्त किया कि मैंने जून, 1977 में वर्ष 1977-78 के लिए जो बजट प्राक्कलन प्रस्तुत किए थे उनमें 32.50 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दिखाया गया था । जब कि मार्च, 1977 में पेश किए गए अन्तरिम बजट में शुद्ध लाभ का अनुमान 26.45 करोड़ रुपए था । अप्रैल और अक्तूबर, 1977 के बीच की अवधि में रेलवे की आय में और वृद्धि हुई है । इस वर्ष गत वर्ष की इस अवधि की आय की तुलना में, हमारी कुल आय 82.5 करोड़ रुपए अधिक हुई है और कार्यकुशलता भी बढ़ी है ।

जैसा कि अभिसमय समिति ने विचाराधीन प्रतिवेदन में बताया है कि विकास निधि तथा राजस्व आरक्षित निधि के अन्तर्गत सामान्य राजस्व से रेलवे की ऋण-ग्रस्तता अभी भी जारी है मैं अभिसमय समिति की इस बात से सहमत हूं तथा इस ऋण से मुक्ति प्राप्त करने में रेलवे को कई वर्ष लगेंगे तथापि रेलवे का लगातार यही प्रयास रहेगा कि आय को बढ़ाया जाये और परिचालन व्यय को पूर्णतया नियत्रणाधीन रखा जाए ताकि सामान्य राजस्व से प्राप्त ऋणों को शीघ्रतिशीघ्र वापिस किया जा सके ।

इन शब्दों के साथ मैं यह संकल्प सभा में विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं । मैं रेलवे अभिसमय समिति के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों को भी उनके अथक श्रम के लिए धन्यवाद देता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ :—

"कि यह सभा रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व में देय लाभांश की दर और रेल वित्त तथा सामान्य वित्त के सम्बन्ध में अन्य संगत मामलों का पुनर्विलोकन करने के लिए नियुक्त समिति के पहले प्रतिवेदन के, जो 17 नवम्बर, 1977 को संसद् को प्रस्तुत किया गया था, पैरा 5, 6, 7, 11, 14, 17 और 18 में की गई सिफारिशों का अनुमोदन करती है ।

कि यह सभा यह भी निदेश देती है कि इस प्रतिवेदन में की गई अन्य सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही से समिति को सूचित किया जाए ।"

Shri Mohd. Shafi Qureshi (Anantnag): It is a matter of gratification that the present Railway Convention Committee has made almost the same recommendations which had been made by the earlier Committees. I would like to draw the attention of the hon. Railway Minister to this fact that railway accidents are now

order of the day. Not a single day passes when we do not hear news of some railway accident.

It is disturbing to note that while railway revenue has increased, the railway expenditure has also increased. The working expenses have today gone upto Rs. 2110 crores efforts should be made to reduce working expenses.

A Committee was constructed by the previous Government about passengers booking and reservation which had made very useful recommendations and some recommendation were even accepted by the then Government. It has come to my notice that the Minister wants to charge these things which were accepted earlier. The Minister should carefully think over it.

As regards restrueturing of railway board as announced by the Minister it is simply a change of nomenclature and nothing else. The names of Additional Members have been registered as Adviser and nothing else. But the thing to be seen is whether it has amounted to any reduction in working expenses. A committee should be appointed for the purpose.

The railway accidents now are the order of the day on the other hand the railway employees are also agitating for their demands. It is therefore necessary to see that the employees will not be blamed for any act of sabotage since saboteurs are at work.

It is reported that corruption has again raised its head in railway the travelling agents are again at work. Indicipline is also increasing. Government should check it.

As regards quarters for raliway staff there is some surplus land in possession of railway on to the sides of the railway lines the employees should be allowed to form cooperative societies for construction of houses on this land. The employees should be provided loans by banks for construction of houses.

The discipline and punctuality has been deteriorated in Railways. The hon. Minister should pay more attention to this side.

श्री एम० कल्याण सुन्दरम (तिरुचिरापल्ली) : मैं भी रेलवे अभिसमय समिति को उनके सबसे प्रथम प्रतिवेदन के लिए धन्यवाद देता हूं । 1971 से पहले रेलवे ममिति का कार्य बहुत सीमित था गत छः सात वर्षों से अभिसमय समिति के क्षेत्र और कार्यकरण में काफी विस्तार हो गया है । वह रेलवे प्रशासन पर निगरानी रखने के कार्य कर रही है और इसे कार्य को जारी रखना चाहिये । रेलवे अभिसमय समिति को स्थायी समिति बनाया जाना चाहिये । इस सभा को अभिसमय समिति द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार करना होगा क्योंकि अगला बजट पेश होने में भी अब कम समय ही बाकी रह गया है । जिन योजनाओं पर कार्य जारी हैं उन्हें पूरा करने के लिए समुचित आवंटन किया जाना चाहिये, योजनाओं में विलम्ब के कारण राजस्व की क्षति हो रही है ।

निर्माण-कार्य में काफी धनराशि फंसी पड़ी है, इसे रोका जाना चाहिये । दूसरे रेलवे अन्य उद्योगों द्वारा वायदे न पूरे करने की वजह से अपनी आय को बढ़ा नहीं पा रही है हालांकि रेलवे ने उस यातायात के लिए प्रबन्ध कर लिए हैं जिसका बयान उन्हें दिया गया था परन्तु यातायात न होने के कारण रेलवे को वित्तीय कठिनाइयां हो रही है ।

कहा गया है कि परिचालन व्यय बढ़ता जा रहा है और व्यय के अनुरुप राजस्व की प्राप्ति नहीं हो रही । स्थिति को इस परिप्रेक्ष्य में नहीं देखना चाहिये । हमें यह देखना होगा

कि क्या जो सेवायें की गई हैं उनमें कुछ सुधार हुआ है । निःसन्देह चालू वर्ष के दौरान 477 करोड़ रुपए के लगभग रेलवे पर कर्जा है लेकिन जो लोग यह जानते हैं कि इस प्रकार का सामाजिक दायित्व निभाने में रेलवे को कितना घाटा होता है वह इस बात को समझते हैं कि रेलवे के लिए सामान्य राजस्व से कितनी राशि देनी पड़ती है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि रेलवे में राजस्व की वृद्धि या परिचालन व्यय में वृद्धि की कोई गुंजाइश नहीं है ।

यह भी शिकायत की गई है कि फालतू पुर्जों, उपकरणों तथा वर्कशाप द्वारा सप्लाई किए जाने वाली अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के गुणों में ह्रास हो रहा है और इसके अतिरिक्त परिचालन व्यय भी बढ़ गया है । इसकी जांच की जानी चाहिये ।

एक विसंगति यह भी है जहां एक ओर परिचालन व्यय बढ़ रहा है वहां दूसरी ओर हमारे वर्कशापों की पूरी क्षमता का प्रयोग नहीं किया जा रहा ।

रेलवे के वर्कशापों में प्रवीण कारीगर हैं और वहां उपलब्ध संयंत्र और मशीनरी भी बहुत उत्तम कोटि की है अतः मरम्मत और रख-रखाव सम्बन्धी खर्चे को घटाने का सबसे उत्तम तरीका यह होगा कि वर्काशाप की क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग किया जाए तथा फालतू पुर्जे इत्यादि बिना किसी कठिनाई के उन्हें उपलब्ध कराए जायें ।

जहां तक माल के क्रय सप्लाई, भंडारण और वितरण का सम्बन्ध है रेलवे में इन्हें सुचारु बनाने की काफी गुंजाइश है ताकि राजस्व की हेराफेरी और फालतू पुर्जे और अपव्यय को रोका जा सके ।

भूतपूर्व सरकार ने कर्मचारियों के लिये नये क्वार्टर बनाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया था । इस प्रतिबन्ध को हटया जाना चाहिये तथा कर्मचारियों के लिए समुचित क्वार्टरों की व्यवस्था की जानी चाहिये ।

ऊंचे ग्रेडों में जितने पद रिक्त पड़े हैं उन्हें भरा नहीं जा रहा है । इन पर अलिवलम्ब नियुक्तियां की जानी चाहिए । काम के घंटों को उचित रूप से लागू नहीं किया जाता । रेल मंत्री ने हाल ही में हमें स्पष्ट रूप से बताया है कि गाड़ी के साथ चलने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी 10 घंटे की है । लेकिन यह सही नहीं है । लोको कर्मचारियों पर ही सारा बोझ है यह इसका विरोध कर रहे हैं । उनकी शिकायतों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिये ।

जहां तक रेलवे के व्यय में मितव्ययता का सम्बन्ध है कर्मचारियों को बचत का शिकार नहीं बनाया जाना चाहिये । तीन लाख कर्मचारियों को अभी तक नैमित्तिक कर्मचारी के रूप में रखा हुआ है । जितना जल्दी हो सके इसमें सुधार किया जाना चाहिये ।

रेलवे प्रशासन के ढांचे में अत्यधिक सुधार की आवश्यकता है । बजट भाषण के दौरान रेल मंत्री ने वचन दिया था कि वह प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें क्रियान्वित करेंगे । लेकिन मुझे लगता है कि नामावली में परिवर्तन के अतिरिक्त उन्होंने ढांचे में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया है । अब अतिरिक्त सदस्यों के स्थान पर सलाहकार होंगे । असली बात यह है कि रेल भवन का कार्य कम होना चाहिये रेलवे बोर्ड को नीति बनाने का कार्य अपने हाथ में लेना चाहिये और कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाने चाहियें । रेलवे के कुशल संचालन के लिए महाप्रबन्धक ही जवाब देह होने चाहियें । इसका पुर्नगठन ऐसा होना चाहिये कि जिससे युवा लोग इस क्षेत्र में आ सकें ।

श्री वी० एम० सुधीरन् : (अलेप्पी) : मंत्री महोदय ने रेलवे की कुशलता और कार्यकरण को सुधारने के लिए जो उपाय किए हैं वह स्वागतयोग्य हैं । लेकिन इसके लक्ष्य और उद्देश्य हमारी आशाओं के अनुरूप नहीं हैं प्रशासन का पूरा विकेन्द्रीयकरण किया जाना चाहिये । जोनल रेलवे को हमेशा अधिक शक्तियां दी जानी चाहिये । रेलवे के प्रशासन के रोजमर्रा के मुख्य कामों को निपटाने के लिए मंत्री महोदय द्वारा जोनल रेलवे को अधिक शक्तियां प्रदान करने के लिए तत्काल और समुचित उपाय करने चाहिए ।

अधिक राजस्व प्राप्त करने हेतु रेलवे को कुछ नई रेल लाइनें चालू करनी चाहिये । जहां तक केरल का सम्बन्ध है एरणाकुलम से अलेप्पी तक एक नई लाइन बनाना बहुत आवश्यक है । यह लाइन बहुत महत्वपूर्ण और लाभप्रद है । सरकार और केरल के लोगों की इस रेल लाइन में बहुत रुचि है । रेल मंत्री को अपने पद का उपयोग करके योजना आयोग से इस लाइन के लिए स्वीकृति शीघ्रतिशीघ्र प्राप्त करनी चाहिये ।

जहां तक रेल के विद्युतीकरण का सम्बन्ध है केरल में बिजली सस्ती दर पर उपलब्ध है और केरल सरकार ने और भी सस्ती दर पर बिजली देने की पेशकश की है । केरल में यातायात काफी है । बिजली और अन्य मामलों के सम्बन्ध में केरल सरकार से बातचीत की जानी चाहिये । वहां रेलवे को विद्युतीकरण चालू करने हेतु उपाय किए जाने चाहिये । जहां तक दोहरी लाइन का सम्बन्ध है शोखपुर और कोचीन की बीच स्थिति बहुत विकट है । नई लाइनें और नए डिब्बे चालू नहीं किए गए । त्रिचूर कुटटीपुरम–गरूवयूर तथा मैसूर-तेल्लीचेरी के बीच नई लाइनें बनाने के लिए एक प्रस्ताव है । मंत्री महोदय को इन नई लाइनों की योजना आयोग से स्वीकृति दिलानी चाहिए तथा केरल के लोगों की आशाओं को पूरा करना चाहिये ।

रेलवे स्टेशन पर प्रदान की जाने वाली सुविधायें समुचित नही हैं । रेलवे में विशेषकर दक्षिण के राज्यों में खान-पान व्यवस्था अच्छी नहीं है । वहां सप्लाई किया जाने वाला भोजन बिल्कुल अच्छा नहीं होता ।

श्री के० ए० राजन (चित्तूर) : आशा की जाती है कि रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन होने पर हमारे समक्ष रेलवे में मुख्य सुधार करने सम्बन्धी कुछ योजनाओं की क्रियान्वित करना सम्भव हो सकेगा । रेलवे सरकारी क्षेत्र का एक बड़ा संगठन है । इसमें लाखों लोग काम करते हैं । इसलिए मंत्री जी को वहां उठने वाली औद्योगिक सम्बन्धों सम्बन्धी समस्याओं पर विशेष ध्यान रखना चाहिये ।

आजकल नई लाइनों के लिए मांग करने की आदत सी हो गई है । वित्तीय कठिनाइयों के कारण सभी लाइनों का निर्माण कर पाना सम्भव नहीं । तथापि अलेप्पी-एरणाकुलम लाइन का निर्माण लाभप्रद सिद्ध होगा क्योंकि इससे निकट के क्षेत्रों से वाणिज्यिक वस्तुओं का यातायात बढ़ जाएगा ।

अन्य मांग विद्युतीकरण कि सम्बन्ध में है । जहां तक शुरू में किए जाने वाले भारी खर्चे का सम्बन्ध है इसमें केरल सरकार कुछ सहायता दे देगी साथ ही स्वैच्छिक संस्थाओं तथा

युवा संगठनों की सेवायें भी उपलब्ध होंगी । अतः इस लाइन का शीघ्र विद्युतीकरण किया जाना चाहिये ।

जहां तक रेलवे के खान-पान का सम्बन्ध है लोगों को भोजन के बारे में उतनी शिकायत नहीं है जितना कि उसके परोसे जाने के ढंग, सफाई तथा इस्तेमाल किए जाने वाले खराब बर्तनों के बारे में है । इसकी जांच की जानी चाहिये ।

खान-पान विभाग में कार्य करने वाले लोगों की दशा बहुत दयनीय है । वह सब कमीशन प्राप्त विक्रेता है । वह नियमित कर्मचारी नहीं है । उन्हें वह सब सुविधायें प्राप्त नहीं ह जो अन्य कर्मचारियों को उपलब्ध हैं । कम से कम उन्हें अकुशल श्रमिकों जितना वेतन दिया जाना चाहिए और उनकी नौकरी की कुछ सुरक्षा होनी चाहिये ।

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : जिन सदस्यों ने रेलवे अभिसमय समिति की सिफारिशों सम्बन्धी संकल्प का समर्थन किया है वह सब धन्यवाद के पात्र हैं । वह ठीक ही कहा गया है कि 1971 तक अभिसमय समिति का क्षेत्र कुछ प्रतिबंधित था । इसके बाद अभिसमय समिति ने अपनी पुरानी परम्परा को बदल दिया और उन्होंने अभिसमय समिति के क्षेत्र का विस्तार करना शुरू कर दिया । अब नई अभिसमय समिति का कार्य लाभांश की दर के बारे में केवल सिफारिशें करने तक ही सीमित नहीं रह गया अब यह अनेक समस्याओं पर विचार करेगी जिससे हमें समूचे प्रशासन को सुचारू बनाने में सहायता मिलेगी ।

भूतपूर्व सरकार के वित्तीय कार्य निष्पादन के बारे में उल्लेख किया गया है । निसन्देह उन्होंने कुछ आधारभूत ढांचे बनाए हमने उनमें सुधार करने की कोशिश की है । अक्तूबर के अन्त तक हमारी कुल आय पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में 82.3 करोड़ रुपए अधिक है । हमने बजट प्रस्तावों से काफी अधिक खर्च कर दिया है हमने 52 करोड़ रुपया अधिक खर्च कर दिया है यदि ऐसा है तो कोई भी पूछ सकता है कि रेलवे अभिसमय समिति ने पिछली समिति द्वारा 1973 में स्वीकृत की गई राहतों को जारी रखने का निर्णय क्यों किया लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि कुछ बकाया कर्जे का बोझ अभी भी जारी है । 1977 के अन्त में रेलवे पर 461.9 करोड़ रुपए का कर्जा था जब कि आशा है 1978 के अन्त तक यह कर्जा 370.81 करोड़ रुपए होगा । यह कर्जा अनेक कारणों से है ।

जहां तक रेल लाइनों के निर्माण तथा अन्य मामलों पर किए जाने वाले पूंजीगत व्यय का संबंध है हम यह राशि सामान्य राजस्व से लेते है और उस पर 6 प्रतिशत का लाभांश सामान्य राजस्व को देते है । कुछ समय पहले मात्र इसे एक लेखे से दूसरे लेखे में अन्तरित करने का कार्य समझा जाता था लेकिन अब हम लाभांश का भुगतान रेलवे के आंतरिक स्त्रोतों से करते हैं ।

यह ठीक ही कहा गया है कि हमारे देश में रेलवे बिल्कुल कमर्शिल लाइन पर नही चलाया जाता । रेलवे कमर्शिल होने के साथ सामाजिक सेवा का दायित्व पूरा करता है विश्व के कई भागों में जैसे पश्चिम यरोप और एशिया में रेलवें सामाजिक दायित्वों को पूरा नहा करता आपतु सबद्ध सरकार सामान्य राजस्व मे इसे पूरा करते हैं । लेकिन हमारा रेलवे सामाजिक दायित्वों को भी पूरा करता है

जिसका खर्चा 214 करोड़ रुपय से लगभग है । हमें अनुरूप भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना पड़ता । हम औद्योगिक श्रमिक और मध्यवर्गीय उपनगरीय यातायात को काफी सस्ती दर पर रेल सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं । तूफान, बाढ़ इत्यादि प्राकृतिक आपदाओं के समय हमें निशुल्क माल ढोना पड़ता है ।

यह भी कहा गया है कि कार्य खर्च बढ़ रहा है ।लेकिन अब हमने उस खर्च में 30 करोड़ रुपया कम लगाया है । इसीलिए हमारी निवल आय में 52 करोड़ रुपय की वृद्धि हुई है । जैसा कि बजट प्रस्तावों से स्पष्ट है । लेकिन कार्य खर्च कम करने से हम श्रमिकों की छटनी नहीं करेंगे और हमारा प्रयास फिजूल खर्ची की दिशा में मितव्ययता बरतने का होगा ।

कभी कभी हमें रखरखाव और मरम्मत के खर्चे में कमी करने का लालच हो जाता है जिससे कार्यकारी खर्च बढ जाता है । मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि चूंकि आज हमारे सामाजिक जीवन में सुरक्षा की आवश्यकता और दावे प्राथमिक दावे हैं, इसलिए मरम्मत और रखरखाव के खर्चे में बिल्कुल कमी नहीं आने दी जायेगी ।

फिर दुर्घटनाओं का उल्लेख किया गया है । मुश्किल से कोई दिन ऐसा होगा जबकि लोगों ने किसी दुर्घटना के बारे में नहीं सुना होगा । यहां यह संकेत करना उचित रहेगा कि रेलवे व्यवस्था में दुर्घटना की परिभाषा की समान्य व्यक्ति की दृष्टि में जो दुर्घटना है उस से भिन्न है । रेलवे व्यवस्था में शार्ट सर्किट से बोगी में मामूली आग लगने जिससे यात्रियों को किसी प्रकार की क्षति नही होती है, रेल पटरियों के मामूली हट जाने रेल की बोगी में मामूली सी आग लगजाने जिससे किसी प्रकार की क्षति नहीं होती है, ये सभी दुर्घटनाएं कहलाती हैं । इसी कारणवश ऐसी मामूली सी 515 दुर्घटनाओं की संख्या बहुत बड़ी संख्या प्रतीत होती है । अतः इस सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं समझनी चाहिए । लेकिन जहां तक सुरक्षा का सम्बन्ध है, हम सुरक्षा सम्बन्धी समस्याओं को प्राथमिकता दे रहे हैं ।

हम कई प्रकार के सुरक्षा के कदम उठा रहे हैं जिनसे दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है । ऐसे आरोप लगाय जा रहे हैं कि इन दुर्घटनाओं के लिए रेलवे कर्मचारी जिम्मेदार हैं । लेकिन मैं इस आरोप का एक दम खण्डन करता हूं । यह कहा गया है कि रेलव कर्मचारी असन्तुष्ट है और इसी लिए वे तोड़फोड़ की गतिविधियों में लग गये हैं । लेकिन यह सही नही है क्योंकि जनता सरकार के गत 7 महीने के शासन में श्रमिकों की जो मांगे अनेक वर्षों से अनिर्णीत पड़ी थी वे मान ली गई हैं ।

10 घंटे के काम के बारे में प्रसिद्ध समझौते का उल्लेख किया गया है । यह समझौता पिछली सरकार ने किया था । फिर बाद में यह मामला तत्कालीन वित्त मंत्रालय को भेजा गया था । अब हमने इस समझौते को फिर से लागू कर दिया है और 12,000 अधिक काम या रोजगार पैदा किए हैं । इसके परिणामस्वरूप हमें एक ओर मियांभाई पंचाट का और दूसरी ओर 10 घंटे के काम का सम्मान करना होगा ।

जहां तक बोनस का सम्बन्ध है, हमने घोषणा कर दी है कि हम इस मामले को चरणबार करके निपटा रहे हैं । आपात स्थिति के दौरान जिन कर्मचारियों को बोनस मिलता था वे भी इससे वंचित कर दिए गए थे । यह सरकार पहले वाली स्थिति को ही लागू कर रही है । जिसे पुराने बोनस अधिनियम के अन्तगत बोनस मिलता था उसे अब बोनस मिलने लगा ह । भर्तालगम समिति आय, वेतन और मूल्यों की समस्या पर गहराई से अध्ययन कर रही है । यह कहना सही नहीं है कि प्रधान मत्री ने रेलवे कर्मचारियों से कह दिया है कि उन्हें बोनस नहीं मिलेगा ।

रेलवे बोर्ड के अतिरिक्त सरकारी स्तर पर, सार्वजनिक स्तर पर निगमित क्षेत्र के उपक्रम वर्ग हैं । ये परामर्शदात्री हैसियत से कार्य करते हैं और हम यह देख रहे हैं कि कार्य में भाग लेने के लिए यह महत्वपूर्ण कार्य प्रणाली और परामर्शदात्री हैसियत या योग्यता क्षेत्रीय स्तर तक बढ़ाई जाये । हमने अब इसे डिविजनल स्तर तक लाने का निर्णय किया है ताकि निम्नस्तर पर भी अधिकाधिक परामर्श दिए जा सकें ।

जहां रेलवे बोर्ड के गठन का सम्बन्ध है प्रशासनिक सुधार आयोग की इतने अधिक समय तक लम्बित पड़ी सिफारिशें अब कार्यान्वित की जा रही है । हम पहले ही यह संकेत दे चुके हैं कि हम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें मुख्य रूप में स्वीकार कर रहे हैं । इसका यह अर्थ नहीं कि यह पुनर्गठन के बारे में अन्तिम शब्द है । पुनर्गठन कार्य चलता ही रहेगा । यह कहना सही नहीं है कि केवल नाम ही बदला गया है । पुनर्गठन में सब से बड़ा परिवर्तन यह है कि रेलवे बोर्ड के बहुत से अधिकार क्षेत्रीय या जोनल रेलवे के महाप्रबन्धकों को दे दिए गए है तथा जोनल स्तर के बहुत से अधिकार डिविजनल स्तर को दे दिए गए हैं । अधिकारों के इस प्रकार सौंपने या प्रत्यायोजित करने से जोनल और डिविजनल स्तर पर को अनेक समस्याएं निपटाई जायेंगी और इन समस्याओं को रेलवे बोर्ड में भेजने की आवश्यकता नही है इससे रेलवे व्यवस्था की कार्यक्षमता को बहुत बढ़ावा मिलेगा ।

जहां तक कर्मचारियों के लिये आवासीय सुविधाओं का सम्बन्ध है, हम आश्वासन देते हैं कि आवास सम्बन्धी कार्यों में कोई कमी नहीं की जायेगी । इस वाद विवाद चल रहा है कि क्या हम रेल कर्मचारियों को अनुग्रहपूर्वक कुछ राशि दें या उन्हें कुछ सुविधाएं प्रदान करने के लिए हमारे पास अतिरिक्त अनुदान होना चाहिये । हमने इस प्रस्ताव पर सरकारी स्तर पर चर्चा की और जब यह पाया कि कर्मचारियों को अनुग्रहपूर्वक कुछ राशि दी जाये तो इसे नकद देने के बजाये यह राशि उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं पर खर्च किया जाये । यदि 16 करोड़ या 13 करोड़ या 14 करोड़ रुपये खर्च किये जाते तो प्रत्येक कर्मचारी को 100 रुपये नकद मिलते । हमने 15 करोड़ रुपये देने का निर्णय किया है । हमने कई कार्मिक संघों से परामर्श किया है कि यह राशि किस प्रकार की सुविधा पर खर्च किया जाये । अन्त में निर्णय यह किया गया कि यह राशि क्वार्टरों की मरम्मत, बेहतर सुविधाएं देने, आवासीय क्षेत्रों में कम्युनिटी हाल बनाने और रेल कर्मचारियों के लिये केन्द्रीय विद्यालय खोलने पर व्यय की जाय । इस प्रकार हमने यह राशि खर्च करने का निर्णय किया है । मैं आश्वासन देता हूं कि आवासीय सुविधाओं में कोई कटौती नहीं की जायगी । आमतौर पर मकान निर्माण कार्य पर प्रतिबन्ध है । हमने इस पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया है । इसके विपरीत हम इसका विस्तार कर रहा हूं । सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में केवल रेलवे 40 % अपने कर्मचारियों को आवासीय सुविधा दे पाई है । फिर भी हम इससे सन्तुष्ट नहीं है और हम इनका सुधार जारी रखेंगे ।

विभिन्न मार्गों पर हम स्थिति को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं । उदाहरणतया सभी सुपर फास्ट गाड़ियों में खाने की व्यवस्था बहुत अच्छी है । कुछ स्थानों पर जहां बढ़िया किचन हैं और जिनमें आधुनिक उपकरण हैं हम उनका और सुधार करेंगे । जो रचनात्मक सुझाव दिये गये है में उनपर विचार करूंगा और स्थिति को सुधारने का पूरा प्रयास किया जायगा ।

जहां तक नई रेलवे लाइनें बिछाने का सम्बन्ध है. हमारे हाथों में जो निर्माण कार्य चल रहा है उसे पूरा करने के लिय लगभग 331 करोड़ रुपय की आवश्यकता होगी जबकि हमें केवल

23–27 करोड़ रुपय की राशि दी गई है । यह जानकर आपको अवश्य आश्चर्य होगा । हम योजना आयोग से इस स्थिति में आमूल परिवर्तन करने के लिये कह रहे हैं । जब तक योजना आयोग से हमें अधिक आवंटन नहीं मिलेगा, नई लाइनें बिछाने या बनाने का काम शुरू करना सम्भव नहीं हो सकेगा ।

एक सुझाव दिया गया है कि हम सरप्लस का उपयोग करें । हमने 32.5 करोड़ रुपये का मुनाफा दिखाया है । हमारी सकल आय 83.2 करोड़ रुपये है जो गत वर्ष की आय से अधिक है । यदि ऐसा चलता रहा तो मुनाफा भी अधिक होगा; परन्तु इसका होगा क्या । यह मुनाफा पिछले ऋण को चुकाने में पूरा हो जाता है । अतः कुछ अन्य सिद्धान्त अपनाने होंगे और इनपर उचित स्तर पर चर्चा की जानी होगी ।

एर्णाकुलम–एलेप्पी लाइनों के बारे में हम पूर्णतः सन्तुष्ट हैं । यह एक महत्वपूर्ण लाइन है जिसे बनाया जाना चाहिये । केरल सरकार ने आश्वासन दिया है कि वह कुछ स्लीपर निःशुल्क देगी । सरकार भूमि भी बिना कीमत के देगी । इससे निर्माण लागत कुछ कम हो जायेगी । अतः हम इस पर विचार करेंगे कि :

रेलवे विद्युतीकरण की समस्या एक महत्वपूर्ण समस्या है । गाड़ी के चल स्टाक का भार 1,000 टन है । इसे एक किलोमीटर ले जाने के लिय हम इसे 1000 सकल किलोमीटर कहते हैं । इसके लिये ईंधन की कितनी खपत होगी ? भाप द्वारा चलाने के लिये इसका व्यय 10 रुपये है, डीजल द्वारा व्यय 5 रुपये है । बिजली द्वारा चलाने के लिये इस पर केवल 4 रुपये व्यय होगा? दीर्घकाल में यह अधिक लाभदायक है । प्रश्न यह है कि हम बड़े पैमाने पर विद्युतीकरण क्यों नहीं कर पाते ? उत्तर यह है कि एक किलोमीटर लम्बी लाइन के विद्युतीकरण में शुरु में 10 लाख रुपय से 13 लाख रुपये का खर्च होता है । मैंने वैज्ञानिकों से कहा है कि वे इस खर्चे को कम करके 7 लाख से 8 लाख रुपये करने के लिये अनुसन्धान कार्य करें । यदि हो जाता है तो हम निश्चय ही इस क्षेत्र में आगे प्रगति कर सकते हैं ।

प्रश्न पूछा गया है कि केरल के बारे में क्या स्थिति है जबकि वहां पर बिजली फालतू मात्रा में उपलब्ध है । इस सम्बन्ध में कुछ सिद्धान्त हैं । पहला यह कि ट्रक मार्गों पर उच्च घनत्व के मार्गों के विद्युतीकरण को प्राथमिकता दी जायगी । दूसरे, उन मार्गों को प्राथमिकता दी जायेगी जो इन के साथ लगते हैं । तीसरे स्थान पर प्राथमिकता उन मार्गों को दी जायेगी जहां पर्याप्त यातायात हो । मुझे विश्वास है कि इस कार्यक्रम में केरल को भी उचित स्थान मिलेगा । सदस्यों ने जो उपयोगी सुझाव दिये है, मैं उन्हें कार्यान्वित करूंगा ।

Shri Rameshwar Hazari (Rosera): The hon. Minister has not said anything about the priority to be given to the backward areas.

Prof. Madhu Dandawate: I have already replied to that on Tuesday. This is the considered opinion of our Ministry that priority should be accorded to these areas while laying new railway lines but the Planning Commission has fixed certain norms according to which priority is to be given to those areas which are able to provide more than ten per cent returns. We have sent a prepared note asking the Commission to affect certain changes in these norms.

उपाध्यक्ष महोदय प्रश्न यह है :

"कि यह सभा रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व में देय लाभांश की दर तथा रेल वित्त और सामान्य वित्त के सम्बन्ध में अन्य संगत मामलों का पुनर्विलोकन करने के लिए नियुक्त समिति के पहले प्रतिवेदन के जो 17 नवम्बर, 1977 को संसद् में प्रस्तुत किया गया था, पैरा 5, 6, 7, 11, 14, 17 और 18 में की गई सिफारिशों का, अनुमोदन करती है ।

कि यह सभा यह भी निदेश देती है कि प्रतिवेदन में की गई अन्य सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही से समिति को सूचित किया जाये" ।

संकल्प स्वीकृत हुआ ।

The Resolution was adopted.

स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) विधेयक

REQUISITION AND ACQUISITION OF IMMOVABLE PROPERTY (AMENDMENT) BILL

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): महोदय, यह बहुत सादा विधेयक है । मैं प्रस्ताव करता हूं "कि स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) विधेयक 1952 पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये ।" यह बहुत ही साधारण विधेयक है । भारत रक्षा तथा आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत रक्षा मंत्रालय ने भारत की सुरक्षा के उद्देश्य से देश के अनेक स्थानों पर भूमि का अधिग्रहण किया था । आपातस्थिति की उद्घोषणा समाप्त होने से भारत रक्षा और आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 की वैधता 6 महीने बाद अर्थात् 26–9–1977 को समाप्त हो जानी थी । इस अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत बनाये गए नियमों के अधीन अधिग्रहीत की गई या अधिग्रहीत की जाने वाली सारी भूमि 26–9–77 तक या इससे पूर्व वापस दे देनी चाहिए थी । चूंकि रक्षा मंत्रालय ने देश की सुरक्षा के उद्देश्य से यह सम्पत्ति उक्त तिथि से आगे अपने अधिकार में रखना आवश्यक समझा और चूंकि संसद का सत्र नही चल रहा था इसलिए स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) अध्यादेश, 1977 23 सितम्बर, 1977 को लागू किया गया । इस अध्यादेश से 1952 का अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम का यह संशोधन होता है कि उपरोक्त सम्पत्ति उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अधिग्रहीत समझी जायेगी । अत: वर्तमान विधेयक को उपर्युक्त अध्यादेश का स्थान देने का प्रस्ताव है ।

[श्री एम० सत्यनारायण राव पीठासीन हुए । Shri M. Satyanarayan Rao in the Chair

श्री जगन्नाथ राव (बरहामपुर) : मंत्री महोदय ने यह ठीक ही कहा है कि यह एक साधारण सा विधेयक है । इससे अध्यादेश का निरसन करने का प्रस्ताव है जो 23 अथवा 26 सितम्बर, 1977 को लागू किया गया था, क्योंकि भारत रक्षा अधिनियम, 1971 आपातस्थिति के समाप्त होने के 6 महीने बाद समाप्त हो गया है । पाकिस्तान के साथ युद्ध के कारण घोषित की गई आपातस्थिति के दौरान कुछ सम्पत्तियों का अर्जन किया गया था । जिस कार्य के लिए ये सम्पत्तियां अर्जित की गई थीं उन कार्यों को चालू रखा जाय जिससे सरकार उन्हें अपने अधिकार में रख सकें । मैं नहीं जानता कि युद्ध के दौरान इन सम्पत्तियों का अर्जन किस लिए किया गया था और क्या अर्जन के उद्देश्य

की पूर्ति हुई या नहीं। यदि युद्ध के दौरान वर्तमान उद्देश्य समाप्त हो गया है तो अब उन्हें अपने अधिकार में रखना न तो उचित है और न वैधानिक। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने यहीं बात कही है। यह नहीं कहा जा सकता कि जिस काम के लिए सम्पत्तियों का अर्जन किया गया था वह अभी भी विद्यमान है क्योंकि अब हमारा किसी देश से युद्ध नहीं है। अतः सरकार मात्र तकनीकी मुद्दों का सहारा न ले। भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत 1971 में जिन सम्पत्तियों का अर्जन किया गया उसकी सूची दी जाए। सरकार ने कहा है कि आवास का निर्माण करने के लिए उसके पास संसाधन नहीं हैं। यह उचित तर्क नहीं है।

जहां तक मुआवजे या किराये का प्रश्न है, जो किराया सरकार 1971 में देती थी वह अब पर्याप्त नहीं हो सकता। इसलिए सरकार अर्जित भवनों अथवा सम्पत्तियों का उचित मुआवजा दिया जाए। अन्यथा सरकार सम्पत्ति को वापिस कर दे।

श्री श्यामाप्रसन्न भट्टाचार्य (उलबेरिया) : मैं विधेयक का स्वागत करता हूं क्योंकि इससे देश के रक्षा कार्यों का हित साधन होता है। देश के पुनर्निर्माण के लिए सम्पत्ति का अधिग्रहण और अर्जन करने का अधिकार होना चाहिए। ऐसा करते समय मात्र यह बात ध्यान में रखी जाए कि सम्पत्ति से वंचित होने वाले व्यक्ति को पर्याप्त भुगतान हो और उसे उचित रूप से बसा दिया जाए।

श्री जी० एम० बनतवाला (पोन्नानी) : इस संशोधी-विधेयक में यह व्यवस्था की गई है जो सम्पत्तियां भारत रक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित की गई थीं उन्हें स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन विधेयक, 1952 के अन्तर्गत अधिग्रहीत माना जाए क्योंकि भारत रक्षा अधिनियम आपात-स्थिति समाप्त होने के छः महीने के बाद व्यपगत हो जाता है। मंत्री महोदय उन सम्पत्तियों की संख्या बताएं जिनका भारत रक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अधिग्रहण किया गया। हमें अधिग्रहीत सम्पत्तियों के बारे में यह पता चलना चाहिए कि क्या ये आवासीय थीं; और यदि हां, तो उनमें मालिक स्वयं रह रहे थे।

यह सर्वविदित है कि भारत रक्षा अधिनियम अस्थायी कानून है। सदन को यह आश्वासन दिया गया था कि इसके अन्तर्गत की गई कार्रवाई पूर्णतः अस्थायी होगी। यह कहा गया था कि सरकार की इच्छा सामान्य नागरिक के जीवन, सम्पत्ति और व्यवसाय में हस्तक्षेप करने की नहीं है। यह भी कहा गया था कि इसे आपातस्थिति की आवश्यकताओं से अधिक समय नहीं बनाए रखा जाएगा। यह बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि अब जनता सरकार भारत रक्षा अधिनियम के अन्तर्गत की गई कार्रवाई को स्थायी रूप देने के लिए यह विधेयक लाई है।

भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत दो आपातस्थितियों के दौरान की गई कार्रवाइयों को इस विधेयक के द्वारा स्थायी रूप देकर आपातस्थिति के बाद गलती और अन्याय किया जा रहा है। अधिग्रहण अस्थायी होता है और अर्जन स्थायी, यदि सरकार की आवश्यकताएं अभी भी हैं, इस प्रकार स्थायी रूप से सम्पत्ति को अधिग्रहीत रखना गलत है क्योंकि यह अन्यायपूर्ण है। यदि आवश्यकता बनी हुई है तो अधिग्रहण को अर्जन में बदल दिया जाए।

सरकार को अपनी आवश्यकताएं नागरिकों पर कम से कम भार डाल कर पूरी करनी चाहिएं। भारत रक्षा अधिनियम के अन्तर्गत जब सम्पत्तियों का अर्जन किया गया तो ये उपाय बड़े ही निरंकुश थे। स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम में कई सुरक्षात्मक उपबन्ध थे, जो भारत रक्षा

[श्री जी० एम० वनतवाला]

अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित सम्पत्ति को उपलब्ध नहीं थे । अतः इस प्रकार इस संशोधी विधेयक के द्वारा किसी भी सम्पत्ति का अधिग्रहण करना स्वागत योग्य नहीं है ।

भारत रक्षा अधिनियम के अन्तर्गत सम्पत्ति का अधिग्रहण सुरक्षा कार्यों के अलावा अन्य कई कार्यों के लिए किया गया था । धारा 23 (एक) के अनुसार सम्पत्ति का अधिग्रहण नागरिक व्यवस्था, भारत की सुरक्षा, नागरिक रक्षा, जनता की सुरक्षा तथा जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई बनाए रखने के लिए किया जा सकता है। अब भारत रक्षा अधिनियम के अन्तर्गत नागरिक व्यवस्था के व्यापक उद्देश्य आन्तरिक सुरक्षा और वस्तुओं की सुरक्षा बनाए रखने के लिए सम्पत्ति का अधिग्रहण किया जा सकता है । परन्तु स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम के सामान्य कानून के अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था नहीं है । 1952 के अधिनियम की धारा 3(1) के अन्तर्गत सम्पत्ति का अधिग्रहण संघ सरकार के कार्य के लिए किया जा सकता है । संशोधी विधेयक की प्रस्तावना में कहा गया है कि सम्पत्ति का अधिग्रहण भारत रक्षा के लिए किया जाता रहेगा ।

भारत रक्षा अधिनियम के अन्तर्गत सम्पत्ति का अधिग्रहण विभिन्न कार्यों के लिए किया गया, इसलिए इस अधिनियम के अन्तर्गत इन्हें "अधिग्रहीत सम्पत्ति" में शामिल करना अनुचित होगा । यह अश्वासन को झुठलाना है । सरकार इन बातों पर गम्भीरता से विचार करे ।

श्री वयालार रवि (चिरयिकील) : सबसे पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय ने यह विधेयक रक्षा मंत्रालय की सिफारिश पर पेश किया है, क्योंकि उन्हें इस बात की सिफारिश करनी है कि 1971 में अधिग्रहीत की गई सम्पत्तियों की अभी भी सुरक्षा कार्यों के लिए आवश्यकता है । यदि ऐसी सिफारिश की गई है तो उन्हें उस पर रक्षा मंत्री से विस्तार से चर्चा करनी चाहिए और फिर वे अपना स्वयं का विवेक भी काम में लाएं क्योंकि हो सकता है रक्षा मंत्री ने अपने अधिकारियों की सिफारिशें साधारणतः भेंज दी हों ।

इस सदन में यह आश्वासन दिया गया था कि यह अधिग्रहण अस्थायी और समय आने पर इन्हें उनके मालिकों को वापिस कर दिया जाएगा । इस संशोधन के द्वारा सरकार इसे स्थायी रूप दे रही है ।

21 मार्च, 1977 से पहले अधिग्रहीत सम्पत्ति का उल्लेख किया गया है । इस तारीख को आपातस्थिति समाप्त की गई थी । पर क्या उस तिथि से पहले अन्य कार्यों के लिए भी अन्य बहुत सी सम्पत्तियों का अधिग्रहण किया गया था ? उदाहरणतः मंत्री महोदय यह देखें कि दिल्ली में क्या हुआ। इस कानून के द्वारा क्या हम नगर को सुन्दर बनाने अथवा कानून और व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर कुछ वर्ग मीटर सम्पत्ति के गरीब मालिकों को उससे वंचित नहीं कर रहे हैं । इसलिए दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर रक्षा कार्यों के अलावा अन्य कार्यों के लिए सम्पत्ति के अधिग्रहण को सरकार वैधानिक क्यों बनाना चाहती है ? मंत्री महोदय पूरे मामले पर फिर से विचार करें ।

श्री सौगत राय (बेरकपुर) : पहले इस अधिनियम का उपयोग रक्षा कार्यों के लिए ही आवश्यक सम्पत्ति का अधिग्रहण करने के लिए किया जाता था । इसके अन्तर्गत यदि किसी सेना के अधिकारी को भव्यतापूर्ण कालोनी में रहने के लिए मकान की आवश्यकता होती तो वह उस मकान का अधिग्रहण करने के लिए इस अधिनियम का प्रयोग करने लगा । अब इस विधेयक के द्वारा हम बड़े सैनिक अधिकारियों को किसी भी नागरिक सम्पत्ति पर कब्जा करने और उसमें रहते रहने का अधिकार दे रहे हैं ।

सभी बड़े शहरों में सेना के लिए पर्याप्त आवास व्यवस्था नहीं है । उदाहरण के लिए कलकत्त में बहुत से मकानों का अधिग्रहण सेना के लिए किया गया है ताकि अधिकारियों के रहने की व्यवस्था की जाये ।

सभी बड़े शहरों में सेना के लिए पर्याप्त आवासीय स्थान नहीं है । उन सभी जगहों में जहां बड़ी-बड़ी सैनिक छावनियां हैं बहुत से मकानों का अधिग्रहण किया गया है । रक्षा कर्मचारियों की आवास व्यवस्था एक बड़ी समस्या है इस समस्या से बड़े शहरों में आवासों की अपर्याप्तता पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है क्योंकि बड़ी संख्या में मकान सेना ने ले रखे हैं । किरायों में परिवर्तन करना बड़ा कठिन होता है और अधिकारियों की बड़ी लाल फीताशाही चलती है । मुख्य शहरों में सैनिक कर्मचारियों के लिए आवास बनाने की एक योजना बनाई जाए जिससे सामान्य नागरिकों की सम्पत्ति का अधिग्रहण न करना पड़े ।

कलकत्ता में बहुत सी भूमि का पिछले युद्ध में अधिग्रहण किया गया । विश्व युद्ध के समाप्त होने पर जब उसका उपयोग नहीं रहा तो शरणार्थी आकर वहां बस गए और वे वहां लम्बे अरसे से रह रहे हैं । रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिगृहीत की गई । उस सम्पत्ति को, जिसे अब वह छोड़ना चाहती है और जिस पर पिछले 30 वर्षों से शरणार्थी रह रहे हैं, केन्द्र सरकार सीधे अर्जित कर ले जिससे शरणार्थियों को उस पर मालिकाना अधिकार मिल जाए ।

बड़े शहरों जैसे कलकत्ता, बम्बई, हैदराबाद आदि में रक्षा कर्मचारियों के मकानों के लिए एक दीर्घकालीन योजना बनाई जाए जिससे उन्हें अपने आवासों अथवा एन०सी०सी० यूनिटों के लिए इस कानून का सहारा न लेना पड़े जो एक आपातकालीन कानून है ।

श्री सिकन्दर बख्त : मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस विधेयक में रुचि दिखाई । मैं विधेयक के संबंध में कुछ सदेहों का निराकरण करना चाहता हूं । इस अवधि में किसी भी भवन का अधिग्रहण नहीं किया गया केवल कुछ भूमि का ही अधिग्रहण किया गया । इस विधेयक का उद्देश्य 1952 अधिनियम का संशोधन करना है । जहां तक मुआवजे का संबंध है हर पांच वर्ष बाद इसकी समीक्षा की जाएगी । भूमि के अधिग्रहण के कारण होने वाली कठिनाइयों की ओर उचित ध्यान दिया गया ।

मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि यदि रक्षा कार्यों के लिए इसकी आवश्यकता न होती तो सरकार ने भूमि को अपने पास रखने का निर्णय न किया होता । यह भूमि रक्षा उद्देश्य हेतु अपने पास रखी जा रही है । आशा है आप रक्षा संबंधी आवश्यकताओं के ब्यौरे को नहीं पूछेंगे । इन सम्पत्तियों को अपने पास रखना देश की रक्षा के लिए नितान्त आवश्यक समझा गया है । आक्रमण के समय असाधारण परिस्थितियां थीं परन्तु कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जो हमेशा बनी रहती हैं और रक्षा मंत्री ने इन्हें स्थायी तौर पर रखना आवश्यक समझा ।

आपातस्थिति के विपथगन का उल्लेख किया गया है । आपात स्थिति के दौरान जो कुछ हुआ मैं उसका उल्लेख नहीं करन चाहता लेकिन इतना निश्चित है कि रक्षा मंत्रालय की आवश्यकताओं को उस श्रेणी में नहीं रखा जा सकता जिसमें आपातस्थिति के दौरान हुए विपथगन को रखा गया है ।

[श्री सिकन्दर बख्त]

कुछ सदस्यों ने सम्पत्तियों की सूची मांगी है जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस सूची में कोई मकान शामिल नहीं है इसलिए किसी व्यक्ति के विस्थापित होने और उसके पुनर्वास का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राय ने, कलकत्ता में रक्षा कार्यों हेतु ली गई भूमि के कारण हुए विस्थापित लोगों के बारे में उल्लेख किया है । वह मुझे इस संबंध में पूरा ब्यौरा दें । मैं निश्चय ही इस मामले की जांच करूंगा ।

आशा है माननीय सदस्य इस विधेयक का एकमत से समर्थन करेंगे ।

श्री विनायक प्रसाद यादव (सहरसा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने वाला विधेयक को निम्नलिखित सात सदस्यों की प्रवर समिति को इन हिदायतों के साथ आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक वह अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे सौंपा जाए ।"

(1) श्री एस० एस० दास
(2) श्री रमापति सिंह
(3) श्री सिकन्दर बख्त
(4) डा० बी० एन० सिंह
(5) श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा
(6) श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा
(7) श्री विनायक प्रसाद यादव

सभापति महोदय द्वारा संशोधन सभा में मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

The amendment was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1952 का और संशोधने करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : अब हम खण्डवार विचार करेंगे

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड 3

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 3 was added to the Bill.

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

Clause 1, the enacting formula and the title were added to the Bill.

श्री सिकन्दर बख्त : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पास किया जाए ।"

Dr. Ramji Singh (Bhagalpur): It would have been better if the hon. Minister would have amended certain imperative clauses of the original Act. The original Act was for meeting an emergent situation but this Bill is placing this Act on a permanent footing. Therefore it has been rightly said that whatever has been done to meet an emergency should not be made regular.

If any property has been in the possession of Defence Ministry for the last 15 years on a temporary basis it should be acquired on a permanent basis. There are cases where land acquired under this Act has been given to Harijans on exorbitant rent. This is not proper. If Government has such land as it does not require Harijans should be settled on this land.

Shri Sikander Bakht: Immoveable property is acquired for public purpose only. If it is not required it is released. It is not possible to retain that land for allotment to Harijans under the existing law.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पास किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

बेतवा नदी बोर्ड (संशोधन) विधेयक

BETWA RIVER BOARD (AMENDMENT) BILL

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि बेतवा नदी बोर्ड अधिनियम, 1976 के संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाए ।"

This is a very ordinary Bill. Madhya Pradesh and U. P. Governments have agreed to construct Rajghat Dam to utilize water of Betwa river for irrigation. Later on two State Governments agreed to utilize this water for generation of electricity also and they have come to an agreement to share that electricity. The original act is being amended to make provision in regard to electrify generation.

Provision is being made to include the Union Minister of Irrigation or his nominee and also Irrigation Ministers of both the States in the Board. Another important provision that is being made is that if financial adviser is not available in the States the Central Government should send the adviser from the Centre after consulting the State Governments.

Shri Tej Pratap Singh (Hamirpur): Mr. Chairman Sir, I welcome this Bill. It is good that the Rajghat Dam will be utilized for generating electricity.

The hon. Minister had not said anything about the amendments which I have moved. At present there is no provision for including the Union Minister of Energy. In the Board Members of Parliament from Bundelkhand Area should also find a place in the board because they knew the problem of that area. They will give their suggestions about laying of canals etc. and problems relating to workers who will be engaged in this work and also the problems in regard to settlement of persons who will be displaced.

Local MLA's have good knowledge about the problems and needs of the area. They should be associated with the deliberations of the Board. They may not be made Members of the Board but they should participate in the discussions of the Board.

Shri Laxmi Narain Nayak (Khajuraho): Mr. Chairman, Sir, I support this Bill. It is a welcome measure. It is good that the electricity will be generated for the use of the people.

The people of that area should get benefit of the irrigation facilities that will be created and the power that will be generated. Members of Parliament from that area should be included in the Board so that they are able to give proper suggestions for the benefit of the people of this area.

There is apprehension in the minds of the people that Tikamgarh district will get irrigation facilities.

So far as canal in Tikamgarh is concerned a survey has already been conducted there. But I have been told that this canal will not be constructed there, because it would incur more expenditure. It is very necessary to construct a Canal in Tikamgarh. Members of Parliament of the concerned areas should also be included in the Board so that they may give valuable advice. It should be ensured that Tikamgarh district is given irrigation facilities it requires.

Shri Bhanu Pratap Singh: I am thankful to the Hon. Members who have given valuable suggestions while speaking on this Bill.

It has been said that representatives of the people should be included in this Board. I think if the scope of work of the Board is decided then their would be no need to include those representatives. The only thing to be done by the Board is to construct dams and power stations and to maintain them.

The State Governments will decide the areas which will get irrigation and power facilities. The distribution of water and electricity will be done by the State Governments. If the M.L.As. and M.P's. are included in the Board, it will become too big, and then it will not function properly. It will be a technical and executive Board. No policy matter will be dealt with by it. The Board, if necessary, may permit any officer of the Central Government or the Government of Madhya Pradesh or Uttar Pradesh to attend any of its meetings. The Board has also the right to associate any M.L.A. or any other person if necessary. Only an expert officer or M.L.A. or M.P. who has knowledge and ability can be associated with the Board. The Board has no right to take decision about the distribution of water and power.

It is impossible to accept the suggestion that the Deputy Minister and the people of that area should be associated with the Board. Because, whenever any person becomes Minister, he has to look after the interests of whole the country and not of a particular area. It is not necessary to define the Rajghat Power House. The power house has been well defined in the amendment as "hereinafter referred to as the Rajghat Power House."

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बेतवा नदी बोर्ड अधिनियम 1976, के संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में; विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2

श्री लक्ष्मी नारायण नायक (खजुराहो) : मैं अपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं।

श्री तेज प्रताप सिंह (हमीरपुर) : मैं अपने संशोधन संख्या 3, 4, 5 और 8 प्रस्तुत करता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 1 was put and negatived.

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 3, 4 और 5 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

Amendment Nos. 3, 4 and 5 were put and negatived.

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 8 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 8 was put and negatived.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 3 was added to the Bill.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 3 was added to the Bill.

खण्ड 4

Clause 4

श्री तेज प्रताप सिंह (हमीरपुर) : मैं अपना संशोधन संख्या 6 प्रस्तुत करता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 6 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 6 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 4 was added to the Bill.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5 से 7 विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

The motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का शीर्षक विधेयक में जोड़ दिया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

The motion was adopted.

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

Clause 1, *Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

श्री भानु प्रताप सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

Shri Laxmi Narain Nayak: The Hon. Minister has just now stated that the only duty of the Board is to prepare the lay out of the dam and estimate its cost. I request that Tikamgarh district should not be deprived of the irrigation and power facilities while distributing water and electricity. Assurance should be given in this regard.

Shri Ambika Prasad Pandey (Banda): There may be disputes among the States in regard to certain matters. These disputes should be settled by the Board which should include local M.L.As. and M.Ps.

The interest of the area where this dam will be located should not be ignored. This will be possible only if representatives of the people are included in the Board.

The present schedule should be changed, otherwise there would be a legal lacuna.

Shri Bhanu Pratap Singh: The State Governments will decide the areas which will get irrigation facilities and power generated from Rajghat Dam. No directive can be given to them about any specific area.

There is no scope for any dispute among the States. They have already agreed to share equally the expenditure. On the dam as also the irrigation facilities and power generated.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उत्तर रेलवे पर दो गम्भीर रेल दुर्घटनाओं के बारे में प्रस्ताव---जारी

MOTION RE: TWO SERIOUS TRAIN ACCIDENTS ON THE NORTHERN RAILWAYS—*contd.*

श्री सौगत राय (बैरकपुर): 23 नवम्बर, 1977 को जब सभा में रेल दुर्घटनाओं पर चर्चा हो रही थी तो समाचार आया कि रिवाड़ी के निकट अहमदाबाद-दिल्ली मेल पटरी से उतर गई और एक संसद सदस्य सहित 19 व्यक्ति मारे गये । इससे स्थिति की गम्भीरता का पता चलता है और मन्त्री जी द्वारा चाहे वक्तव्य कितना ही अच्छा क्यों न दिया गया हो, रेल दुर्घटनाएं रोकने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किये गये हैं ।

[श्री सौगत राय]

यह अच्छा है कि मन्त्री जी ने इन दुर्घटनाओं की जांच के लिए और सुरक्षात्मक उपायों की सिफारिश के लिए एक समिति नियुक्त की है। लेकिन ये इक्का दुक्का घटनाएं नहीं हैं। इस वर्ष अप्रैल से अक्तूबर तक दुर्घटनाओं की संख्या पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान हुई दुर्घटनाओं की संख्या से अधिक है। 1974–75 की संख्या से भी यह संख्या अधिक है। इससे पता चलता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है।

जनता सरकार के आने के बाद रेलों में अनुशासन की कमी हुई है। हम सबका कर्त्तव्य है कि इसे रोका जाये।

इस अनुशासन में कमी के कई कारण हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण रेल कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष है। पिछले कुछ वर्षों में रेल कर्मचारियों ने कुछ कारणों से बहुत लगन के साथ कार्य किया है। उन्हें इस सरकार से बहुत अपेक्षा थी।

लोको रनिंग कर्मचारी लम्बे समय से काम के आठ घंटों की मांग कर रहे हैं। हालांकि मियाभाई एवार्ड लागू करने आदि जैसे कई उपाय किये गये हैं लेकिन काम के घंटे आठ से अधिक ही रहे हैं। इसी तरह सिग्नलमैन को जंगल में अकेले बैठना पड़ता है और यदि उसका स्थान लेने वाला समय पर न पहुंच पाये तो उसे 9 घंटे तक भी बैठना पड़ जाता है। अतः इनकी उचित शिकायतें दूर की जानी चाहियें।

रेलों का सामान (रोलिंग स्टाक) भी पुराना पड़ चुका है। फिश प्लेटें हटी देखकर हम उसे तोड़-फोड़ की संज्ञा देते हैं लेकिन हो सकता है कि पुरानी पड़ जाने के कारण फिश प्लेट स्वयं हट गई हों। अतः इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

साथ ही प्रश्न यह है कि हम लोगों को उन सुरक्षात्मक उपायों के बारे में बतायें क्योंकि हाल ही की नैनी दुर्घटना सिग्नलमैन की गलती के कारण हुई थी। क्या अकेले एक व्यक्ति के भरोसे इतनी मानव जिन्दगियों को छोड़ा जा सकता है? क्या हम इस प्रणाली को सुधार नहीं सकते।

रेल मंत्री ने हाल ही में रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन की घोषणा की है। लेकिन इस बोर्ड में भारत की किसी संस्था से भी अधिक नौकरशाही है। इसी कारण कर्मचारियों की शिकायतें दूर नहीं हो पाती और कर्मचारियों में असंतोष बढ़ता है। अतः इस बारे में कुछ करने की जरूरत है। प्रश्न यह है कि रेल मंत्रालय को चलाने के लिए क्या रेलवे बोर्ड जरूरी है? इस बारे में विस्तार से विचार किया जाये।

Dr. Ramji Singh (Bhagalpur): The accidents which have been referred to in the motion under discussion are mainly due to human error. There can be no more painful fact than this that several people lost their lives due to our error. It is true that military aid has been availed of very late.

It has been alleged that the present Government has not done justice with the Railway workers. But I would like to repeat the Railway Minister's statement that whatever has been done for them during the last eight months was never done during the last thirty years. It appears that some people hatching conspiracy and sabotage and are defaming railway workers. Provision should be made in the Criminal Code to punish such people at least with death sentence.

It has been found in most of the accidents four or five coaches next to the railway engine were badly smashed. It is, therefore, my suggestion that it should

be investigated as to whether these coaches should invariably be goods or parcel coaches.

Besides, the railway administration has to be made more vigilant and efficient. The fact is that the number of accidents has been rising since 1973. Reports of Enquiry Committee on these accidents should be taken into consideration.

There is no adequate arrangement for the training of class III and class IV employees who are the real workers operating the entire railway system. Therefore, steps should be taken to give them adequate training.

The signalling system should be improved so as to prevent the accidents. Voluntary organisations and political parties should also contribute to ensure safety of railway travel by protecting the railway track. A research and training centre should be set up in the Railway Ministry to devise ways and means to avoid and prevent accidents. An Intelligence Wing should also be set up in the Railway Ministry to keep a vigil on the railway equipment with a view to preventing sabotage.

श्री श्यामप्रसन्न भट्टाचार्य (उलबेरिया) : बड़ी चिन्ता का विषय है कि बार बार रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं। कहीं तोड़ फोड़ हो रही हैं तो कहीं स्वचालित सिग्नल व्यवस्था की असफलता के कारण तो कहीं अधिक काम के कारण ये दुर्घटनाएं हो रही हैं।

सभापति महोदय : क्या सदन की राय है कि यह चर्चा कल भी जारी रहे।

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

प्रो० मधुदंडवते : ग्रामीण क्षेत्रों से आये मेरे कुछ मित्रों ने गुड़ और चीनी के मामलों पर चर्चा करने की मांग की है। अध्यक्ष महोदय ने इस के लिए अनुमति देने का वचन दिया है। अतः हमें स्पष्ट रूप से बताया जाये कि इस विषय पर कल कब चर्चा आरम्भ होगी।

श्री पी० जी० मावलंकर: मेरा सुझाव है कि सदन की भावनाएं अध्यक्ष महोदय तक पहुंचा दी जायें। हमें उन्हें यह बता देना चाहिए कि कल शाम के 6 बजे के बाद समय बढ़ा कर इस विषय पर चर्चा जारी रखी जानी चाहिए जिससे रेलों और चीनी दोनों विषयों पर चर्चा की जा सके।

सभापति महोदय : ये सभी बातें अध्यक्ष महोदय तक पहुंचा दी जायेंगी।

श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य : कल ही यह कहा गया है कि एक विशेष रेलवे स्टेशन पर जहां दुर्घटना हुई, वहां "प्वायंट्स मैन" 20 घंटे से काम कर रहे थे। आप यह भी समझ सकते हैं कि 20 घंटे तक काम करना संभव नहीं है। सरकार इस बात को देखे कि उन्हें इतनी देर तक काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जाये।

किसी व्यक्ति ने यह भी बताया है कि चूंकि रेल कर्मचारियों को बोनस नहीं दिया गया इसलिए ये दुर्घटनाएं हो रही हैं। लेकिन यह याद रखना चाहिए कि रेल हड़ताल के दौरान जब कर्मचारियों को खूब दबाया और सताया जा रहा था तब भी कर्मचारियों ने

रेल पटरियों और सम्पत्ति की रक्षा की थी। इसलिए उन पर गलत आरोप नहीं लगाना चाहिए।

अब एक समिति नियुक्त की गई है। उस समिति को यह देखना चाहिए कि कर्मचारियों से कहां कहां अधिक काम लिया जा रहा है और कहां स्वचालित सिग्नल प्रणाली में दोष है। विशेषज्ञों को उनकी जांच करनी चाहिए। उस क्षेत्र के आस पास के लोगों से भी पता लगाना चाहिए कि ये दुर्घटनाएं क्यों हुई? अधिकारियों की अपेक्षा वे अधिक जानकारी दे सकते हैं। लोगों में देश भक्ति की भावना भरी जाये ताकि राष्ट्रीय सम्पत्ति की रक्षा हो सके।

अधिकारियों और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बीच संबंधों को भी पूरी तरह बदला जाये। अधिकारी उन्हें गुलामों की तरह रखते हैं। उन्हें घरेलू काम करने के लिए बाध्य किया जाता है। उन लोगों को उचित सम्मान दिया जाये और उनकी ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाये। रेलों की सुरक्षा और उन्हें बनाये रखने के लिए वे ही मुख्य शक्ति हैं

Shri Yuvraj (Katihar): It is very distressing that many people have been killed in rail-accidents taken place at various places. If we go deep into the matter we will find that while the number of officers in the railways has increased considerably, the number of operating staff like drivers, gangmen, cabinmen and guards has not been increased correspondingly.

The accidents have created a sense of insecurity among the people. Bureaucracy is still ruling the roost. The General Manager, Divisional Superintendent and other officers do not go out of their offices for inspection. The poor wokers have to work hard on the railway tracks and in the cabin. Drivers and Station Masters have no equipment to avert accidents.

In Russia very few accidents take place and their number is very small. They have got all the necessary equipment to check any defect in the railway track. Our administrative system is faulty. Unless we improve this system we will not be able to check accidents.

An official in Delhi Electric Supply Undertaking has invented a device by which it is possible to know beforehand about the impending accident. Due to the negligence and complacency of railway administration it has not been possible to make a demonstration of the device so far.

The metre gauge line from katihar to Karauni has not been converted into broad gauge so far. This is a very profitable line. Many goods and passenger trains pass on that line and thousands of Military Jawans travel on this route. Railway line from Bihpur to Barari and Manhari has been closed. This line should be opened for traffic again.

Mr. Chairman: The hon'ble member may continue his speech the other day.

इस के बाद लोक सभा शुक्रवार, 23 दिसम्बर, 1977/2 पौष, 1899 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday December 23, 1977/Pausa 2, 1899 (Saka).